आज़ादी का
अमृत महोत्सव

वाणी

वर्ष : 35 अंक : 132 मार्च 2022

महिला विशेषांक

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
तिमाही गृह पत्रिका

गतिविधियाँ

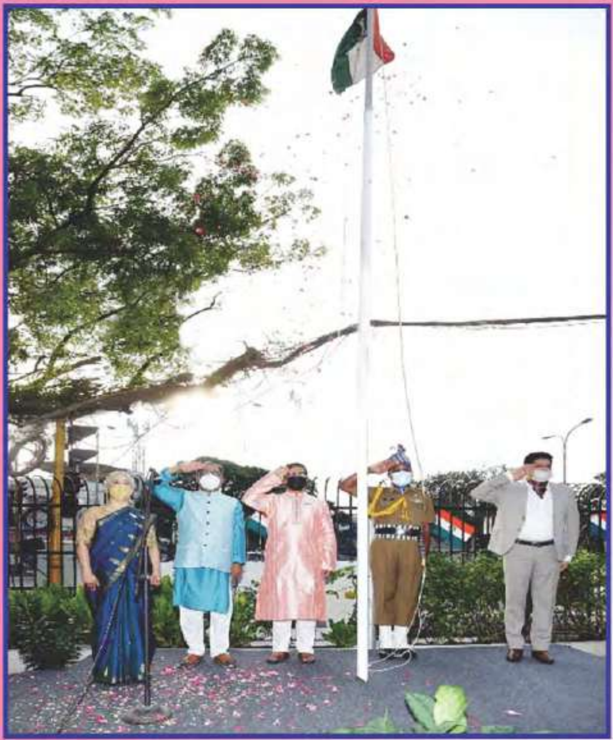

केंद्रीय कार्यालय में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 के अवसर पर ध्वाजारोहण के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए बैंक के शीर्ष कार्यपालक गण तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी।

बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक के संस्थापक **श्री एम सीटी एम चिदम्बरम चेट्टियार** की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बैंक के शीर्ष कार्यपालक गण तथा संस्थापक के परिवार जन

वाणी

वर्ष : 35 अंक 132 मार्च 2022

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

संदेश

सचिव महोदया का संदेश 3
संयुक्त सचिव महोदया का संदेश 4
प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश 5
कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश 6
कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश 7
महा प्रबन्धक महोदय का संदेश 8

संपादकीय

राजभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान 9

विशेष आलेख

बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 10
नंगेली – बिसरे अतीत की नायिका 16
महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत - पूर्वोत्तर राज्य 42
आज़ादी के 75 वर्ष की उपलब्धि और चुनौतियाँ 47
गंगूबाई काठियावाड़ी 51

बैंकिंग व अन्य लेख

स्वयं सहायता समूह का आत्मनिर्भर भारत में योगदान 13
ग्राहक संपर्क केंद्र –कांटैक्ट सह कॉल सेंटर 19
सरफेसी अधिनियम – 2002 का क्रियान्वयन 45
"महिला सशक्तिकरण में आइओबी की भूमिका" 57

कविता

CAF देती हमें छांव जब – जब हो धूप 18
लिखता चलूं 23
माँ 46

साहित्य का सफ़रनामा

राहुल सांकृत्यायन- दार्शनिक एवं घुमक्कड़ी साहित्य के पुरोधा 24

प्रदक्षिणा

माउंट ओलंपस - जहाँ से शुरु होती हैं ओलंपिक मशाल रिले 53

फ़ोटो फ़ीचर

केन्द्रीय कार्यालय की गतिविधियाँ 29
क्षेत्र की गतिविधियाँ 31

कृति दर्पण

पचपन खंबे लाल दीवारें 21

नज़र कानूनी

गुनाहों के निशान खोजता नया कानून 39

ख़तों के रास्ते इतिहास

क्रीमिया की देवदूत – फ्लोरेन्स नाइटिंगेल 33

विविधा

ज्ञान के मोती 28
शब्द शब्दांतर 41
हंसी की फुलझड़ियाँ 56
हिंदी ज्ञान प्रश्नोत्तरी 59
प्रतिस्पन्दन 60

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 35 अंक : 132 मार्च 2022

मुख्य संरक्षक
पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

संरक्षक
एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

परामर्शदाता
शिव कुमार गुप्ता
महा प्रबन्धक

संपादक
जगदीश चंद्र
सहायक महा प्रबन्धक

तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?

संपादन सहयोग
नगेंद्र कुमार सिंह
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
नेहा रंजन
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने निजी हैं ।
बैंक का इससे सहमत होना ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002
फैक्स : 044-28551618
दूरभाष : 044-28519572
ई-मेल : official@iobnet.co.in

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

पत्र संख्या 11014/03/2022-रा.भा. (पत्रिका) | दिनांक : 19 मई, 2022

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा पत्रिका **"वाणी"** का 132वां अंक प्रकाशित किया जा रहा है।

केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि में राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में राजभाषा पत्रिकाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन एक ओर संस्थान के लेखकों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर संस्थान की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से पाठकों को अवगत कराता है। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा पत्रिका **"वाणी"** के 132वें अंक को महिला विशेषांक के रूप में प्रकाशित करवाना एक सराहनीय प्रयास है।

मैं संपादक मंडल को बधाई देती हूं तथा पत्रिका **"वाणी"** के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ।

(अंशुली आर्या)

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोह, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी. II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN.
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

संदेश

मुझे यह जानकार अति प्रसन्नता हो रही है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा राजभाषा हिंदी को समर्पित गृह पत्रिका **'वाणी'** के अंक 132 का प्रकाशन महिला विशेषांक' के रूप में किया जा रहा है।

भारतीय संविधान द्वारा नारी तथा पुरुषों को प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान किया गया है। सरकार ने भी नारी उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जिनमें महिला सशक्तिकरण के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि कार्यक्रमों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार, समाज और देश का विकास नहीं हो सकता। आज के युग में महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में सरहानीय है।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में गृह-पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है और इनके प्रकाशन से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में मूल लेखन एवं अपने शासकीय कार्यों को हिंदी में करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है । मैं पत्रिका **'वाणी'** के संपादक मंडल को बधाई देती हूँ तथा पत्रिका के उज्ज्वल प्रगतिशील भविष्य की कामना करती हूं।

मीनाक्षी जौली

(डॉ० मीनाक्षी जौली)

एमडी व सीईओ महोदय का संदेश

प्यारे साथियो,

जब मैंने बैंक का कार्यभार संभाला था तब बैंक वर्ष-दर-वर्ष नकारात्मक वृद्धि दर्ज़ करता आ रहा था। ये आप सभी के संयुक्त उद्यम का ही नतीजा था कि अन्ततः मेरे कार्यभार संभालने से कुछ महीने पहले मार्च 2020 तिमाही में 18 तिमाहियों के बाद बैंक ने शुद्ध लाभ दर्ज़ किया। मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये आप सभी के भागीरथ प्रयासों का ही नतीजा था कि मार्च 2020 तिमाही के बाद से बैंक ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा तथा हम तिमाही-दर-तिमाही अपने बनाए कीर्तिमानों को हर बार की तरह अधिग्रहित करते चले आ रहे हैं। साथियो, मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के परिणाम हम सभी के सामने हैं और मुझे ये बताते हुए असीम हर्षानुभूति हो रही है कि हमने अपनी लाभार्जन की परंपरा को बरकरार रखते हुए वित्त वर्ष 2021 - 22 के लिए रूपये 1710 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज़ किया है जिसके लिए आप सभी बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं।

आने वाला हर पल अपने साथ नई चुनौतियों को लेकर आता है और वास्तव में यदि हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो निसंदेह यह इस संस्था को मेरी व आपकी सबसे बड़ी देन होगी। मार्च 2022 तिमाही में अर्जित 552 करोड़ का यह जादुई आंकड़ा बड़ा ज़रूर लग सकता है मगर तुलन पत्र का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि इस वित्त वर्ष के दौरान हमारे परिचालनगत लाभ में कमी आई है जोकि एक चिंता का विषय है। मित्रों, यह एक कटु सत्य है कि अगर हम अपनी लाभप्रदता को बढ़ाने में असफल रहे तो इसकी परिणित निश्चित ही सुखद नहीं होगी। यहाँ मेरा आशय आपको निराश या भयभीत करने का नहीं है बल्कि मैं तो तस्वीर का एक पहलू मात्र आपके सामने रखना चाहता हूँ। नई स्लिपेजों के चलते हमारे परिचालनगत लाभ का एक बड़ा हिस्सा खराब हुए ऋणों हेतु प्रावधान करने पर खर्च करना पड़ा, मगर निवल लाभ में हुई बढ़त आने वाले सकारात्मक भविष्य के दरवाजे की चाभी जैसी है जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। छोटे एनपीए खातों में हुई वसूली के चलते हमारे बैंक के निवल एनपीए में आई कमी ने तुलन पत्र को काफी हद तक मजबूती प्रदान की है, मगर वसूली की दिशा में विगत वर्ष की भांति किसी बड़े कॉर्पोरेट एनपीए खाते में वसूली न हो पाना निराशाजनक भी है। ये हमारे लिए चुनौतियों का वक्त है, ये वक्त है अपने बैंक के प्रति ज्यादा समर्पित होने का ,ये वक्त है अपने बैंक के अस्तित्व की रक्षा का और कुछ बेहतर कर दिखाने का।

साथियों, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। दिन-प्रति-दिन बाजार बदल रहा है, बाजार की मांग भी बदलती जा रही है, कारोबारी मूल्य बदल रहे हैं, तकनीक का स्तर बदल रहा है, लोगों की वित्तीय आवश्यकताएं बदल रही हैं। हम एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। आज के इस प्रतिस्पर्धी दौर में बाजार का हिस्सा बने रहने के लिए सिर्फ परंपरागत तरीके ही पर्याप्त नहीं है बल्कि हमें ग्राहकों की जरूरतों को पहचानना होगा, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप सेवाएँ प्रदान करनी होंगी और डिजिटल सेवाओं के प्रचालन को बढ़ाना होगा जिससे ग्राहकों को तुरंत सेवाएँ मिल सकें। हमें अपने ग्राहकों को समस्त वित्तीय उत्पाद/ सेवाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करनी होंगी तथा ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि हमारे पास उनका भविष्य सुरक्षित है और हम वह बैंक हैं जिसकी कि उनको जरूरत है। हमें बगैर निराश हुए अपने बैंक के लिए समर्पित होना है। ऐसे समय में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की कुछ पंक्तियाँ आपको सौंपते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा,

नर हो न निराश करो मन को......
निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे.....

शुभकामनाओं सहित,

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश

प्यारे आइओबियन्स,

एक बार फिर अपने बैंक की तिमाही पत्रिका वाणी के माध्यम से आप सभी के साथ बैंकिंग संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के परिणाम आप सभी तक पहुँच ही चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को मार्च 2021 की तुलना में निवल लाभ को दोगुने स्तर तक पहुँचाने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। ये आप सभी के साझा प्रयासों का ही परिणाम है कि हम साल-दर-साल नया इतिहास रचते चले आ रहे हैं जिसके लिए आप सभी बधाई तथा प्रशंसा के पात्र हैं।

जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि हर नया वित्त वर्ष नई चुनौतियों और नए लक्ष्य लेकर आता है। ऊपरी तौर पर बैंक की वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट को देखते हुए मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है कि जिस दौर में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था अवसान के दौर पर थी, हम लाभार्जन कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। लेकिन अगर हम तुलन पत्र का अवलोकन करें तो पाएंगे कि इस वित्त वर्ष में हमारा परिचालनगत लाभ पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 133 करोड़ कम रहा, जोकि चिंता का विषय है। यद्यपि हमारे निवल लाभ में बढ़ोतरी हुई है, किन्तु आकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हमें विगत वित्त वर्ष की रूपये 5065 करोड़ की प्रावधानात्मक आवश्यकताओं की तुलना में इस वर्ष महज़ रूपये 4053 हज़ार करोड़ का प्रावधान करना पड़ा तथा इस अंतर ने ही हमारे लाभार्जन में योगदान दिया। अपनी सफलाओं का उत्सव मनाना तो अच्छा है मगर उस सफलता की इबारत को पढ़े बिना उत्सव में खो जाना हमें निश्चित रूप से बेहतरी की ओर नहीं ले जाएगा।

एक ओर बैंक की साख को बढ़ते देखना सुखदानुभूति तो देता है मगर साथ ये जानना कि इस बढ़त का ज़्यादातर हिस्सा केवल कुछ एक बड़े ऋण पोर्टफोलियो से ही जुड़ा हुआ है, निराश तो करता ही है, साथ ही बैंक के जोखिम प्रभार को भी बढ़ाता है। अपने बैंक के जोखिम प्रभार को बढ़ाए बिना बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है खुदरा ऋण। शाखाओं को अपना ध्यान खुदरा ऋणों की ओर केन्द्रित करना होगा। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को खुदरा ऋणों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना होगा तथा नियमित आधार पर शाखाओं के साथ अनुवर्तन करना होगा। हमें अपना ध्यान ब्याज आधारित आय सृजन की ओर केन्द्रित करना होगा ताकि हमारा बैंक स्थायी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। मैं पुनः उसी बात पर बल दूंगा जिस पर पहले ही विभिन्न मंचों से ज़ोर दिया जा चुका है; बैंक की प्रगति में प्रत्येक और हर कर्मचारी को योगदान देना होगा, खुदरा ऋणों के संवितरण को बढ़ाना होगा। विशेष रूप से आवास ऋण सेगमेंट के तहत नए ग्राहकों को जोड़ना होगा ताकि हम अपने ग्राहकों के साथ दीर्घावधि संबंध स्थापित कर सकें। आगे जा कर इन्हीं आवास ऋण के लाभार्थियों को वाहन ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि जैसे सुविधाएं भी दी जा सकें, जो अंततः बैंक के लाभार्जन के रूप में परिणामित होंगी। बैंक के लक्ष्यों की प्राप्ति हमारा दायित्व है, जब बैंक ने समाज में हमारी स्थिति में कई गुणा सुधार किया है तो यही सटीक समय है कि हम आम जनता के बीच बैंक की साख को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक व सशक्त कदम उठाएँ।

शुभकामनाओं सहित

अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश

प्रिय सहकर्मियो,

सबसे पहले आप सभी को एक और लाभार्जन वाली तिमाही और वित्त वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। वित्त वर्ष 2021-22 में दर्ज़ किए गए इस शानदार प्रदर्शन के लिए आप सभी समेकित रूप से बधाई के पात्र हैं। हमारा निवल लाभ विगत वर्ष की तुलना में बढ़ कर दोगुने से अधिक हो गया है जोकि अपने आप में उत्साहजनक है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसी तरह सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाभ के दोगुने हो जाने का रूटीन यूं ही बनाए रखेंगे और बैंक को नित नई बुलंदियों की ओर ले जाएंगे।

हमेशा की ही तरह आज भी मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करूंगी। एक वक्त की बात है जब एक साधारण से लड़के ने एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाना को छोड़कर पढ़ने-लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर ज्ञान ही सिख पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया इसीलिए उसी दिन से वो पढ़ाई-लिखाई छोड़-छाड़ कर संगीत सिखने में लग गया।

इसी तरह काफी उम्र बीत गई, न तो वह धनी ही हो सका न विद्वान ही और न ही एक अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। अंत में अपने जीवन के प्राप्य के आंकलन से उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई तो उसने महात्मा को अपने दुःख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, "बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है, जहाँ भी जाओगे कोई न कोई आकर्षण ज़रूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूँ ही चक्कर खाते रहोगे। बार-बार रूचि बदलते रहने से कहीं भी उन्नत्ति नहीं कर पाओगे।" युवक महात्मा की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। काफ़ी हद तक ये कहानी भी हमारी कार्यालयी दिनचर्या से मेल खाती है। हर तरफ से सभी कुछ में सर्वश्रेष्ठ कर लेने का दबाव बना रहता है और अंत में हम किसी भी क्षेत्र में बेहतर नहीं कर पाते हैं।

यहाँ मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है की आप अपनी शाखाओं में हर दिन केवल एक ही काम को लेकर उस पर मेहनत करते रहें। बल्कि मेरे कहने का अर्थ है कि हमें सबसे पहले अपनी शाखा के आस पास उपलब्ध अवसरों की पड़ताल करनी होगी और उसके बाद रणनीतिगत तरीके से उन लक्ष्यों को साधने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। उदाहरण के लिए अगर आप की तैनाती किसी ग्रामीण शाखा में हो तो आप चाहें कितने भी प्रयास कर लें मगर आप शाखा के एमएसएमई पोर्टफोलियो को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकेंगे, लेकिन अगर आप उसी ऊर्जा का इस्तेमाल फसल ऋण, आभूषण ऋण आदि के आबंटन में करेंगे तो निश्चित ही आप बेहतर कर पाएंगे। ये छोटे ऋण न केवल बैंक के सकल जोखिम स्तर को कम करेंगे बल्कि ये नए ग्राहकों से जुड़ने के लिए एक सशक्त आधार भी उपलब्ध करवाएँगे। आइए इस नए वित्त वर्ष में नए संकल्पों, योजनाओं तथा नई ऊर्जा के साथ हम बैंकिंग जगत में अपने बैंक को पुनः शीर्ष की ओर ले चलने का प्रयास करें।

शुभकामनाओं सहित...

एस श्रीमती

कार्यपालक निदेशक

महा प्रबंधक महोदय का संदेश

प्रिय साथियो,

वाणी के 132वें अंक, जिसे हमने महिला विशेषांक के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, के माध्यम से आप सभी से संवाद करते हुए असीम हर्षानुभव हो रहा है और इसी क्रम में सर्वप्रथम आप सभी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा । यद्यपि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की जड़ें सीधे तौर पर पश्चिमी देशों से जुड़ी नज़र आती हैं, किन्तु भारतीय परिदृश्य, विशेष रूप से सनातन धर्म में, महिलाओं के अधिकारों तथा उनकी सामाजिक स्थितियों को आदिकाल में ही लिपिबद्ध कर दिया गया था । यहाँ अपनी बात के समर्थन में प्रथम राजा स्वायंभुव मनु द्वारा रचित उस पुस्तक का एक श्लोक यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा जिसे अनुमानतः आज से 100 शताब्दी पूर्व लिखा गया था ।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।।
(मनुस्मृति 3/56)

(अर्थ : जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ नारियों का आदर नहीं होता है, उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं ।)

भारतीय सामाजिक परिदृश्य में नारी की स्थिति की अभिव्यंजना के लिए शायद ही इससे अधिक सटीक कोई अन्य सूक्ति कही गई होगी । यद्यपि कालांतर में विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा जबरन थोपे गए आदर्शों ने हमें हमारे मूल सिद्धांतों से भटका दिया किन्तु यह तथ्य निर्विवादित रूप से सत्य है कि कई शताब्दियों में विकसित जिस राष्ट्र की सभ्यता की मूल में बुद्धि, शक्ति व लक्ष्मी तीनों ही स्त्रियाँ हों वहाँ नारी के अधिकार तथा उनके सम्मान की भावना का सर्वोपरि हो जाना अपरिहार्य है ।

जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा बैंक महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है । इसी क्रम में एक बैंक होने के नाते यह न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यह हमारा दायित्व भी है कि हम अपने बैंक द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए उत्पादों के माध्यम से समाज की अभिवंचित निर्धन समुदाय की महिलाओं को समूहीकृत कर सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के प्रति क्षमता का विकास कर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने में अभूतपूर्व भूमिका निभा सकते हैं बल्कि हम इसी के साथ अपने बैंक के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो को भी बढ़ा सकते हैं । इस प्रकार के ऋण न केवल भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे बैंक की मदद करेंगे बल्कि हमारे बैंक के समेकित जोखिम प्रभार को कम करने में भी मदद करेंगे । किसी भी संगठन में इस तरह की रणनीतियाँ उस संगठन की समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीति का प्रमुख अंग होती हैं ।

हाल ही में आए वित्त वर्ष 2021-22 के वित्तीय परिणाम काफी उत्साहजनक हैं जिसके लिए आप सभी बधाई तथा प्रशंसा के पात्र हैं । बैंकर होने के नाते हमसे अत्यधिक पारदर्शिता तथा इस तरह की गतिविधियों से पूरी तरह तटस्थता की अपेक्षा की जाती है । चूँकि बैंकर्स लोक धन के ट्रस्टी होते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम यह सुनिश्चित करें कि भ्रष्टाचार की वज़ह से लोक धन नष्ट न हो । इस उद्देश्य हेतु आइए, भ्रष्टाचार के निवारण हेतु सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए जन सहभागिता को बढ़ावा दें । इस बात की काफी ज़रूरत है कि निर्णय लेने में अनुपयुक्त विलंब व किसी भी मध्यस्थता को दूर करते हुए भ्रष्टाचार की संभावना को कम करने के लिए सिस्टम्स व कंट्रोल्स को मजबूत किया जाए । आइए हम अपनी प्रतिबद्धता के साथ आइओबी को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले चलें।

शुभकामनाओं सहित...

शिव कुमार गुप्ता
महा प्रबन्धक

राजभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान

प्रिय पाठको,

वाणी पत्रिका का 132वाँ अंक आप सभी को सौंपते हुए असीम हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ । हमारे बैंक के लिए जनवरी से मार्च तिमाही कई मायनों में खास है । जनवरी माह में विश्व हिंदी दिवस, फरवरी माह में हमारे बैंक का स्थापना दिवस व अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तथा मार्च माह में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन स्टाफ सदस्यों के बीच एक उत्सवमयी वातावरण का निर्माण करता है । हम वाणी पत्रिका के इस नवीनतम अंक को महिला विशेषांक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य बैंक की सभी महिला स्टाफ सदस्यों के अनन्य योगदान को चिन्हित करना तथा उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना है । इस वर्ष 8 मार्च को हमारे सभी कार्यालयों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी झलकियों को इस पत्रिका में स्थान दिया गया है । 10 फरवरी 1937 को श्री एम.सीटी.एम चिदंबरम चेट्टियार ने एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ अपने देशवासियों के लिए एक नए बैंक के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना की थी जो आज तक नित नए कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है । हम सभी आइओबियन प्रत्येक वर्ष इस ऐतिहासिक दिन को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं जो हम सभी स्टाफ सदस्यों के बीच एक नव्य ऊर्जा का संचार करता है ।

भाषा की संवेदनशीलता किसी से छिपी नहीं है । भाषा न सिर्फ दिलों को जोड़ने के काम करती है बल्कि वह हमारे व्यक्तित्व को निखारने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है । जब हम कार्यालयी भाषा की बात करते हैं, तब भाषा के नाम पर हम राजभाषा हिंदी पर गहन विचार विमर्श करते हैं । परंतु भाषा की परिधि विशाल होती है, जिसमें राजभाषा के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाएं एवं बोलियां भी शामिल होती हैं । गृह मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी पनपने का समान अवसर दिया जाना चाहिए । राजभाषा हिंदी की विशालता इसी में है कि वह भारत की सभी भाषाओं को अपने में समेटते हुए अपना विकास कर रही है । भारतीय भाषाओं का समुचित प्रयोग एवं उनमें साहित्य सृजन न होने के कारण देश ने विगत 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो दिया है । साथ ही, यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है, जो कि सभी भाषाविदों के लिए चिंता का विषय है । 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर हमारे सभी कार्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति प्रेम एवं सद्भाव को प्रकट करता है । हम राजभाषा के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

वाणी के इस अंक में हमने सभी स्थायी स्तंभों को भी बरकरार रखते हुए, मुख्यत: महिला विषयक आलेखों को समाविष्ट करने का प्रयास किया है । विशेष आलेख स्तंभ में महिला अस्मिता के पक्ष में युगांतकारी क्रांति की प्रणेता नंगेली से परिचय करवाया गया है; समाज में परिवर्तन लाने वाली गंगूबाई काठियवाड़ी जैसी महिला पर मुखर आलेख; बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 जो महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने से संबंधित है; महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत – पूर्वोत्तर राज्यों विषयक आलेख में उस मातृसत्तात्मक प्रणाली की चर्चा की गई जो न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अनुकरणीय है । नज़र कानूनी स्तंभ में अपराधिक प्रक्रिया (पहचान) बिल का मूल्यांकन; ख़तों के रास्ते इतिहास स्तंभ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पत्र पर विमर्श; तथा साहित्य के सफरनामा स्तंभ में राहुल सांकृत्यायन के दार्शनिक विचारों पर प्रकाश डाला गया है । साथ ही, बैंकिंग विषयक ज्ञानवर्धक आलेखों को समावेशित किया गया है । हमें आशा ही नही बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह अंक आपको रूचिकर लगेगा तथा नवीन विषयों पर आपका ज्ञानवर्धन करेगा । आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में......

शुभकामनाओं सहित,

जगदीश चंद्र

सहायक महा प्रबंधक सह संपादक

बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021

मुकुल व्यास, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

किसी भी विकासशील देश के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपने देश की शिक्षा व्यवस्था व स्वास्थ्य व्यवस्था को सदैव प्राथमिकता दे । इस संबंध में भारत सरकार ने वर्तमान में कई आवश्यक कदम उठाए हैं, फिर चाहे वह शिक्षा प्रणाली में किया गया संशोधन हो या हाल ही में महिला स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करना हो । हमारे देश में 'विवाह' हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, फिर चाहें वह बाल विवाह से संबन्धित हो या पुनर्विवाह से संबंधित हो, किसी एक विशेष वर्ग द्वारा शादी पर किए जाने वाले खर्चे से संबंधित हो या विवाह हेतु लिए जाने वाले कर्जे से संबंधित हो । बेटी के जन्म से ही उसके विवाह की चिंता शुरू हो जाती है क्योंकि समाज में बेटी को पराया धन मान लिया जाता है । वैसे तो समय के साथ-साथ सोच में बदलाव आया है, अब बेटी के विवाह से अधिक उसकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी जा रही है और यह बेटियों के भविष्य को सुधारने के लिए आवश्यक भी है । भारत में बाल विवाह सदियों से किसी धर्म विशेष से न जुड़ा होकर सभी धर्मों, समुदायों और वर्गों में आदिकाल से एक प्रथा के रूप में चलन में है । बाल विवाह के कारणों में मुख्यतः गरीबी, अशिक्षा, पितृसत्ता आदि कारक अभिलक्षित होते हैं ।

हमारे देश में महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु को लेकर कानूनी व धार्मिक विविधता देखने को मिलती है । कानूनी तौर पर जहाँ महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष मानी जाती है वहीं कई धर्मों में महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र यौवन अवस्था (puberty) यानि 15 वर्ष के आस पास की मानी जाती है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से अनुचित है । इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पिछले दिनों महिलाओं की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विधेयक संसद में पेश किया । इस कदम के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्क भी प्रस्तुत किए गए । प्रस्तुत किए गए विधेयक के माध्यम से बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन किया गया है । यद्यपि पुरुषों के लिए शादी की कानूनी उम्र पहले से ही 21 वर्ष निर्धारित है । लोक सभा में बिल पेश करते समय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि "वैवाहिक जीवन में प्रवेश की न्यूनतम आयु के संबंध में हम महिलाओं को समान अधिकार दिलाने में 75 वर्ष पीछे हैं ।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 19वीं शताब्दी में लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष थी तथा 1940 तक शादी की आयु को 14 वर्ष किया गया । इस बिल में शादी की उम्र वाला प्रावधान देश के सभी समुदायों के विवाह संबंधी क़ानूनों पर लागू होगा, जिसके बाद देश में मौजूद तमाम विवाह क़ानूनों में भी संशोधन करना होगा । वर्तमान में विपक्ष के अनुरोध पर यह बिल जाँच के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया है ।

समाज सुधारक व राजनेता श्री हर बिलास शारदा जी ने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह की रोकथाम हेतु बिल प्रस्तावित किया था । शारदा जी ने इस बिल का प्राथमिक उद्देश्य बाल-विधवा को रोकना बताया । चूंकि विधवा विवाह समाज में अनुमत नहीं था इसलिए आगे जाकर यह बिल 'बाल-विवाह रोकथाम अधिनियम' कहलाया । इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए लड़की के लिए न्यूनतम आयु 14 साल तथा लड़कों के लिए 18 साल तय की गई थी ।

1978 में विवाह के लिए न्यूनतम आयु को बढ़ा कर लड़कियों के लिए 18 साल तथा लड़कों के लिए 21 साल कर दिया गया ।

संसद में बिल पेश करने से पूर्व 2020 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिससे महिलाओं की शादी की उम्र और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे माँ बनने की उम्र, मातृ मृत्यु दर, पोषण स्तर के बीच के संबंध को समझा जा सके । इसके चलते एक समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्रीमती जया जेटली ने की । सभी तथ्यों व आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए समिति इस निर्णय पर पहुंची कि कम उम्र में महिलाओं की शादी होने से उन्हें बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे पोषण, कमज़ोरी का सामना करना पड़ रहा है तथा समिति ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की सिफ़ारिश की । समिति ने साथ में यह भी स्पष्ट किया कि केवल उम्र बढ़ाने के लिए कानून लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा और इस संशोधित कानून को ज़मीनी तौर पर लागू करवाना आवश्यक है, जिसके लिए सरकार को महिलाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि जागरूकता पैदा की जा सके । राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच की विवाहित लड़कियों में से 7% लड़कियाँ गर्भवती पाई गई हैं । साथ ही यह भी बताया गया है कि कानून द्वारा अनुमति न दिए जाने के

बावजूद भी 23% लड़कियों का विवाह 18 साल की उम्र से पहले कर दिया जाता है।

टास्क फोर्स ने यह भी सुझाव दिया है कि समाज द्वारा इस फैसले को स्वीकार करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। स्कूल और विश्वविद्यालयों तक लड़कियों की पहुँच होनी चाहिए तथा दूर दराज के इलाकों में शिक्षण संस्थान होने पर परिवहन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सिफ़ारिश की है कि सेक्स एजुकेशन को भी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

हालांकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में बाल विवाह में 35.40% की कमी आई है तथा पुराने सर्वेक्षण की तुलना में किशोरावस्था में मातृत्व दर 46% से घटकर 31% रह गई है। हरियाणा व छत्तीसगढ़ राज्य में भी बाल विवाह की प्रतिशतता में कमी देखी गई है। एक तरफ ये आंकड़े उम्मीद जगाते हैं मगर सिक्के का दूसरा पहलू चिंताजनक है। सरकार ने भले ही लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया है लेकिन इससे बाल विवाह पर अंकुश लगाना आसान नहीं होगा। इस समस्या की जड़ें सामाजिक और आर्थिक है। आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होने के बाद भी कई राज्यों से बाल विवाह की खबरें आती रही हैं। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान बाल विवाह की प्रतिशतता में उछाल देखा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना में यह तथ्य सामने आया था कि लड़कियों के बाल विवाह के मामले में कई राज्यों में यह आंकड़ा 50% को पार करता है। एक आंकड़े के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक 1.2% लड़कियाँ स्कूल छोड़ती हैं, कक्षा 6 से 8वीं तक 2.6% लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं, जबकि 9वीं से 10वीं में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत बढ़कर 15.01% हो जाता है, जोकि बहुत ही चिंताजनक है। 2011 में हुई आखिरी जनगणना के आंकड़ों से यह पता चलता है कि 74 लाख लोगों की शादी 18 साल से कम उम्र में हुई थी जिनमें से 88% लड़कियाँ थीं।

भारत में विभिन्न राज्यों में महिला बाल विवाह का प्रतिशत :

बिहार	68.2%
राजस्थान	57.6%
झारखंड	55.7%
उत्तर प्रदेश	54.9%
पश्चिम बंगाल	54.8%
मध्य प्रदेश	53.8%
छत्तीसगढ़	45.2%
महाराष्ट्र	40.4%
उड़ीसा	37.5%
गुजरात	35.4%

इस कानून से बाल विवाह रोकने के अलावा वैधानिक बाध्यता के चलते लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा। कम उम्र में शादी होने से लड़कियों को गर्भावस्था संबंधी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फरीदाबाद में फोर्टिस अस्पताल की डॉ. इंदु तनेजा का कहना है कि "इस बिल के पारित होंने से टीनएज मैरिज बंद होंगी और प्रेगनेंसी की उम्र भी 21 वर्ष के बाद की ही होगी। टीनएज प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है। शादी की उम्र 21 करने से हाई बी.पी., एनीमिया, एक्सेस ब्लीडिंग जैसे कॉम्पलिकेशन कम होंगे।"

जया जेटली टास्क फोर्स के अध्ययन का मूल उद्देश्य – युवा छात्रों के बीच शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने, शादी की उचित उम्र व समय के संबंध में युवाओं के विचार लेना था। समिति का मानना था कि जो बिल युवाओं के लिए प्रस्तुत किया जाएगा उसके लिए युवाओं के विचार जानना बहुत आवश्यक है। सर्वे में शामिल 70% छात्रों ने शादी की न्यूनतम उम्र 21 करने के पक्ष में अपना समर्थन दिया, जिसमें 60% लड़के थे और 80% लड़कियाँ इसके पक्ष में थीं। सर्वे में सभी धर्मों के साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से समान रूप से फीडबैक लिया गया था। यानि देश की लड़कियों का संदेश साफ है कि उनकी शादी की उम्र बढ़ाई जाए।

प्रस्तुत किए गए बिल को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है :

- **शादी के लिए न्यूनतम आयु :** महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जानी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2(ए) के तहत बाल (child) की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा तथा उसकी उम्र को बढ़ा कर 21 वर्ष किया जाएगा।
- **लैंगिक समानता :** बिल से निश्चित ही महिलाओं व पुरुषों की वैवाहिक जीवन में प्रवेश की न्यूनतम कानूनी उम्र में समानता मिलेगी। यदि इस बिल को ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया तो यह एक ऐसा कानून होगा जिसके दाँत नहीं होंगे। इसके लिए लड़कों और लड़कियों में शिक्षा के अंतर को दूर करना होगा। लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना होगा।
- **याचिका दर्ज़ करना :** किसी भी बाल विवाह को अकृत और शून्य (null & void) करार देने के लिए महिलाओं व पुरुषों के पास 02 वर्ष का समय था, लेकिन अब महिलाओं के लिए इसे बढ़ाकर 05 वर्ष कर दिया गया है, अर्थात यदि 23 वर्ष से पहले याचिका दर्ज़ की जाती है तो शादी को अकृत और शून्य (null & void) करार दिया जा सकता है अन्यथा 23 वर्ष के बाद औपचारिक रूप से तलाक के लिए फाइल करना होगा।'
- **Notwithstanding Clause' की स्थापना :** इसके तहत यह

कानून सभी निजी क़ानूनों (personal law), विवाह अधिनियमों पर समान रूप से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पर्सनल लॉ व संवैधानिक लॉ में मतभेद होने की स्थिति में संवैधानिक लॉ मान्य होगा। चूंकि इस बिल को विशेष रूप से स्वास्थ्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है और स्वास्थ्य को भी भी किसी धर्म के आधार पर आँका नहीं जा सकता। इस प्रकार यह कानून सभी वर्णों, जातियों, धर्मों पर समान रूप से लागू होगा।

- महिला सशक्तिकरण : कम उम्र में शादी किए जाने की वजह से महिलाओं को पढ़ाई, नौकरी आदि के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं। वैवाहिक जीवन के कारण उन पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। शादी की उम्र बढ़ाने से महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। आत्मनिर्भर होने पर महिलाएँ आर्थिक रूप से भी किसी पर निर्भर नहीं रहेगी और साथ ही अपने लिए बेहतर निर्णय ले पाएँगी।

अंतरराष्ट्रीय रूप से अगर देखा जाए तो दुनिया के लगभग सभी देशों में ऐसे कानून विद्यमान हैं जो यह निर्दिष्ट करते हैं कि एक जोड़ा किस उम्र में शादी कर सकता है तथा इनमें से अधिकतर देशों में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शादी करने की अनुमति नहीं है। न्यू प्यू रिसर्च सेंटर विश्लेषण के अनुसार संयुक्त राष्ट्र राज्य विभाग व संयुक्त राष्ट्र के 198 देशों/ क्षेत्रों के आंकड़ों से यह पता चलता है कि वास्तव में लगभग 117 राष्ट्र (संयुक्त राज्य अमेरिका सहित) बाल विवाह करने की अनुमति देते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है, तो उसका जीवनसाथी (न्यायिक अनुमोदन के साथ) 16 वर्ष का हो सकता है। कई अन्य देश जैसे इराक, जमैका और उरुग्वे में बच्चे माता-पिता की अनुमति से शादी कर सकते हैं।

उपलब्ध आंकड़ों वाले कुल 38 देशों में से लगभग 1/5 देशों में पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु अलग-अलग है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में शादी करने के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष है। इन 38 देशों में से 37 में लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु लड़कों की अपेक्षा कम है। इसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र लेसोथो को एक अपवाद के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ महिलाओं को 21 साल की उम्र तक शादी करने के लिए माता-पिता की अनुमति की आवश्यकता होती है।

विभिन्न देशों की कानूनी न्यूनतम उम्र :

देश	महिला	पुरुष
चीन	20	22
बांग्लादेश	18	21
भारत	18 (21)	21 (21)
जापान	20	20
संयुक्त राज्य	18	18
ब्राज़ील	18	18
रूस	18	18
मलेशिया	16	18

धार्मिक संबद्धता के आधार पर कई देशों में उम्र की अलग-अलग आवश्यकताएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए, फिलीपींस में जोड़े यदि वे मुस्लिम नहीं हैं तो बिना अनुमति के शादी करने के लिए 21 वर्ष का होना आवश्यक है किन्तु मुस्लिम लड़के 15 साल की आयु में शादी कर सकते हैं और मुस्लिम लड़कियाँ युवावस्था (puberty) में शादी कर सकती हैं। तंजानिया में, मुस्लिम और हिंदू लड़कियाँ 12 साल की उम्र में शादी कर सकती हैं परंतु 15 साल की आयु के बाद ही शादी को पूर्ण माना जाएगा, जिसको आम भाषा में गौना करना कहा जाता है।

बाल विवाह की सर्वाधिक संख्या वाले देश :

भारत	15,509,000
बांग्लादेश	4,451,000
नाईजीरिया	3,538,000
ब्राज़ील	3,034,000
इथोपिया	2,104,000
पाकिस्तान	1,909,000

सूत्र : संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया जनसंख्या संबंधी डेटा

*18 वर्ष से पहले शादी होने वाली महिलाओं की संख्या

27 देशों में पति-पत्नी दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। मोटे तौर पर इन 27 देशों में से 14 देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हैं। उदाहरण के लिए चीन में पुरुषों की उम्र 22 और महिलाओं की उम्र 20 साल है। 96% देशों में ऐसे कानून हैं जो निर्दिष्ट करते हैं कि लोग कानूनी रूप से कब शादी कर सकते हैं। केवल छः देश - इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, सऊदी अरब, सोमालिया, दक्षिण सूडान और यमन विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्दिष्ट नहीं करते हैं।

स्वयं सहायता समूह का आत्मनिर्भर भारत में योगदान

अभिनव पाण्डेय, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) , मूल रूप से 10 से 20 लोगों का अनौपचारिक संगठन होता है, जो सम्मिलित रूप से साथ मिलकर अपने सदस्यों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता है । इसके अंतर्गत , एक ही सामाजिक – आर्थिक परिवेश में रहने वाले लोग , साझे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साथ मिलकर एक स्वशासित समूह का निर्माण करते हैं और अपने सदस्यों को बचत, मितव्ययिता पर लगाम, स्वयं सहायता एवं साख जैसे आर्थिक गुणों को सिखाकर उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करते हैं । स्वयं सहायता समूहों का चलन मुख्यतः दक्षिण एशियाई देशों में देखने को मिलता है और उसमें भी प्रमुख रूप से भारत में । भारत में गाँवों में सामुदायिकता एवं पारस्परिक सहायता का चलन प्राचीन काल से ही रहा है । भारत में गाँव स्तर की अर्थव्यवस्था में पारस्परिक सहयोग तथा समन्वय का विशेष योगदान होता है । देश की आज़ादी के बाद, जिन चुनौतियों से देश जूझ रहा था उनमें गरीबी सबसे बड़ी समस्या थी, उस समय भारत जैसे विशाल देश, जिसकी अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण थी, के लिए बिना पारस्परिक सहयोग के गरीबी उन्मूलन जैसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाना असंभव था । भारत में 75% से 80% आबादी की आय का मुख्य साधन कृषि है, जिसमें भी रोजगार सिर्फ 6 -7 माह तक ही मिल पाता है । आय के स्रोत ज्यादा नहीं हैं और पूँजी के अभाव में कोई नया व्यवसाय शुरू कर पाना भी संभव नहीं हो पाता है । बैंक भी निम्न आय एवं साख के चलते ऐसे लोगों को पूँजी प्रदान करने में ज्यादा रूचि नहीं दिखाते, साथ ही अशिक्षा के चलते ग्रामीण भी बैंकों तक पहुँचने में संकोच करते हैं । ऐसे ही लोगों की सहायता करने में स्वयं सहायता समूह बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हैं । वैसे तो स्वयं सहायता समूह किसी भी प्रकार का हो सकता है परन्तु वर्तमान में महिला स्वयं सहायता समूह ही प्रमुख रूप से प्रासंगिक हैं और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मूर्त भूमिका निभा रहे हैं ।

हमारे देश में स्वयं सहायता समूहों का इतिहास प्रतिष्ठित स्वैछिक संस्थाओं जैसे सेल्फ एम्पलाइड वीमेन एसोसिएशन, (S E W A) अहमदाबाद, मयराडा (MYRADA), बंगलुरु से शुरू हुआ माना जा सकता है । मयराडा, बंगलुरु ने वर्ष 1968 से ही सामाजिक कार्य के प्रति अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी । यह एक ऐसी पहली गैर सरकारी संस्था थी जिसने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के प्रयासों के साथ उनकी आर्थिक गतिविधियों में प्रोत्साहन देना शुरू किया । मयराडा ने मुख्य रूप से चीन युद्ध के पश्चात् तिब्बत से आये तिब्बतियों को पुनर्स्थापित करने का कार्य शुरू किया । दूसरे दौर में इस प्रकार वर्ष 2000 तक लाखों लोगों को सुविधाएँ देकर उनके जीवन स्तर को उठाने का लक्ष्य बनाया ।

देश में स्वयं सहायता समूहों की बढ़ती उपस्थिति के बावजूद औपचारिक ऋण प्रणाली तक इनकी पहुँच बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने फरवरी 1992 में स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्यिक बैंकों से जोड़ने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की, जिसमें (बाद में) सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी शामिल कर लिया । वर्ष 1992-93 में 500 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों से जोड़ कर इस पायलट योजना का प्रारंभ हुआ । इस कार्यक्रम के तहत कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में वैश्य बैंक द्वारा एक स्वयं सहायता समूह को सबसे पहला ऋण प्रदान किया गया । वर्ष 1993-94 में 650 स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा गया और वर्ष 1994-95 में लिंकेज की संख्या बढ़ कर 2212 हुई जिसमें बैंक द्वारा प्रदत्त कर्ज रु. 224.5 लाख था । इस स्वयं सहायता समूह बैंक लिकेंज कार्यक्रम की सफलता से आकर्षित होकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक कार्यकारी समूह का गठन किया जिसमें प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था, एकेडेमेशियन (प्रबुद्ध शिक्षा विद), बैंक के पदाधिकारीगण इत्यादि शामिल थे और नाबार्ड के प्रबंध निदेशक श्री एस० के० कालिया की अध्यक्षता में बनी इस टीम ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिकेंज कार्यक्रम को एक सफल एवं प्रभावी पूरक ऋण वितरण प्रणाली पाया और भारतीय रिज़र्व बैंक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 अप्रैल 1996 को अपने परिपत्र के जरिए बैंकों, के अनिवार्य प्राथमिक क्षेत्र लक्ष्यों में, स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋणों को सम्मिलित करते हुए एसएचजी लिंकेज को बैंकों की ऋण गतिविधियों की मुख्यधारा का भाग बना दिया । रिज़र्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में बैंकों को कई निर्देश जारी किए गए जिनमें प्रमुख थे :

- बैंक अपनी कॉर्पोरेट रणनीति/योजनाओं एवं अपने अधिकारियों व कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों के अनुबंधों/सम्पर्क को शामिल करेंगे ।
- स्वयं सहायता समूह ऋण वितरण को बैंक अपनी सेवा क्षेत्र योजना का भाग बनाएं ।
- स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण को एल. बी. आर. प्रतिवेदन प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए और उनका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए ।
- बैंकों को अनौपचारिक समूहों, जैसे स्वयं सहायता समूहों का बचत खाता, अनिवार्य रूप से खोलना है ।
- मार्गदर्शी योजना के अंतर्गत (आर० बी० आई० परिपत्र, दिनांक 24 जुलाई 1991) अतिरिक्त राशि, प्रतिभूति मानदंडों आदि से सम्बन्धित लचीलेपन की जो छूट है, उसे जारी रखा जाएगा ।
- बैंक स्वयं सहायता समूहों के ऋण भुगतान के लिए सामान्य दस्तावेज़ीकरण निर्धारित कर सकते हैं । आर० बी० आइ० द्वारा जारी किए गए विहित मानक प्रपत्र अपनाएं जा सकते हैं ।.

इस सम्बन्ध में स्वयं सहायता समूह की विशेषताएँ भी निर्धारित की गयीं जो कि एसएचजी के बैंक के चयन हेतु मापदंड भी हैं। इन्हीं मापदंडों के अनुरूप नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह की निम्नलिखित परिभाषा तय की हुई है :

- समूह के सदस्यों की संख्या सामान्यतः 10 से 20 के बीच होनी चाहिए। ऐसा समूह निबंधित (रजिस्टर्ड) भी हो सकता है और नहीं भी।
- समूह को अपने लिए एक आचार संहिता (Bye Laws) बनानी चाहिए जो सभी को जोड़े रखती हो।
- स्वयं सहायता समूह का मूल लक्षण सभी सदस्यों द्वारा की जाने वाली नियमित आंतरिक बचत है। इस बचत से समूह की समेकित निधि का निर्माण होना चाहिए।
- समूह को अधिकार है कि वह अपनी समेकित निधि से अपने सदस्यों को कर्ज़ प्रदान करे और दिए जाने वाले ऋण और बचत की ब्याज दर समूह द्वारा ही तय की जानी चाहिए।
- समूह की बैठकें नियमित अंतराल पर होनी चाहिए और समूह को लोकतान्त्रिक तरीके से कार्य करते हुए इन्ही बैठकों में अपने पदाधिकारियों का चुनाव करना चाहिए। समूह में सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- समूह को समस्त कामकाज एवं बैठकों का सामान्य रिकॉर्ड रखना चाहिए। बैंक से कर्ज़ प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त यह भी है कि समूह कम-से-कम छः माह से सक्रिय रूप से अस्तित्व में हो और वे दूसरे बैंक का डीफ़ाल्ट न हो।
- यद्यपि कुछ विशेष परिस्तिथियों में सदस्यों की संख्या 10 से कम और 20 से ज्यादा भी हो सकती है। स्वयं सहायता समूह के 80% सदस्य गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए।

इसी कड़ी में स्वयं सहायता समूहों के साथ सहयोग में लगे हुए गैर सरकारी संस्थाओं के लिए भी निर्देश जारी किए गए कि वे भी बैंकों एवं समूहों के बीच एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हुए, समूहों की आर्थिक जागरूकता में योगदान दें। इस कार्य में लगी हुई संस्थाओं को भी नाबार्ड के कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है जिनमें संस्था का अच्छा कामकाजी रिकार्ड, ऑडिटेड बैलेंस शीट समेत अच्छी वित्तीय स्थिति एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में की जा रही, संस्था की गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।

लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों की प्रमुख भूमिकाएं निम्नवत हैं:

1. स्वयं सहायता समूह को बचत खाता संचालन की सुविधा देना और समूह को ऋण देने में लचीला रुख रखते हुए ऋण के समय जमानत और मार्जिन राशि पर छूट देना।
2. गैर सरकारी संस्था एवं समूह के साथ सम्बन्ध बनाना और समूह के स्वस्थ संचालन/लिंकेज पर ध्यान देना. मार्गदर्शन एवं लगातार सम्बन्ध रखने की प्रक्रिया के द्वारा ऋण लेन-देन कार्यकलाप के बारे में गैर सरकारी/संस्था/समूह को विश्वास में रखते हुए समूह को बैंक का योग्य योजनाओं/कार्यकलापों का विवरण उपलब्ध करवाना।

3. यदि अपने क्षेत्र में गैर सरकारी संस्था कार्य न करती हो तो बैंक का समूह सहायता प्रोत्साहन संस्थान के रूप में कार्य करना।

स्वयं सहायता समूह का निर्माण एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। ऐसा देखा गया है कि समूह के सदस्य शुरुआत में उपभोग कार्य (बीमारी, शादी, शिक्षा इत्यादि) में ज्यादा खर्च करते हैं। कुछ समय उपरांत खर्च उत्पादन कार्य की ओर बढ़ता है और जैसे-जैसे समूह पुराना होता जाता है, उसके कर्ज धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। उम्मीद की जाती है कि अब समूह अनुभवी हो चुका है और कर्ज प्रबंधन की क्षमता प्राप्त कर चुका है। इसी वक्त समूह को पर्याप्त कोष की आवश्यकता होती है और इस हेतु उसे किसी स्थानीय वित्तीय संस्था से सहबद्ध किया जाता है। समूह गठन के बाद सदस्यों के बीच आपसी लेन-देन (बचत-ऋण) की प्रकिया शुरू हो जानी चाहिए। समूह के पदाधिकारी को (सक्रिय सदस्यों के साथ) नजदीकी बैंक के प्रबंधक व पदाधिकारियों से सम्पर्क करना चाहिए और समूह की प्रक्रियाओं, नियमावली, उद्देश्यों से परिचित करवाना एवं बैठकों में आने का आमन्त्रण देना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों के लिए सेवा क्षेत्र के बैंक शाखा के अलावा अन्य शाखा में भी बचत खाता खोल सकते हैं। 1991 से नाबार्ड और आरबीआइ के साथ साथ आइएफ़एडी (इंटरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट) भी उन प्रमुख एजेंसियों में से एक है जिन्होंने स्वयं सहायता समूहों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। आइएफ़एडी, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अभिकरण है जो कि विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं भुखमरी के उन्मूलन के लिए प्रयासरत है। 172 सदस्य देशों वाले आइएफ़एडी का मुख्यालय रोम, इटली में है। भारत आइएफ़एडी के संस्थापक सदस्यों में से एक है और वर्तमान में अभिकरण की सी-II सूची का सदस्य और एक प्रमुख अंशदाता है। आइएफ़एडी, गाँवों में गरीबी उन्मूलन के कार्यों में लगे हुए एनजीओ को आर्थिक अभिदान भी प्रदान करता है।

2008 में आई रंगराजन समिति की रिपोर्ट ने देश में वित्तीय समावेशन की संकल्पना प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने वित्तीय समावेशन के सामने 4

सबसे बड़ी चुनौतियों को प्रस्तुत किया –

- संपार्श्विक प्रतिभूति दे पाने की अक्षमता
- ऋण के इस्तेमाल की कमज़ोर क्षमता
- वित्तीय संस्थाओं तक पहुँच का न होना
- ग्रामीण क्षेत्रों में कमज़ोर सामुदायिक तंत्र का होना

इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक तंत्र के विकास एवं बैंक ऋण लिंकेज को गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व माना। रिपोर्ट ने स्वयं सहायता समूहों को सामाजिक पूँजी एवं कौशल के विकास का सबसे ज़रूरी संसाधन माना, वो भी खासकर महिलाओं की। वर्ष 2011 में केंद्र सरकार ने एसजीएसवाइ (स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना), जोकि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की सबसे प्रमुख योजना थी, को खत्म करके एक समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाते हुए एनआरएलएम (नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन) की शुरुआत की। इस योजना के केंद्र में स्वयं सहायता समूह हैं, जिनके माध्यम से लोगों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। एनआरएलएम एक बहुचरणीय योजना है जिसमें राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, विकास खंड स्तरीय और अंत में ग्रामीण स्तर तक समितियों का गठन किया गया। अंतिम स्तर पर वीओ, बैंक मित्र, बैंक सखियों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा समूहों को बैंकों से जोड़े जाने का लक्ष्य तय किया गया। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ देश में आज भी 45% समूहों की पहुँच बैंकों तक नहीं हैं। एनआरएलएम के अंतर्गत देश के समस्त स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों ने भी अपने यहाँ एसआरएलएम (स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन) की शुरुआत की है। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 तक करीब 1 करोड़ समूहों को बचत के लिए बैंकों से जोड़ा जा चुका है और तकरीबन 50 लाख समूहों को बैंक ऋण प्रदान किये जा चुके हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2017 तक 46 लाख समूहों को ऋण ज़रूरतों के लिए बैंकों से जोड़ा जा चुका है जिससे करीब 5 करोड़ ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए हैं। एनआरएलएम के अंतर्गत 2025 तक 8 करोड़ परिवारों को लाभ के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है।

मिशन के अंतर्गत समूहों को चरणबद्ध तरीके से कम से कम 10 लाख रूपये के ऋण, 5-6 वर्ष की अवधि में मिलने चाहिए। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 1 जुलाई 2017 को जारी किए परिपत्र के अनुसार बैंकों को एसएचजी को 2 प्रकार के ऋण प्रदान करने को कहा गया:

कैश क्रेडिट ऋण:

कम से कम 5 लाख रुपये का ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाना है। इस ऋण पर प्रतिवर्ष आहरण सीमा तय की जानी है जो कि इस प्रकार होनी चाहिए-

- प्रथम वर्ष हेतु 6 माह की कुल जमा या 1 लाख रूपये, जो भी अधिक हो
- द्वितीय वर्ष हेतु 8 माह की कुल जमा या 2 लाख रूपये, जो भी अधिक हो
- तृतीय वर्ष हेतु एसएचजी द्वारा तैयार की गयी सूक्ष्म ऋण योजना या 3 लाख रुपये, जो भी अधिक हो
- चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के लिए एसएचजी द्वारा तैयार की गयी सूक्ष्म ऋण योजना या 3 लाख रुपये, जो भी अधिक हो

सावधि ऋण:

बैंकों द्वारा एसएचजी को 4 अंशों में सावधि ऋण प्रदान करने हैं। इन अंशों का विवरण निम्नलिखित है-

- प्रथम अंश हेतु 6 माह की कुल जमा या 1 लाख रूपये, जो भी अधिक हो
- द्वितीय अंश हेतु 8 माह की कुल जमा या 2 लाख रूपये, जो भी अधिक हो
- तृतीय अंश हेतु एसएचजी द्वारा तैयार की गयी सूक्ष्म ऋण योजना या 3 लाख रुपये, जो भी अधिक हो
- चतुर्थ अंश के लिए एसएचजी द्वारा तैयार की गयी सूक्ष्म ऋण योजना या 3 लाख रुपये, जो भी अधिक हो

बैंक ऋण देते समय समूह की ग्रेडिंग, पुराने अंश ऋण की संतोषजनक वसूली, समूह की पुरानी साख को ध्यान में रखते हुए, ऋण सम्बन्धी फैसले लेते हैं।

भारत में स्वयं सहायता समूहों ने अपने उद्भव से अभी तक कई सफल लक्ष्यों को प्राप्त किया है। केरल में कुदुमश्री (KUDUMSHREE), महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल इन्हीं सफलताओं का उदाहरण है जो अपने सदस्यों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ-साथ उनके आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह न सिर्फ आर्थिक रूप से अपितु सदस्यों के सामाजिक उत्थान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सामूहिक प्रयासों से दहेज़ एवं शराब की लत जैसी बुराइयों से लड़ना हो, महिलाओं की आत्म-निर्भरता, राजनैतिक भागीदारी, वित्तीय समावेशन में योगदान, सदस्यों में मितव्ययिता और बचत जैसे गुणों का विकास, सदस्यों में उद्यमिता का विकास, इस तरह के कई सामाजिक आर्थिक लाभों की प्राप्ति में स्वयं सहायता समूहों का आविर्भाव एक महत्त्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी कोरोना काल में देश के सामने आए संकट में महिला स्वयं सहायता समूहों ने बागडोर अपने हाथों में संभाली और तकरीबन 90% जिलों में फेस मास्क, सैनेटाईजर बनाने, सामुदायिक रसोइयाँ चलाने से लेकर, आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्य सामग्री के वितरण,लोगों में स्वास्थ्य सफाई तथा गलत जानकारी के बारे में जागरूकता फैलाने तक इन समूहों ने प्रशंसनीय कार्य किए हैं। इसी प्रकार के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना प्रस्तुत की गयी है, स्वयं सहायता समूह उस संकल्पना का एक अभिन्न अंग है और बैंकों तथा स्वयं सहायता समूहों की पारस्परिक साझेदारी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

नंगेली – बिसरे अतीत की नायिका

संगीता शेखर, वरिष्ठ प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोयंबत्तूर

हालांकि महिलाओं की स्थिति की सटीक विवेचना के करने के लिए साहित्य नाम मात्र को ही उपलब्ध हैं लेकिन 1730 ई. के आसपास तंजावुर त्र्यम्बकयज्वन की स्त्रीधर्मपद्धति को एक महत्वपूर्ण अपवाद के रूप में गिना जा सकता है। लगभग 290 साल पुरानी इस किताब में प्राचीन काल के अपस्तंभ सूत्र (चौथी शताब्दी ई.पू.) के काल के नारी सुलभ आचरण संबंधी नियमों को संकलित किया गया था। अब अगर किताब की विषय-वस्तु तथा वेदों व ग्रन्थों आदि के संदर्भों का निचोड़ निकाला जाए तो वैदिक काल तथा वैदिकोत्तर काल में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर का दर्ज़ा प्राप्त था। पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों के अनुसार प्रारम्भिक वैदिक काल से ही महिलाओं को शिक्षा दिए जाने का प्रावधान था। ऋग्वैदिक काल की ऋचाएँ यह बताती हैं कि महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी और संभवतः उन्हें अपना पति चुनने की भी आजादी थी। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वियों और संतों के बारे में बताते हैं जिनमें गार्गी, अपाला और मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय हैं।

यद्यपि लगभग 500 ईसा पूर्व के बाद (विशेषकर मनुस्मृति के आगमन के पश्चात) से ही महिलाओं की स्थिति में निरंतर गिरावट आनी शुरु हो गयी। बाबर एवं मुगल साम्राज्य के इस्लामी आक्रमणों के बाद ब्रिटिश हुकूमत के आने तक उनकी स्थिति में इतना पतन हुआ कि तमाम तरह की प्रथाओं ने अपने जड़ें पसार लीं और समाज में कई तरह की कुरीतियाँ रच-बस गईं। महिलाओं की आजादी और अधिकारों को हर संभव हद तक सीमित कर दिया गया। वर्ग विशेष ने निजी हितों की रक्षा के लिए तथा अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए पुराने वेदों आदि की बातों को अपने मन मुताबिक तोड़ा और मरोड़ा। यहाँ मेरा आशय मनुस्मृति की मुख़ालफत करना ज़रा भी नहीं, मगर एक बात जो नोट की जानी चाहिए, वह यह है कि इस सब के बीच मनुस्मृति की कर्म आधारित जाति व्यवस्था, जन्म आधारित जाति व्यवस्था में कब बदली इसके ऊपर किए गए शोधप्रबंध सैकड़ों लोगों को डॉक्टरेट की डिग्री दिलवा सकते हैं। अन्यथा जिन वाल्मीकि को महर्षि की उपाधि प्राप्त हो गई, उनके वंशजों के कानों में आरती की आवाज़ पड़ जाने भर पर पिघला शीशा भरने की नौबत तो कभी नहीं आती।

जैसा कि सर्वविदित है कि दुनिया के सारे युद्ध ज़मीन पर नहीं स्त्री देह पर लड़े जाते हैं। ऐसे में जब शुचिता के नाम पर सारी की सारी पाबंदियों स्त्रियाँ पर लाद दी जाती हों, कुल की मान मर्यादा को स्त्री के अंग विशेष से जोड़ दिया जाता हो, तो किसी नस्ल, उसके स्वाभिमान को वहाँ की स्त्रियाँ का शोषण कर आसानी से कुचला जा सकता है। संभवतः इन्हीं कारणों के चलते चाहें वह धर्म के नाम पर हो; रंग के नाम पर हो; नस्ल के नाम पर हो; या जाति के नाम पर, शोषण के काल चक्र की पहली मार भी हमेशा स्त्रियाँ की ही पीठ पर पड़ती है। ऐसे में जब-जब इन व्यवस्थाओं के खिलाफ़ कोई स्त्री आवाज़ उठाती है तब-तब उसे असहनीय पीड़ा व दु:ख का भागी बनना पड़ता है। वह ये त्याग अपने लिए नहीं करती, वो असहनीय पीड़ा सहती है तो बस आने वाली नस्लों के लिए और इतने त्याग के बाद भी आने वाली नस्लें उसका नाम तक याद न रख सकें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? वैसे भी अगर बात भारत के इतिहास के बारे में हो तो ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड की वो बात बे-तरह याद आती है जब वो कहते हैं कि "India is a country where people can easily lost and quickly forgotten."

इसी क्रम में आज आप सभी का परिचय जाति व्यवस्थागत शोषण के विरुद्ध खड़ी हुए एक ऐसी नायिका से करवा रही हूँ, जिसे इतिहासकारों ने भले ही अपनी लेखनी में जगह न दी हो, जिसके त्याग और साहस को बदलते वक़्त के साथ भुला दिया गया हो, किन्तु उसने दलित स्त्रियाँ की अस्मिता के लिए न केवल आवाज़ उठाने का साहस किया बल्कि प्रतिरोध झेलते हुए अपने प्राणों की आहुती तक दे दी। यह बात करीब 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है जब केरल का अधिकांश हिस्सा त्रावणकोर के राजा के शासनाधीन हुआ करता था। छुआ-छूत, सामाजिक बहिष्कार जैसी चीजें आम थीं। 19 वीं सदी की शुरुआत में एक समय ऐसा भी था जब केरल में महिलाओं को अपने शरीर के ऊपरी भाग को कपड़े से ढंकने के लिए "मूलक्करम" या स्तन कर नाम का कर चुकाना पड़ता था। निचली जाति के पुरुषों और महिलाओं दोनों - मुख्य रूप से ईषवा/ तिय्या और दलित समुदायों - को उच्च जाति के सदस्यों के सामने अपने शरीर के ऊपरी भाग को किसी भी तरह के कपड़े या किसी अन्य चीज़ से छुपाने की अनुमति नहीं थी। यह एक प्रकार से विनय का संकेत माना जाता था और यह महत्वपूर्ण था कि वे हर हाल में इसका अनुपालन करें। संभवतः कपड़ों को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था और गरीब और निचली जातियां इसकी हकदार नहीं थीं और इसी कारण इस तरह के बेतुके प्रावधान बनाए गए थे। एक महिला को अपने स्तनों को ढंकने का अधिकार तभी दिया जाता था जब वह सरकार को इस से सम्बद्ध कर का भुगतान करती थी। इसलिए महिलाओं ने इज्जत को दांव पर रखकर स्तन ढंके बिना ही जीना स्वीकार किया।

यह वह समय था जब केरल में जाति व्यवस्था अपने दमनकारी चरम पर थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने यह सुनिश्चित किया कि निचली जातियां कर्ज और गरीबी के चक्र में बनी रहे जबकि उच्च जाति के लोग फलते-फूलते रहे। यहाँ तक कि नायर महिलाओं को भी इस व्यवस्था के दायरे से छूट नहीं दी गई थी, उन्हें भी ब्राह्मणों के सामने और मंदिरों में प्रवेश करते समय मूर्ति के सामने अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढंकने की अनुमति नहीं थी। आज भले ही यह जानना आपको

आश्चर्य, ग्लानि व विषाद से भर दे किन्तु उस समय "मूलक्करम" के संग्रहण व उसके निर्धारण के लिए कर अधिकारियों की समिति बनाई गई थी जो अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढंकने वाली उन सभी महिलाओं के घर जाती थी जिनके लिए स्तन ढंकना प्रतिबंधित था। कर अधिकारी प्रतिबंधित होने के बावजूद भी अपने स्तनों को ढंकने वाली स्त्रियों के स्तनों के आकार तथा वजन का मुआयना करने के बाद उन्हें ढंकने के एवज में चुकाए जाने वाले कर का निर्धारण करते थे तथा उन स्त्रियाँ को अपने स्तन ढंकने का कर हर माह राजकोष में जमा करवाना पड़ता था। ऐसे स्थिति में जो महिलाएँ कर का भुगतान कर अपनी अस्मिता की रक्षा के विकल्प का चुनाव करती थीं उन्हें भी अंततः कर अधिकारियों के हाथों अपमानित होना पड़ता था।

"चन्नार विद्रोह" जिसे मलयालम में "मारुमरक्कल समरम" भी कहा जाता है, केरल में महिला मुक्ति के लिए सबसे प्रथम संघर्षों में से एक माना जाता है, हमारे आज के इस लेख की केन्द्रीय नायिका इसी विद्रोह से जुड़ी हुई है जिसका नाम आज भी स्थानीय महिलाओं के बीच सम्मान तथा गर्व के साथ लिया जाता है। इसका हिस्सा बनने वाले विद्रोह के सभी रूपों में से, नंगेली नाम की एक महिला की कहानी सबसे अलग है; एक कहानी जो संघर्ष का प्रतीक बन गई है। एक नारी द्वारा अस्मिता की रक्षा के लिए किया गया एक त्याग, जिसे सदियों तक याद रखा जाना चाहिए। नंगेली, जो 19 वीं शताब्दी की शुरुआत में केरल के चेरत्तला नामक स्थान पर रहती थी, को निचली जाति पर लगाए गए स्तन कर या "मुलक्करम" से ईषवा जाति की नंगेली को बेहद गहरी आपत्ति थी। हालांकि उसकी मां, दादी, बहनें और परिवार की सभी महिलाएँ इस नियम का मजबूरी में पालन करती आ रहीं थी, पर नंगेली के लिए यह शर्मनाक था। इसलिए नंगेली ने अपने स्तनों को कपड़ों से ढंकना शुरू कर दिया। जब इस बात की जानकारी कर अधिकारी को मिली तो उसने उस समय पर राज दरबार द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अनुसार नंगेली के परिवार पर कर लगाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने नंगेली को समझाया कि उनका परिवार सम्पन्न नहीं है और वे कर नहीं चुका सकते। लेकिन नंगेली ने पर्दा हटाने से इंकार कर दिया। जब कर अधिकारी नंगेली के घर कर निर्धारण तथा बीते माह हेतु कर मांगने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नंगेली पूरी तरह खुद को ढंके हुई थी।

अधिकारी ने उससे कर के साथ जुर्माना भी मांगा, लेकिन नंगेली ने देने से इंकार कर दिया। उसने कहा कि अपने शरीर की इज्जत करना, उसे ढंकना या खुला रखना यह उसका निजी मामला है, इसमें राज्य का दखल नहीं होना चाहिए। जब उच्च वर्ग की महिलाओं को यह अधिकार है कि वे खुद को अपने हिसाब से सहेजें तो फिर हमें क्यों नहीं? अधिकारी ने नंगेली पर जुर्माना बढ़ा दिया। इसके साथ ही वह कर न चुकाने पर सजा दिलवाने की धमकी देता रहा। उस समय अछूत कहे जाने वाले लोगों के हाथ से पैसे लेते समय उस व्यक्ति से छूकर अपवित्र हो जाने के डर के चलते नीची जाति के लोगों को पैसे केले के पत्ते पर रख कर देने का प्रावधान बनाया गया था। ऐसा कहा

जाता है कि, आखिर में नंगेली घर के भीतर गई और उसने केले के पत्ते पर पैसे रख कर देने के बजाय, कर अधिकारी के सामने अपने स्तनों को चाकू से काट कर केले के पत्ते पर रखा और पत्ता कर अधिकारी की ओर बढ़ा दिया। यह सबकुछ इतना अचानक हुआ कि अधिकारी घबरा कर वहां से भाग गया। वहीं दूसरी ओर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसी दिन नंगेली की मृत्यु हो गई। केरल का इतिहास बताता है कि जब नंगेली का दाह संस्कार किया जा रहा था उसी समय नंगेली के पति चीरुकण्ठन ने दु:ख के मारे उसकी चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। जोकि भारत के इतिहास में संभवतः पहला एवं आखरी जौहर था जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की चिता में कूद कर आत्माहत्या की थी।

नंगेली की मृत्यु ने जहां एक ओर त्रावणकोर के राज दरबार के सामने विद्रोह का मोर्चा खोल दिया तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय महिलाओं को एक सबक भी सिखाया कि उन्हें अपने अधिकारों तथा अपने आत्मसम्मान की लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। चारों तरफ से दबाव बढ़ता देख कर त्रावणकोर के राजा को स्तन कर प्रणाली को रद्द करना पड़ा। जल्द ही त्रावणकोर के तत्कालीन राजा श्रीमूलम तिरुनाल ने शाही उद्‌घोषणा जारी करके संबन्धित कर नियम/ कानून वापस ले लिया। हालांकि दूर दराज़ के इलाकों में इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त होने में काफी समय लग गया। किन्तु बड़े नगरों तथा त्रावणकोर की स्थानीय निचली जातियों की महिलाओं को अब शरीर के ऊपरी भाग को शॉल अथवा कपड़े से ढंकने का अधिकार प्राप्त हो गया। नंगेली और चीरुकण्ठन का घर, जहाँ यह घटना हुई थी, "मुलल्ची परम्बु" यानि स्तन वाली महिला की भूमि के रूप में जाना जाने लगा। नंगेली की कहानी से इतना तो साफ़ है कि हमारे इतिहास में बहुत सी गुमनाम महिलाएँ हैं जिन्होंने अपने समय और सदी में अपने -अपने तरीके से इतिहास बदला तथा पितृसत्तात्मक ढांचे को कड़ी टक्कर दी। नंगेली के बलिदान की चर्चा पूरे राज्य में हुई और आज भी इसकी चर्चा की जाती है।

इतिहास में इस घटना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, किन्तु यह कहानी पूरे केरल में प्रसिद्ध है। भारत के बाकी हिस्सों में नंगेली के बारे में शायद लोग इतना न जानें, लेकिन केरल में इस महिला और उसके बलिदान को बहुत सम्मान दिया जाता है। वो भी उसकी मौत के

दशकों बाद । नंगेली की कहानी, हमारे देश के पितृसत्तात्मक और ब्राह्मणवादी इतिहास के भारी बोझ के नीचे दबा दी जाती है । जब नंगेली खड़ी हुई तो यह सामाजिक व्यवस्था के अन्याय के बारे में बड़ी पीड़ा में दिया गया एक बयान था । यह एक विशाल साम्राज्य के सामने एक बहुत ही निचले तबके से आने वाली एक असाधारण महिला का प्रतिरोध था । नंगेली का प्रतिरोध, आह्वान, विनय और सम्मान के जश्न का नहीं था; यह जाति और सड़ते हुए सामंतवाद के खिलाफ एक आह्वान था जिसने उन लोगों को शिकार बनाया जो इसे चुनौती नहीं दे सकते थे । वह उन सभी की नायिका थी, जो गरीब और कमजोर थे, न कि मध्यवर्गीय नारी सम्मान का आदर्श, जो वह आज बन गई है ।

नंगेली की कहानी पर देश तथा विदेश की मीडिया तथा लोगों का ध्यान उस वक़्त गया जब सन 2016 में बीबीसी एशिया द्वारा इस घटना पर एक लेख प्रकाशित किया गया । इस घटना को लेकर काफ़ी विवाद है, और आज नंगेली सिर्फ एक और स्थानीय किवदंती बन गई है । किन्तु यहाँ पर यह जोड़ देना समीचीन होगा कि सीबीएसई के कक्षा 09 के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में इस घटना को जाति, विवाद एवं वेशभूषा खंड में जगह दी गई थी । जिसे बाद में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश आने पर यह कहते हुए निकाल दिया गया कि इस घटना की प्रमाणिकता संदिग्ध है तथा इसके प्रमाणन के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद नहीं हैं । न्यायालय ने यह भी कहा कि इस घटना में कुछ राज्यों और कुछ समुदायों के व्यक्तियों के खिलाफ "आपत्तिजनक सामग्री" और "अभद्र भाषा" के प्रयोग होने के अलावा तथ्यों के अभाव में यह कपोल कल्पित कहानी ही जान पड़ती है ।

इस कहानी की हकीकत चाहे जो भी हो मगर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि स्तन कर केरल में शाही खजाने को भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घृणित उपायों में से एक था । कई अजीब और दमनकारी कर, जैसे मूंछें उगाने पर कर से लेकर आभूषण पहनने के अधिकार तक से संबंधित उप कर विशेष रूप से दलित समुदायों पर लगाए गए थे । ऐसा लगता था कि उनके जीवन के हर पहलू का मूल्य निर्धारित किया गया था । जबरन वसूली की प्रकृति के कर और उपकर संख्या में 120 से अधिक थे जिनमें से 110 विशेष रूप से गरीब समुदायों पर लगाए गए थे ।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने वाला एक वैश्विक दिवस है तथा इस सिलसिले में नंगेली की कहानी पर एक नज़र डालना उचित लगता है, जिसके कारण दक्षिण भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं । नंगेली इस सामाजिक आदर्श का विरोध करने वाली पहली महिला नहीं थी । उससे पहले तथा उसके बाद भी कई महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए काफी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ीं तथा सफलता हासिल की । किन्तु इन सब के बीच नंगेली की कहानी अपने आप में असाधारण थी एवं संभवतः इसी कारण नंगेली इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी ।

कविता

CAF देती हमें छांव जब – जब हो धूप

CAF के दर्पण में झलकता एक अनोखा प्रभाव,
जो कि है शाखा के ऋण वितरण का स्वभाव।

CAF का प्रारूप सुझाता गलती एवं सुधार
बनता वह हमारे उधार प्रबोधन का आधार ।

CAF के मानक करते हमें सचेत,
मत बनने दें कोई ऋण मुट्ठी भर रेत ।

CAF का है एक विस्तृत स्वरूप,
जो देता हैं छांव जब – जब होती धूप ।

CAF का करो हमेशा समयबद्ध अनुपालन,
जैसे बिखरे फूलों की सुंदर माला पिरोती मालन ।

CAF की यात्रा का शाखा है उदगम और गंतव्य,
क्षेत्रीय कार्यालय की समीक्षा से पूरा होता कर्तव्य ।

CAF का करके बेड़ा हर माह पार,
करते रहते हैं हम अनुचित ऋण पर वार ।

CAF समीक्षा में रखें हर पहलू का ध्यान,
हर हाल में सामान्य रहे उधारकर्ता का अंशदान ।

ऋण के ब्याज एवं उद्देश्य को लेकर रहें सतर्क,
ताकि कथनी एवं करनी में न हो कोई फर्क ।

CAF कहती उद्यमी को हो जब ऋण की दरकार,
निर्देशित भूगोलीय परिधि के भीतर हो व्यापार ।

नोट:

CAF ऋण निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए शाखाओं द्वारा, प्रति माह क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी हैं।

शिवी सिंघल
वरिष्ठ प्रबन्धक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
लखनऊ

ग्राहक संपर्क केंद्र –कांटैक्ट सह कॉल सेंटर

अणिमा मलर मंगै. आर, मुख्य प्रबन्धक, ग्राहक सेवा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय

आइओबी के ग्राहक संपर्क केन्द्र का उद्घाटन करते हुए वित्तीय सचिव, भारत सरकार, श्री संजय मलहोत्रा साथ में हैं हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वित्तीय संस्थाओं और सरकारी बैंकों में भाषा की अहम भूमिका होती है। इसलिए प्रत्येक बैंक या अन्य कारोबारी संस्थाएँ अपने ग्राहकों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए संपर्क केन्द्रों की स्थापना करती हैं। इससे प्रत्येक संस्था का अपने ग्राहकों के साथ संपर्क सुदृढ़ बन जाता है। मुख्य रूप से सभी जानते ही हैं कि लिखित पत्र व्यवहार कारोबार या सरकारी भाषा में विधिक आधार पर होता है। आम तौर पर बैंक का अपने ग्राहकों के साथ सामान्य पत्राचार नहीं होता है। मगर ग्राहक के छोटे-मोटे सवालों और संशयों के लिए मौखिक संचार का प्रयोग किया जाता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंक संपर्क केंद्र खोलते हैं। यह संपर्क केंद्र बैंक के कर्मचारियों द्वारा नहीं बल्कि बाहरी संस्थाओं की भागीदारी के साथ संचालित होते हैं। हमारे बैंक द्वारा भी ऐसा ही एक संपर्क केंद्र 'मेसर्स आइमार्क सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड' नाम की कंपनी के साथ समन्वय कर संविदा के आधार पर स्थापित किया गया है। आइए अब हम कॉल सेंटर तथा उनके एजेंट्स के कर्तव्यों के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं।

क्या आपने कभी सोचा है कि कॉल सेंटर एजेंट्स के सटीक कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ क्या हो सकती हैं? यदि आप कांटैक्ट सेंटर के विशिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी नहीं रखते, भले ही वह संपर्क केंद्र आपके अपने बैंक के द्वारा स्थापित किया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कल कांटैक्ट सेंटर कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ग्राहकों के पास किसी न किसी तरह कांटैक्ट सेंटर से संपर्क करने की बाध्यता तो बनी ही रहती है।ग्राहक सेवा संबन्धित बढ़ती अपेक्षाओं के लिए सक्षम कॉल सेंटर एजेन्टों की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त मुद्दों को समेटते हुए बैंक के संपर्क केंद्र के लिए निम्नलिखित कार्यों का दायरा निर्धारित किया गया है। प्रमुख रूप से संपर्क केंद्र के कार्य को दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. इन बाउंड कॉल (ग्राहकों द्वारा टोल फ्री नंबर पर संपर्क)
2. आउट बाउंड कॉल (बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ संपर्क)

1. इन बाउंड कॉल

हमारे बैंक के पास दो टोल फ्री नंबर यथा 1800 890 4445 एवं 1800 425 4445 उपलब्ध हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि टोल फ्री होने की वजह से ग्राहकों द्वारा की जाने वाली हर कॉल के लिए बैंक को शुल्क का भुगतान करना होता है। ग्राहक अपने सेवा संबंधी सवालों या समस्याओं के लिए ग्राहक संपर्क केंद्र को उपर्युक्त टोल फ्री नंबर पर फोन करते हैं और हमारे बैंक के कांटैक्ट सेंटर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। प्राप्त होने वाली कॉल को प्रमुख रूप से पाँच प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- बैंक के किसी उत्पाद संबंधी जानकारी के लिए आने वाली कॉल्स
- अपने खाते संबंधी कोई समस्या (बैलेंस से संबन्धित या एटीएम कार्ड के लेनदेन से संबन्धित, एनईएफ़टी/ आरटीजीएस संबन्धित, चेक बुक आदि की समस्या) संबंधी कॉल्स
- बैंक की शाखा अथवा कर्मचारियों के व्यवहार से संबन्धित कॉल्स
- बैंक द्वारा उपलब्ध कार्रवाई गई सुविधाओं यथा पानी, एयर कंडीशनर, पंखा या स्टाफ की कमी इत्यादि से संबन्धित कॉल्स
- ब्याज दरों से संबन्धित कॉल्स

ग्राहकों के सवाल तथा समस्याओं के संबंध में दिए गए उपर्युक्त वर्गीकरण केवल उदाहरण स्वरूप हैं। सामान्य रूप से ग्राहक किसी भी प्रकार के सवाल या किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में टोल फ्री नंबर पर तत्क्षण संपर्क कर सकते हैं।

हमारे संपर्क केंद्र के एजेंट इन कॉल्स को वर्गीकृत कर शिकायतों को हमारे बैंक के एसपीजीआरएस (SPGRS) पोर्टल (मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत समाधान प्रणाली) में दर्ज़ करते हैं। ग्राहक सेवा विभाग एसपीजीआरएस में दर्ज़ शिकायतों का प्रबोधन करता है और शाखाओं/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ केन्द्रीय कार्यालय के संबन्धित विभाग से संपर्क कर उनकी समाधान प्रक्रिया को शुरू करता है।

2. आउट बाउंड कॉल्स

बैंक के संपर्क केंद्र को बैंक की तरफ से अनेक प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने के लिए आउट बॉन्ड कॉल करने की सुविधा भी उपलब्ध कार्रवाई गई है।

संपर्क केंद्र के एजेंट निम्नलिखित सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के

लिए ग्राहकों से संपर्क करते हैं।

i. उत्पादों के विपणन के लिए ग्राहकों से संपर्क करना

ii. पूर्व अनुमोदित ऋणों की बिक्री

iii. विशेष प्रकार के ग्राहकों के लिए विशेष कैम्पेन/ अभियान चलाना

iv. उधारकर्ताओं से संपर्क करना

v. वैकल्पिक चैनलों की जानकारी उपलब्ध करवाना

vi. भुगतान के लिए ऑनलाइन चैनल चालू करवाना

vii. देय तारीखों को याद दिलाने हेतु

viii. उधारकर्ताओं को देय तारीखों का अनुस्मरण तथा भुगतान की मांग करना

ix. वसूली के लिए उधारकर्ताओं से संपर्क करना इत्यादि अनेकानेक कार्यों के लिए संपर्क केंद्र का उपयोग किया जाता है।

जैसे-जैसे बैंक को आवश्यकता पड़ती है, वैसे-वैसे बैंक अपने ग्राहकों से संपर्क करने तथा ग्राहकों की व्यथा सुनने के लिए संपर्क केंद्र का प्रयोग करता है । इसके अलावा क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड संबन्धित सवालों तथा समस्याओं के समाधान में संपर्क केंद्र अपनी भूमिका निभाता है। इन सब के साथ ही बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार कई सेवाओं के प्रयोग के लिए संपर्क केंद्र की सेवाओं का उपयोग करता है।

हमारे बैंक द्वारा हाल ही में स्थापित किए गए संपर्क केंद्र ई-मेल, ऑनलाइन चैट, ग्राहक सेवा में उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिए सर्वे जैसी सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्यरत हैं। सुविधाओं के प्रारम्भ करने की तारीख की सूचना कालांतर में दी जाएगी।

संपर्क केंद्र पर बैंक कर्मचारियों की ज़िम्मेदारी:

- बैंक की शर्त है कि संपर्क केन्द्र अपने मानव संसाधन को तैनात करें तथा दैनिक कार्य को संभालें।
- एजेंट्स द्वारा किए गए कॉल की गुणवत्ता का प्रबोधन करना।
- प्रमुख कार्य निष्पादन वाले क्षेत्रों (केपीआइ) के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- यदि संपर्क केन्द्र के एजेंट- ग्राहकों के प्रश्न/ अनुरोध व शिकायतों का समाधान नहीं दे पाते हैं तो ग्राहकों का संपर्क बैंक के अधिकारियों से करा दिया जाता है और ग्राहक सेवा विभाग ग्राहक की संतुष्टि तक उनकी शिकायतों का निवारण करते हैं।

आइवीआरएस सुविधा

आईवीआरएस (इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पोंस) स्वचालित कारोबार फोन प्रणाली है जो फोन कॉल करने वाले ग्राहकों से बातचीत करती है और सूचना इकट्ठा कर ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जवाब देती है । आइवीआर ग्राहकों से प्राप्त आवाज़ की प्रतिक्रिया के मुताबिक आइवीआर जानकारी प्रदान करता है या जटिल समस्याओं के लिए एजेंट से संपर्क करने की सलाह देता हैं। हमारे बैंक के संपर्क केंद्र में भी यह सुविधा उपलब्ध है । बैंक आईवीआर की सुविधा का प्रयोग अपनी अन्य आवश्यकतों की पूर्ति के लिए भी कर सकता है।

संक्षेप में संपर्क केंद्र के एजेन्ट समय पर और मैत्री भाव से उत्तर देते हैं और समस्याओं व शिकायतों का उचित समाधान प्रदान करते हैं । ग्राहक द्वारा इस सुविधा का लाभ, बैंक के टोल फ्री नंबर का उपयोग करके उठाया जा सकता है। जब ग्राहक का फोन कॉल इस नंबर पर आता है तब संपर्क केंद्र के एजेंट या एसोसिएट समय पर मैत्री भाव के साथ उत्तर देते हैं तथा सवालों तथा शिकायतों का समाधान प्रदान करते हैं। संपर्क केंद्र का एजेंट या एसोसिएट ग्राहकों के संदेहों को दूर कर उनकी आवश्यकतानुसार जानकारी देते हैं।

बैंक के उत्पादों के बारे में भी उनको बताकर उन्हें आकर्षित करते हैं। सम्पूर्ण रूप से ग्राहक संपर्क केंद्र के कार्य निम्न प्रकार के होते हैं।

1. समय पर मैत्री भाव से बातचीत करना।
2. ग्राहकों के सवालों या समस्याओं का मूल्यांकन कर उचित समाधान प्रदान करना।
3. ग्राहकों की आवश्यकतानुसार, सूझ-बूझ से व्यक्तिगत सेवा प्रदान करना।
4. बैंक में उपलब्ध उत्पादों/ सेवाओं की जानकारी देकर नए प्रस्तावों को आकर्षित करना।
5. उत्पादों/ सेवाओं की बिक्री करना।
6. उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर आवश्यक सूचना प्रदान करना।
7. आवेदनों/ फार्म्स का प्रसंस्करण करना।
8. जहां आवश्यकता हो वहाँ कॉल रूट करना।
9. बातचीत के दौरान अत्यावश्यक टिप्पणी लेना और उसे बैंक के लाभ हेतु अनुग्रह करना।
10. ग्राहक की प्रतिक्रिया लेना।
11. ग्राहक डेटाबेस तैयार करना।
12. ग्राहक के फोन कॉल का अनुवर्तन करना इत्यादि।

निष्कर्षतः शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बैंक के संपर्क केंद्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए और शाखा परिसर में बैंक के टोल फ्री नंबर को प्रदर्शित किया जाना चाहिए । संपर्क केंद्र के अधिकाधिक प्रयोग से ग्राहकों तथा बैंक के बीच का संबंध और कार्य संवहन सुचारू रूप से सम्पन्न होगा। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए ग्राहक सेवा हेतु संपर्क केंद्र की स्थापना की गई है जिसका उद्घाटन श्री संजय मलहोत्रा वित्तीय सचिव भारत सरकार,के साथ हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया गया। संपर्क केंद्र का पूरा लाभ बैंक को प्राप्त हो इस दिशा में ग्राहक सेवा विभाग और बैंक प्रयासरत है।

"पचपन खंभे लाल दीवारें"

आधुनिक भारतीय नारी के आत्मसंघर्ष का ज्वलंत दस्तावेज़

मधुमिता बनर्जी, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

नारी को कामकाजी महिला के रूप में दर्शाने वाले उपन्यासों में **उषा प्रियंवदा** द्वारा रचित 'पचपन खम्भे लाल दीवारें' की रचना सन **1961** में हुई जो सन **1966** में प्रकाशित हुई । इक्कीस अध्यायों में विभक्त यह एक सामाजिक उपन्यास है । उपन्यास की नायिका सुषमा आधुनिक युग की नौकरी पेशा नारी है; जो आधुनिक नारी के आत्मसंघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है । **सुषमा** आधुनिक नारी के आत्मसंघर्ष की जीती-जागती तस्वीर है । एम.ए. तक शिक्षा प्राप्त, वह एक सुंदर और शिक्षित नारी है जो कॉलेज में एक महत्वपूर्ण पद संभालती है ।

सुषमा एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की ऐसी सबसे बड़ी बेटी है; जो आजीवन अविवाहित रह कर परिवार की बड़ी, वो भी शिक्षित बेटी होने का फर्ज़ निभाती है । दरअसल सुषमा के चारों तरफ़ दायित्व की; परिवार की; पद की; तज्जन्य गरिमा की तथा सबसे महत्वपूर्ण यकीनन भीतरी कुंठा की अनेकों ऐसी दीवारें खड़ीं कर दी गई हैं जो उसे आजीवन खुद को अकेली और कुँवारेपन के फैसले से जकड़े रखती हैं । घर और परिवार; जो कि सुरक्षा, सुविधा और आत्मविश्वास के प्रतीक माने जाते हैं, सुषमा के लिए ऐसी जोंक बन जाते हैं जो आजीवन उसका खून चूसते हैं । **सुषमा** एक ऐसी कामकाजी नारी का प्रतिनिधित्व करती है; जो खुद अपने माँ-बाप के हाथों ही शोषण का शिकार बनती है । अपने भाई-बहनों का भविष्य संवारने के लिए परिवार से दूर रह कर कॉलेज में वह वार्डन और अध्यापिका के पद पर अध्यापन का कार्य करती है । पहले वह प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती थी, जहाँ उसे वहाँ के सेक्रेटरी द्वारा दिए जाने वाले अनचाहे प्रलोभन को सहना पड़ा । फलस्वरूप स्वाभिमानी **सुषमा** नौकरी छोड़ देती है । **सुषमा** आज भी उन नौकरी पेशा लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो घर-परिवार की समस्याओं में बंधकर अपने निजी जीवन के सुखों की बलि देती है ।

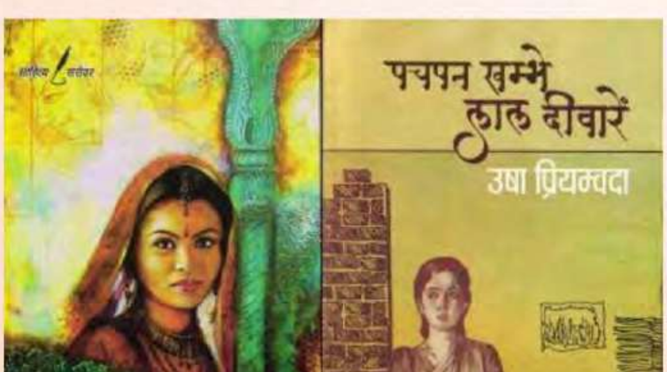

भारतीय परिवार व्यवस्था में पिता की अनुपस्थिति में घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ मुख्य रूप से बेटे और खासकर सबसे बड़े बेटे के सर आन पड़ती हैं । घर की आर्थिक परिस्थिति बदहाल होने पर भी पुत्र ही पिता का सहायक बनता है । किन्तु बदलते वक्त के साथ आज हमारी धारणाओं में भी बदलाव आया है । बदलती हुई परिस्थितियों में आज आधुनिक भारतीय परिवार व्यवस्था में बेटा-बेटी की असमानता का भाव कमजोर पड़ने लगा है । आज घर की जिम्मेदारियों अथवा घर की आर्थिक स्थिति के दायित्व का ठीकरा सिर्फ़ एक सदस्य की थाती नहीं है । बेटी भी आज पारिवारिक समस्याओं की उतनी ही भागीदार है जितना कि एक बेटा । खासकर ऐसी विकट परिस्थिति में जबकि घर में कोई पुरुष सदस्य उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने में असमर्थ हो । यहाँ लड़की परम्परागत मूल्यों का त्याग कर नयी भूमिका अख्तियार करती है और पूरे घर की जिम्मेदारियों और समस्याओं का वहन कर घर का बेटा बनने की नाकामयाब कोशिश करती है, जो वह कभी बन नहीं पाती या यूँ कहें कि उसका अपना घर और यह समाजिक व्यवस्था उसे यह अधिकार देने को तैयार नहीं । घर की जिम्मेदारियों का भार वहन करना, कोल्हू के बैल की तरह पिसना उसका अधिकार और दायित्व है किन्तु अपनी सीमाएं लांघने की इजाज़त तो उसे अपना समूचा जीवन होम करके भी नहीं मिल सकती, क्यों ? क्योंकि वह एक लड़की है ।

परिवार में **सुषमा** को पिता की भूमिका निभानी पड़ती है । न चाहते हुए भी उसे अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ता है । अतः अपने भाई-बहनों के सुख और सुखद भविष्य तथा परिवार के लिए वह खुद को मिटा डालने का निर्णय लेती है । परिवार में **सुषमा** को बराबर यह एहसास दिलाया जाता है कि उसकी दो बहनें और दो भाई हैं और इन सबकी पढ़ाई और उनके भविष्य का उत्तरदायित्व भी **सुषमा** के ही कंधों पर ही है । अतः लड़कियों के कॉलेज में वह हॉस्टल की वार्डन बन जाती है । नव युवतियों के संरक्षण के काम तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हालाँकि उसे उम्र से पहले ही ऊपरी तौर पर प्रौढ़ बना दिया है । उसके जीवन में जो कुछ भी उसे मिलता है या मिलने की गुंजाइश होती है उन सबको वह चाहकर भी स्वीकार नहीं कर पाती । उसे अपना जीवन नीरस और अर्थहीन प्रतीत होने लगता है और अजनबीपन का बोध उसकी चेतना में घर कर जाता है जो अंततः

उस पर और उसके व्यक्तित्व पर हावी होने लगता है। किन्तु वह भी एक इंसान है और अन्तःकरण में कहीं-न-कहीं उसमें भी कोमलता शेष है। वही कोमलता जो पारिवारिक बोझ तले दबी पड़ी थी और बाहर आने से झिझकती और डरती थी। यह कोमलता ही उसके मन को **नील** नामक युवक से मित्रता के लिए प्रेरित करती है जिसकी परिणति कालान्तर में प्रेम में होती है। **नील** से उसका परिचय संयोगवश ही हुआ। **नील** के प्रेम ने उसके जीवन में सरसता का संचार किया। नील के अत्यधिक आग्रह करने पर भी सुषमा उससे विवाह न कर सकी क्योंकि एक अध्यापिका होने के कारण समाज सापेक्ष मर्यादित आचरण करना सुषमा का कर्तव्य है। अतः समाज की मर्यादाओं के विरुद्ध **सुषमा** जब नील से प्यार करती है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा **नील** उससे पाँच वर्ष छोटा था इसलिए भी सामाजिक मर्यादाएं उसके इस आचार-व्यवहार के समक्ष दीवार बनकर खड़ी हो जातीं हैं। उससे इस्तीफा माँगा जाता है। एक पल को वह नील के लिए वह नौकरी छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उसके इस फैसले के समक्ष बाधा बन कर आ खड़ी होती हैं। वह अपने परिवार को मंझधार में नहीं छोड़ना चाहती थी। **नील** उसे नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित करता है तो सुषमा कहती है- **"मैं केवल साधन हूँ। मेरी भावना का कोई स्थान नहीं है। विवाह करके परिवार को निराधार छोड़ देना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने अपने को ऐसी जिंदगी के लिए ढाल लिया है।"**

इस प्रकार सुषमा के मानसिक अर्न्तद्वंद, कर्तव्य और भावना के संघर्ष, अशांति आदि मनोभावों का परिस्थिति सापेक्ष मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में लेखिका को भरपूर सफलता हासिल हुई है।

तेंतीस वर्षीय **सुषमा** एक कॉलेज की प्राध्यापिका है एवं घर का आर्थिक स्रोत है। पढ़ी-लिखी और शिक्षित होने के बावजूद वह सामाजिक चाल-चलन और मर्यादाओं से डरती है। सम्भवतः यही कारण है कि **सुषमा** एक अध्यापिका, एक वार्डन होने के बावजूद समाज और घर के डर से आजीवन अविवाहित रहने का फैसला करती है। उसके घरवालों की भी सोच है कि **सुषमा** जैसी सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद रखने के लिए उसके जीवन में आने वाले युवक को हटाना। अपनी पारिवारिक बाध्यताओं के चलते वह अपने प्रेमी **नील** से चाहकर भी विवाह नहीं कर पाती और स्वयं अविवाहित रहती है। उसके मन में न तो प्रेमी की आकांक्षा बची है और न ही पति की। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले वह इस भाँति दबी-पीसी हुई है कि वह चाह कर भी अपनी चाह को अपना नहीं पाती है और खुद को इन सब से बहुत दूर करना चाहती है। वह अपने प्रेमी नील से कहती है **" पहली बात तो नील यह है कि मेरी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। तुमसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। पक्षाघात से पीड़ित बाबू, दो बहनें और भाई, सब मुझे ही करना है।"**

'पचपन खम्भे लाल दीवारें' उपन्यास में नायिका **सुषमा** की माँ अपनी बड़ी बेटी **सुषमा** को बलि का बकरा समझती है। चूँकि घर में माँ का शासन चलता था अतः अपनी अन्य दो पुत्रियों का भविष्य विवाह में बाँधने वाली माँ सुषमा के लिए विवाह की बात नहीं सोचती। 'सुषमा' ने अपने परिवार के लिए अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं का त्याग किया है। माँ की दृष्टि में अपने भाई-बहनों का सारा दायित्व सुषमा का कर्तव्य है। अपनी छोटी बेटी के लिए माँ जब विवाह की बात तय करती हैं तब बड़ी बेटी सुषमा के बारे में कुछ नहीं बोलती। उसका कारण सम्भवतः यही है कि भारतीय परंपरा विवाहित पुत्री को पराया धन कहकर तथा मानकर उससे आर्थिक सहायता लेना बुरा समझती है। सुषमा की माँ द्वारा लेखिका ने भारतीय नारी की सामाजिक-आर्थिक विषमताओं से जन्मी मानसिक यंत्रणा का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। लेखिका **उषा प्रियम्वदा** के अनुसार- **"इसकी कथा नायिका सुषमा आज के परिवर्तित परिवेश में पारिवारिक उत्तरदायित्वों का वहन करती, संघर्षों के उत्ताप से पल-पल झुलसती और बदली सामाजिक मान्यताओं के तहत एक नई प्रेम वृति का पोषण करती दिखाई देती है।" सुषमा कहती है " मैं जो करती हूँ, कर्तव्य समझकर नहीं मौसी, उनके प्यार में करती हूँ। मेरा तो मन होता है कि मेरे पास अगर और कुछ होता तो और भी करती।"** रिटायर्ड और पक्षाघात से पीड़ित पिता और माँ की देखभाल के साथ दो छोटे भाईयों तथा दो छोटी बहनों की पढ़ाई और उनके सपनों को साकार करना तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसी का दायित्व है। अंततः वह अपने परिवार और परिवार के प्रति कर्तव्य के प्रति ईमानदार बनी रहती है। इस प्रकार सुषमा पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए सतत संघर्षशील रहती है। किन्तु उसके जीवन में जो अकेलापन और खालीपन है वह उसे हर-पल व्यथित करता है। इस निराशापूर्ण जीवन से ऊबकर **सुषमा** अपनी दोस्त **मीनाक्षी** से कहती है- **"आज से सोलह साल बाद शायद तुम अपनी बेटी को लेकर इस कॉलेज में आओ, तब भी तुम मुझे यहीं पाओगी। कॉलेज के पचपन खंभों की तरह स्थिर, अचल-"** और इस तरह सुषमा अविवाहित रहकर जीती है।

यहाँ सुषमा के रूप में नारी अकेलेपन की शिकार है। सुषमा परिवार की समस्याओं में बँधकर अपने निजी जीवन के सुख को त्याग देती है। **सुषमा** आज की उन नौकरी पेशा लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो घरेलू समस्याओं की भट्टी में जलकर अपने खुद के विवाह की उम्र गँवा बैठतीं हैं। परिवार के लिए **सुषमा** अपने प्रेमी नील तक को भी छोड़ देती है। नील के चले जाने के बाद सुषमा अकेलेपन का दंश झेलती है। उसे सब कुछ व्यर्थ

लगने लगता है । **सुषमा** को अपनी सहेलियों से भी उसके अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर अपमान सहने पड़ते हैं । अतः उपन्यास में **सुषमा** अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्षरत है ।

इस उपन्यास का एक और भी उपकथा पात्र है और वह है **'स्वाति'** । स्वाति भी **सुषमा** के कॉलेज की एक अध्यापिका है । लेकिन वह सुषमा के समान भारतीय वैवाहिक परंपरा पर विश्वास नहीं करती है । वह उन्मुक्त जीवन जीती है और रहस्यात्मक आचरण से गर्भवती हो जाती है । उसके इस आचरण से लोग उसकी निंदा करते हैं किन्तु समाज की निर्दयता और कूपमंडूकता तथा रूढ़िवादी नियमों के समक्ष नतमस्तक हो वह आत्महत्या नहीं कर पाती और अपनी और अपने अजन्मे बच्चे के प्राणों की रक्षा करते हुए भाग जाती है । कई वर्षों बाद पता चलता है कि उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के आदमी से हो गया है । यूँ तो वैसी ही इस प्रकार का उन्मुक्त जीवन जीने की इच्छा रखने वाली और समाज के विरुद्ध विद्रोह कर स्वच्छंद रूप से जीवन जीने वाले युवतियां समाज में अधिक नहीं हैं, और उस पर भी सुषमा एक ऐसी नारी का प्रतिनिधित्व करती है जिसके चारों ओर अपने पद की गरिमा और पारिवारिक उत्तरदायित्वों की ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे वो चाह कर भी पार नहीं कर पाती है । परिवारिक जिम्मेदारियां तथा बोझ उसे बंदिनी बनाते हैं । उसकी नियति पचपन खंभे और लाल दीवारों के बीच घुट-घुट कर मरना बन जाता है । उसके भीतर की प्रेयसी इन दीवारों को तोड़कर भाग जाना चाहती है, परन्तु उसके पैरों में परिवार की बेड़ियाँ इस हद तक कस चुकी हैं कि वह भागना तो चाहती है किन्तु चाह कर भी भाग नहीं सकती । कथा की तीव्र गति, नाटकीय प्रभाव तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति से मुक्त यह उपन्यास अपने अनूठे ढंग के चलते सुंदर बन पड़ा है । यह उपन्यास एक अविवाहित अध्यापिका सुषमा के जीवन की कुंठाओं, घुटन एवं संत्रास की दास्तान है । इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने आधुनिक नारी की संपूर्ण मनोव्यथा को बड़ी ही बेबाकी से व्यक्त किया है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. प्रियंवदा उषा, पचपन खंभे लाल दीवारें, पृष्ठ-10
2. प्रियंवदा उषा, पचपन खंभे लाल दीवारें, पृष्ठ- 11
3. प्रियंवदा उषा , पचपन खम्भे लाल दीवारें, पृष्ठ- 56
4. प्रियंवदा उषा, पचपन खंभे लाल दीवारें, पृष्ठ- 100
5. कथा साहित्य में नारी(स्वरूप और प्रतिमा), संपादक- डॉ. उमा शुक्ल, डॉ. माधुरी छोड़ा, पृष्ठ- 14

ग़ज़ल

लिखता चलूँ

कोई हसीं ग़ज़ल,मैं तेरे नाम लिखता चलूँ,
तेरी बस्ती में कोई गुज़री शाम लिखता चलूँ।
ज़माने की गर्द का असर था मेरी कलम पर,
गोया अपनी ही कहानी आम लिखता चलूँ।
कुछ तुमसे कहना बाकी सा रह गया था,
तो सोचा की दास्तां-ए-तमाम लिखता चलूँ।
कितनी ठोकरें खाई हैं इस उम्र-ए-दौरां में,
वो तजुर्बा मेरा,किसी के काम लिखता चलूँ।
ज़िन्दगी कहाँ आसां,एक दर्द का दरिया सा,
कितना गरां है ये,उसका दाम लिखता चलूँ।
मुझे खबर थी कि अना से,वो कभी न आएगा,
हम गिरे हुए थे,तो सोचा सलाम लिखता चलूँ।
बहुत फिरा हूँ सफ़र में अब उकता सा गया हूँ,
औराक-ए-ज़िस्त में कहीं कयाम लिखता चलूँ।

उर्दू शब्द का अर्थ

गर्द	–	Dust
गरां	–	Costly
अना	–	Ego
औराक – ए – ज़ीस्त	–	Page of life
कयाम	–	Stay

रौशन जैन,
मुख्य प्रबन्धक,
लखनऊ क्षेत्र

राहुल सांकृत्यायन : दार्शनिक एवं घुमक्कड़ी साहित्य के पुरोधा

नगेंद्र कुमार सिंह, प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय

"मिट्टी से सोना पैदा करने वाले भूखे – नंगे रहते हैं
और सोने को मिट्टी करने वाले मौज उड़ाते हैं ।" *-महापंडित राहुल सांकृत्यायन*

यह पंक्ति समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण करती है । हमारे देश में सदियों से चली आ रही सामाजिक विषमता, अब परंपरा का हिस्सा बन गई है और साथ ही ऐसा नासूर बन गई है, जिसके ईलाज की फिक्र न करते हुए, हम उसे बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं । सर्वविदित है कि समाज के हाशिए पर एक बड़ा समूह गुजर बसर करता है, जो अपने कठिन श्रम एवं सपनों को तिलांजलि देकर मुट्ठी भर लोगों के खातिर दिन – रात मेहनत करता है । परंतु जब मानव समाज के इतिहास का परत दर परत अध्ययन करते हैं, तब यह तथ्य सामने निकल कर आता है कि मनुष्यों की स्थिति शुरुआती दौर में काफी बेहतर थी, जो वर्ष-दर-वर्ष एवं शताब्दी -दर-शताब्दी बिगड़ती चली गई । अब स्थिति यह हो गई है कि संसार के सभी संसाधनों पर महज चंद लोगों का कब्जा है, जो शोषण के तमाम हथकंडों से लोगों का शोषण करते हैं । इतिहास का अध्ययन गलतियों की पुनरावृत्ति करने से बचने के लिए किया जाता है । हमारा समाज रंगभेद, लिंगभेद, धर्म, शाकाहार – मांसाहार, आर्य – अनार्य, कुलीन – मलेच्छ, छूआछूत, टोना – टोटका आदि कई कुरीतियों से ग्रसित है । आज इन विषयों को सुलझाने के बजाए इन्हें अनर्गल तथ्यों और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए उसे और अधिक उलझाने का प्रयास किया जा रहा है । रुढ़िवादिता न सिर्फ समाज को गर्त में ढकेलती है बल्कि आ सकने वाली कई वर्षो के विकास की बयार का मार्ग भी अवरोधित करती है । पर आशा की चिंगारी हर युग एवं कालखंड में मौजूद रहती है । बस आवश्यकता है अपने समृद्धशाली इतिहास को खंगालते हुए वर्तमान के लिए दिशा निर्धारित करने की और चीजों को परखने एवं टटोलने के लिए अपने मस्तिष्क एवं निगाहों को खुला रखने की । तटस्थता मानव मस्तिष्क की अत: प्रज्ञा को हर लेती है । आइए इस अंक में इतिहास, यात्रा वृत्तांत एवं दर्शन के माध्यम से सामाजिक विषमताओं को उजागर करने वाले अद्‌भुत विचारक एवं दार्शनिक महापंडित राहुल सांकृत्यायन से परिचित होते हैं और इस यायावर की जीवनी एवं साहित्यिक सफर का अवलोकन करते हुए उनके विचारों व लेखनी को आत्मसात करते हैं ।

हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन का नाम सुप्रसिद्ध और अमर विभूतियों में गिना जाता है । राहुल जी का जन्म 09 अप्रैल 1893 उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिला के पंदहा गांव में हुआ था । माता कुलवंती देवी एवं पिता गोवर्धन पांडेय ने उनका नाम केदारनाथ पांडेय रखा था । माता जी का अल्पायु में देहांत हो जाने के कारण राहुल की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ननिहाल में हुई । राहुल का विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया गया, जिससे वे बहुत रुष्ट थे । उस विवाह ने उनके मन में विचारों की कई नई क्रांतियों को जन्म दिया और वे विवाह के अगले दिन ही ज्ञान की खोज में घर छोड़ कर निकल पड़े और वाराणसी जा पहुँचे जहाँ कुछ गरीब छात्रों के साथ रहकर ज्ञानार्जन का प्रयास करते रहे । वाराणसी में एक दिन बिहार राज्य के छपरा से एक महंत आए जो बालक केदार की ज्ञानात्मक ऊर्जा से इतना अधिक प्रभावित हुए कि वे उन्हें अपने साथ मठ लेकर चले गए जहाँ उनका नाम साधु रामोदर दास रखा जाता है और उन्हें मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है । मठ में उन्होंने संस्कृत भाषा एवं हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा ली । जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को समझने की लालसा रखता हो, वैसा जिज्ञासु व्यक्ति कितने दिनों तक एक स्थान पर ठहर सकता था । हिंदू धर्म से प्रभावित राहुल दक्षिण भारत की ओर उजाले भरी निगाहों से देखते हैं । दक्षिण भारत शुरू से ही हिंदू धर्म एवं संस्कृति का केंद्र रहा है । कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखता हो, दक्षिण भारत में आकर निराश नहीं होगा । यह क्षेत्र अपनी संस्कृति, धार्मिक भावना एवं स्थापत्य कला के लिए शुरूआती दौर से मशहूर रहा है । राहुल हिंदू धर्म की मूल धारणाओं एवं विचारों को समझने के लिए तमिलनाडु आ पहुँचते हैं । यहाँ उन्हें शंकराचार्य द्वारा तमिल भाषा में लिखित हिंदू धर्म से संबंधित मूल ग्रंथ प्राप्त होते हैं जिन्हें पढ़ने एवं समझने के लिए राहुल ने तमिल भाषा का विधिवत ज्ञान हासिल किया । इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद, उन्हें एहसास हुआ कि वर्तमान में जो हिंदू धर्म के लोगों को पढ़ाया एवं समझाया जा रहा है, वह ठीक नहीं है और उसमें तमाम भ्रांतियां मौजूद हैं । तत्पश्चात, वे आर्य समाज की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं । वे आर्य समाज से इतना प्रभावित होते हैं कि वे सीधे तमिलनाडु से आर्य समाज के मूल केंद्र आगरा पहुँच जाते

हैं। आर्य समाज जो कि पंजाब में प्रस्फुटित हुआ था, उसके अधिकतम लिखित दस्तावेज उर्दू एवं अरबी में उपलब्ध हैं। राहुल जी उन दस्तावेजों एवं अपडेट्स को पढ़ने एवं समझने के लिए उर्दू एवं अरबी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो विद्रोही व्यक्ति होता है और जिसका उद्देश्य सत्य का संधान करना होता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह एक ही पंथ पर रूक जाए या फिर आजीवन उसी का अनुसरण करे। आर्य समाज के साथ काम करते हुए जब उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो वे बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होते हैं। जब बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुए तो उन्हें लगा पालि भाषा सीखनी चाहिए। वे श्रीलंका गए पालि भाषा सीखी और अनेकों बौद्ध ग्रथों को पढ़ डाला। फिर उन्हें पता चला बौद्ध धर्म का खजाना कश्मीर, लद्दाख, नेपाल एवं तिब्बत में भरा पड़ा है, तो वे लद्दाख की तरफ निकल पड़े। लद्दाख में उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म की आवश्यक अनेक ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ ऐसे ही बिखरी पड़ी हैं। वे 22 खच्चरों पर उन पांडुलिपियों को लादकर बनारस लाए। उस में ऐसी अनेक पांडुलिपयाँ थीं जिनके बारे में यह मान लिया गया था कि वह अब अनुपलब्ध हैं। राहुल जी ने उसे फिर से पाठकों एवं विद्वानों के लिए उपलब्ध करवाया। इसे कहते हैं ज्ञान के तलाश के लिए पागलपन का होना। बौद्ध दर्शन के इतिहास को समझने के लिए उन्होंने चार बार तिब्बत की यात्रा की। वे सत्य की खोज में जीवन पर्यंत घूमते रहे। तिब्बत की ऐतिहासिक यात्रा के बाद उन्हें बनारस के पंडितों ने महापंडित की उपाधि से संबोधित किया। प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने उन्हें दूसरे बुद्ध की संज्ञा दी। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद ही उनका नाम राहुल पड़ा जो कि आजीवन रहा और 'सांकृत्य' गोत्रीय होने के कारण उन्हें सांकृत्यायन कहा जाने लगा। कुछ दिनों के बाद बौद्ध धर्म से भी उनकी असहमति बनती है। ऐसा कहा जाता है कि जब वे बौद्ध धर्म के सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन गए थे, तब उन्होंने बड़े – बड़े बैनरों पर 'बुद्ध हमारे पिता हैं' लिखा दिखा, जो कि उन्हें रत्ती भर भी पसंद नहीं आया और इस बात से अपनी असहमति प्रकट करते हुए, उन्होंने इस पंथ से अपने आपको बाहर कर लिया। अंतत: वे वामपंथ की ओर अग्रसर हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली। वे भी उस दौर में जब कम्युनिस्ट होना ही एक अपराध माना जाता था, जिसे देश में एक अवैध पार्टी घोषित की गई थी। वे किसी सुविधा या लालसा के उद्देश्य से कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं गए थे बल्कि उन्हें लगा समय एवं समाज की मांग को कम्युनिस्टवादी विचारधारा ही पूरा कर सकती है। आजादी की लड़ाई एवं किसान आंदोलन में वे जेल भी गए।

राहुल सांकृत्यायन का नाम जब भी लिया जाता है तो स्मृति में सबसे पहले आती है घुमक्कड़ी। उनकी एक पुस्तक का नाम भी है - घुमक्कड़ शास्त्र, इसके अलावा भी उन्होंने कई पुस्तकें यात्रा और भ्रमण पर लिखी हैं। महापंडित कहे जाने वाले राहुल सांकृत्यायन वास्तव में यायावर थे, लेकिन वैसे यायावर नहीं जो सारी सुविधाओं के साथ घूमने जाते हैं। वे लिखते हैं कि "बढ़िया से बढ़िया होटलों में ठहरने, बढ़िया से बढ़िया विमानों पर सैर करने वालों को घुमक्कड़ कहना इस महान शब्द के प्रति भारी अन्याय करना है।" राहुल जी का समूचा जीवन घुमक्कड़ी का था। राहुल हिंदी भाषा में लिखने वाले पहले ऐसे लेखक हैं, जिन्होंने यात्रा संस्मरण लिखे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, राहुल कई देशों की यात्रा पर गए। उसी यात्रा का प्रतिफल रहा कि उन्होंने कई शानदार संस्मरण लिखे। वे यात्रा के दौरान बहुत सी चीजों को बड़ी गहनता के साथ महसूस किया करते थे और उन अनुभवों को बड़ी कुशलता से अपनी लेखनी में बारीकी से उकेरने में सक्षम हुए। तिब्बत यात्रा का तो अद्भूत संस्मरण है जो कि 'मेरी तिब्बत यात्रा' नाम से तीन खंडों में प्रकाशित हुई, जिसे सुधी पाठकों ने खूब सराहा। साथ ही, उनकी हिमाचल यात्रा, श्रीलंका यात्रा के संस्मरण भी हिंदी के पाठकों को प्रभावित करते हैं। उनके संस्मरण से न सिर्फ इतिहास बल्कि विश्व के भूगोल को भी समझा जा सकता है। हिन्दी साहित्य में यात्रा वृतांत के जनक राहुल सांकृत्यायन तिब्बत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, चीन, ईरान, मध्य एशिया की लगातार यात्राएं करते रहे। उन्होंने इंग्लैंड और यूरोप के देशों में अपने जीवन के कई साल बिताए। उनके जीवन का मूल मंत्र रहा, "कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है"। प्राचीन और नवीन साहित्य की समझ जितना अधिक राहुल जी को थी – किसी अन्य में कम ही देखने को मिलती है। घुमक्कड़ जीवन के मूल में अध्ययन की प्रवृत्ति ही सर्वोपरि रही। राहुल जी के साहित्यिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1927 में होती है। राहुल सांकृत्यायन की रचनाओं की परिधि काफी विशाल है। उन्होंने यात्रा वृत्तांत के अलावा कई उपन्यास, कहानी संग्रह, जीवनी आदि लिखीं। इसके साथ ही उन्होंने धर्म एवं दर्शन पर भी कई महत्वपूर्ण किताबें लिखीं। वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार उनके पांव नहीं रूके, उसी प्रकार उनकी लेखनी भी निरंतर धारा प्रवाह चलती रही। उन्होंने विभिन्न विधाओं में एवं विभिन्न विषयों पर 150 से अधिक ग्रथों को रचा है। अब तक उनके लगभग 130 से भी अधिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं।

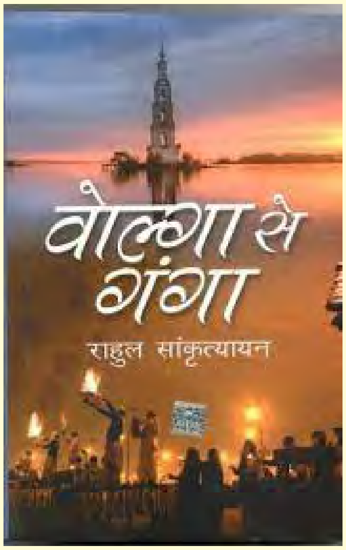

राहुल जी की ख्याति प्राप्त पुस्तक 'वोल्गा से गंगा' सभी सुधी पाठकों को एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। राहुल जी अपनी पुस्तक 'वोल्गा से गंगा' के बारे में लिखते हैं – "मानव आज जहाँ है, वहाँ प्रारंभ में ही नहीं पहुँच गया था, इसके लिए उसे बड़े-बड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा। मानव-समाज की प्रगति को सैद्धान्तिक विवेचन मैंने अपने ग्रंथ 'मानव – समाज' में की है। इसका सरल चित्रण भी किया जा सकता है और

उससे प्रगति के समझने में आसानी हो सकती है, इसी ख्याल ने मुझे 'वोल्गा से गंगा' लिखने के लिए मजबूर किया ।" यह पुस्तक कहानी संग्रह है, जिसकी विषयवस्तु को कुल 20 कहानियों को समेटा गया है । सभी की सभी कहानियाँ अद्भुत इतिहास, समाजिक चित्रण एवं संस्कृति को समेटे हुए है । ये कहानियाँ 6000 ई.पू. से लेकर वर्ष 1942 तक की कालावधि में हुए मानव विकास का, सामान्य जनमानस की दृष्टि से विश्लेषण करती हैं । इस पुस्तक में लेखक ने मानव जाति के विकास का चित्रण, वोल्गा नदी के तीर से, उस काल से किया है जब मानव एक शिकारी था । लेखक ने विभिन्न युगों में हुए मानव विकास को उस युग से सम्बंधित लघु कथाओं के माध्यम से अत्यंत क्रमवार पद्धति से वर्णित किया है । यद्यपि पुस्तक का उत्तरार्ध अधिकांशतः भारतीय उपमहाद्वीप पर केन्द्रित है, लेकिन फिर भी उन्होंने सम्पूर्ण विश्व की विषयवस्तु को ओझल नहीं होने दिया । पूरी पुस्तक पढ़ने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है जैसे आदिकाल से भारत के साथ - साथ सम्पूर्ण विश्व उतना ही सार्वभौमिक था जितना वर्तमान में है । राहुल सांकृत्यायन सामान्य जनमानस के संवादों के सहारे वे प्रत्येक काल के जनजीवन का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं । पुस्तक के अनुसार समयावधि के आरंभिक काल में स्त्री प्रधान समाज हुआ करता था जिसका जीवन मांस तथा जल पर निर्भर था । उस मातृ प्रधान समाज में वंश का उत्तरदायित्व माता से पुत्री को हस्तांतरित होता था । मध्यकालीन युग में राजाओं का जैसा सम्बन्ध उनके पुत्रों से था, ठीक वैसा ही सम्बन्ध इस समाज में माताओं का उनकी पुत्रियों से होता था । इस काल में उत्तराधिकार हेतु पुत्रियों के बीच मनमुटाव तथा झगड़े भी होते थे । शनैः शनैः खेतीबाड़ी ने मानव के जीवन में पदार्पण किया ।

इस पुस्तक का मुख्य विषय जो सबसे अधिक प्रभावित करता है, वह था धातु का आगमन । पहले लोहा, तत्पश्चात तांबा । उसके साथ आयी भेदभाव की नीति । राहुल सांकृत्यायन ने अत्यंत विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है कि किस प्रकार से धातु समाज को भिन्न-भिन्न वर्गों में बांटने लगी थी । समाज का वर्गीकरण आरम्भ होने लगा था कि किस वर्ग का अधिकार किस धातु पर व उसकी कितनी मात्रा पर होगा । मध्यकालीन युग की कथाओं के पात्रों को जिस प्रकार से स्वामित्व हेतु वाद विवाद करते दर्शाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है मानो यह वर्तमान समाज का दृश्य हो । फिर वह किसी भी नवीन आविष्कार के पश्चात उस पर आर्थिक आधार पर आधिपत्य की होड़ हो अथवा उस आविष्कार के समाज पर नकारात्मक प्रभाव की चर्चा हो ।

लेखक ने इस पुस्तक में समय के साथ मानवीय संबंधों में आए परिवर्तनों का भी पर्याप्त उल्लेख किया है । आरम्भ में बंजारों अर्थात् खानाबदोश जाति के विषय में उल्लेख है । मानवी संबंधों के नाम पर ये घुमंतू बंजारे केवल स्त्री पुरुष के मध्य यौन सम्बन्ध तथा एक माता की अपनी संतान के साथ ममता तक ही सीमित थे । जब मानव घुमक्कड़ी त्याग कर खेतीबाड़ी से जीवन यापन करने लगा तब उनके आपसी सम्बन्ध भी पशु प्रकृति छोड़कर पारिवारिक संबंधों में विकसित होने लगे । प्रेम जैसी कोमल भावनाओं ने जन्म लेना प्रारम्भ किया । इन्हीं परिवर्तनों को लेखक ने अपनी कथाओं के सहारे मनमोहकता से प्रतिपादित किया है । प्रेम उनकी कहानियों का अभिन्न अंग है । मानवीय संबंधों में एक पड़ाव आगे जाते हुए उन्होंने विभिन्न समुदायों तथा विरोधियों के मध्य संबंधों की भी सुन्दर व्याख्या की है ।

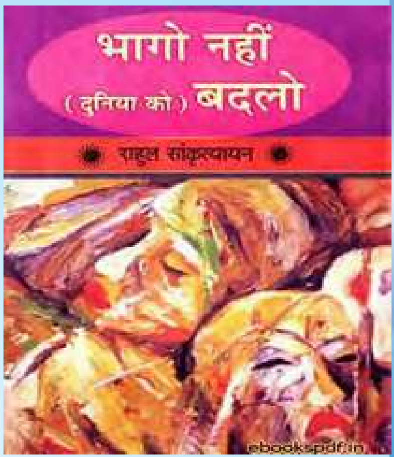

राहुल जी की प्रसिद्ध कृति "भागो नहीं दुनिया को बदलो" लोगों को कुछ कर गुजरने की नव ऊर्जा का संचार एवं राजनीतिक बदलाव हेतु प्रेरित करती है । राजनीति देश की प्रगति एवं भविष्य को निर्धारित करती है । राजनीति को थोड़े पढ़े – लिखे आदमियों के हाथ में देकर अब चुप बैठा नहीं जा सकता । इतिहास साक्षी है कि ऐसा करने से जनता को बराबर नुकसान उठाना पड़ा है । राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं – "जनता को वोट देने का अख्तियार दे देने से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी भलाई बुराई भी मालूम होनी चाहिए और यह भी मालूम होना चाहिए कि राजनीति के अखाड़े में कैसे दाँव पेंच खेले जाते हैं ।" इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने अपनी बात को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है । और इतना बड़ा काम एक पुस्तक से हो भी नहीं सकता । जब तक लोग स्वयं बदलाव नहीं चाहेंगे तब तक किसी भी क्षेत्र में बदलाव नहीं आ सकता है । जब तक वह ढाँचा तोड़कर नया ढाँचा नहीं बनाया जाता, तब तक दुनिया जस की तस ही रहती है ।

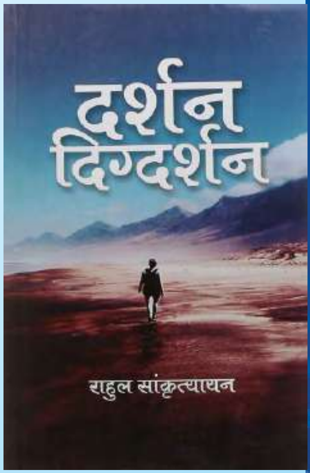

राहुल जी की एक और प्रसिद्ध कृति "दर्शन – दिग्दर्शन" है । यह पुस्तक सभी दर्शन के विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित हुई । इस पुस्तक में भारत सहित विश्व के सभी दर्शनों की दो टूक व्याख्या की गई है । भारत के प्राचीन से प्राचीनन दर्शन यथा द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ब्रह्मवाद आदि को भी इस पुस्तक में समावेशित किया गया है । यह पुस्तक कई भाषाओं में अनूदित हो चुकी है । इसके अतिरिक्त उन्होंने कई महत्वपूर्ण धर्मों पर भी काम किया है । उनके द्वारा लिखित बौद्ध दर्शन, इस्लाम धर्म की रूपरेखा, तिब्बत में बौद्ध धर्म आदि से धर्म के मर्म को समझा जा सकता है ।

उन्होंने महापुरूषों की जीवनी पर भी खूब काम किया है । माऊ चे तुंग,

कार्ल मार्क्स, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, लेनिन आदि जैसे अपने समय के दिग्गज व्यक्तित्वों की जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है । इन महानुभवों की विचारधारा एवं जीवनी को राहुल जी ने पाठकों के समक्ष बड़ी सरल भाषा में परोसा है । उन्होंने अपनी स्वयं की जीवनी भी 'जिनका मैं कृतज्ञ' नाम से लिखी है । साहित्य की लगभग हर विधा पर उन्होंने लेखनी चलाई है । उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास हैं - विस्मृत के गर्भ में, निराले हीरे की खोज, जीने के लिए, अनाथ, सोने की ढाल, जय यौधेय, दाखुंदा, सिंह सेनापति, दिवोदास, अदीना, सूदखोर की मौत, बाईसवीं सदी आदि ।

राहुल जी लगभग 30 भाषाओं के जानकार थे । उन्हें हिंदी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, पालि, प्राकृत,रूसी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि विभिन्न भाषाओं की विधिवत ढंग से जानकारी थी । पर उन्होंने अपनी लेखनी के लिए जिस भाषा का चयन किया, वह थी उनकी मातृभाषा "हिंदी" । उन्होंने जब जिस भाषा की आवश्यकता महसूस की, उसे बखूबी सीखा । ज्ञान के विस्तार में भाषा को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया । मात्र मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले राहुल सांकृत्यायन ने साबित किया कि ज्ञान किसी डिग्री का मोहताज़ नहीं हैं । आजादी के बाद हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू चाहते थे कि उन्हें किसी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त कर लिया जाए । पर विश्वविद्यालयों के नियमों के अनुसार, उन्हें भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में नौकरी नहीं मिली । लेकिन इस भारतीय विभूति को रूस एवं श्रीलंका के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ अध्यापन कार्य करने के लिए आमंत्रित किया ।

राहुल जी जैसे महान व्यक्तित्व का उस समय के महान कवियों एवं लेखकों ने अपनी – अपनी तरह से विश्लेषण किया है । राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर उनके विषय में लिखते हैं – "बौद्ध दर्शन के सांगोपांग अध्ययन की तृषा दुर्गम मार्गों से घसीट कर उन्हें तिब्बत ले गयी । इसी बीच हिंदी साहित्याकाश में उनका उदय धूमकेतु की भांति हुआ । भूमंडल के सभी प्राच्य विद्याविद उनके ऐतिहासिक अनुसंधानों पर विस्मय कर रहे हैं । मास्को के विख्यात भारत विद्या विशारद प्रोफ़ेसर शेरवस्की उनके अनुसंधानों का अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन करके उनका सम्मान करना चाहते हैं । जहां उनकी विद्या अपरिमेय है, वहां उनका साधुत्व भी शिशु सा सरल और निरभ्र आकाश के समान मलहीन है । राहुल जी के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है । सचमुच ऐसे पराक्रमी पुरुष को ईश्वर की आवश्यकता नहीं हो सकती ।" सच में राहुल जी अद्भूत प्रतिभा के धनी थे । वे भारत के ही नहीं विश्व के ख्यातिप्रद साहित्यकारों के श्रेणी में आते हैं । महाराष्ट्र के एक विद्वान – जो विश्व साहित्य से परिचय रखते हैं – ने राहुल जी प्रसिद्ध पुस्तक वोल्गा से गंगा के लिए कहा है – "किसी भारतीय भाषा में इस हिंदी पुस्तक के समान कोई ग्रंथ नहीं है ।"

भारतीय कम्युनिस्ट अपनी दलगत घेराबंदी की कंटीली दीवारों को पार कर न ही राहुल सांकृत्यायन का मूल्यांकन कर पाए, न ही उन्हें भारतीय युवाओं के सामने प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर सके । बावजूद भारत में लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने के बाद भारत में लेनिन को पढ़ने-जानने की जो उत्सुकता बढ़ी, उस दौर में राहुल सांकृत्यायन रचित लेनिन पुस्तक को लाखों-लाख लोगों ने सोशल मीडिया से पीडीएफ स्वरूप में प्रसारित किया । अपने जीवन में कई हजार पन्ने लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन ने अपने घुमक्कड़ी जीवन में कितने लाख किलोमीटर की यात्रा की, कितने हजार किलोमीटर वे पैदल ही चले, इसका किसी को पता नहीं है । अपनी एक और प्रसिद्ध पुस्तक "मध्य एशिया का इतिहास" की रचना के लिए राहुल जी किस तरह 200 किलो वजन की किताबें सोवियत संघ से साथ ढोकर भारत लाए, रचना प्रक्रिया की इस अदम्य साधना को भी समझना होगा । मैकाले की पूंजीवादी शिक्षा पद्धति जहां युवाओं को पूंजीवादी लिप्सा में तनाव, अचेतनता के मनोरोग के साथ हिंसा और कलह की गर्त में धकेल रहा हो, वैसे दौर में पूंजी-लिप्सा की बजाय ज्ञान-लिप्सा का आकर्षण पैदा करने के लिए राहुल सांकृत्यायन सबसे बेहतर प्रतीक हो सकते हैं । मध्य एशिया के इतिहास पर उस समय तक कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं थी । यह पुस्तक सभी इतिहास प्रेमी व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक है जितनी कि अपने लिखे जाने के दौर में प्रासंगिक थी ।

आज जब भारत से बाहर के देशों के अध्येता राहुल सांकृत्यायन को वास्को डिगामा और ह्वेनसांग के साथ जोड़कर देख रहे हों तो हम भारतवासियों के लिए हमारे अपने प्रतीक ज्यादा ग्राह्य होने चाहिए। विश्व के भाषाविद मानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के साथ-साथ भारत की सबसे प्राचीन भाषा पालि और संस्कृत को दुनिया में इस तरह प्रतिष्ठित करवाया कि आज पालि और संस्कृत के सबसे बड़े अध्येता भारत की बजाय, यूरोपीय देशों के निवासी हैं । जर्मनी के प्रसिद्ध अध्येता अर्नस्ट स्टेनकेलेनर ने राहुल सांकृत्यायन से प्रभावित होकर पालि, संस्कृत और तिब्बती भाषा पर अपनी दक्षता कायम की । स्टेनकेलेनर ने तिब्बती पाण्डुलिपियों पर गहन शोध किया है, जिसे नीदरलैंड रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ने 2004 में प्रकाशित किया गया । स्टेनकेलेनर के अनुसार, भारत से बाहर के

शोध संस्थानों में राहुल सांकृत्यायन को जो स्थान प्राप्त है, वह किसी अन्य भारतीय के लिए मुमकिन नहीं है।

राहुल जी देश एवं विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना "मध्य एशिया का इतिहास" के लिए वर्ष 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया। उनकी स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने वर्ष 1993 में डाकघर द्वारा टिकट जारी किया गया। वर्ष 1993 में केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारत सरकार द्वारा इनके नाम पर "महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार" की शुरूआत की गई, जो कि प्रति वर्ष यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले लेखकों को दिया जाता है।

अपने घूमंतू स्वभाव के बावजूद भी वह अपनी जड़ों से कभी नहीं कटे। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए समय-समय पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। उन्होंने कहा कि, "घुमक्कड़ होने का अर्थ यह नहीं कि उसका अपनी मातृभूमि से प्रेम ही न हो।" राहुल भी जीवन के आख़िरी पड़ाव में अपने गांव लौट आए थे। एक साहित्यकार की दृष्टि से यायावरी के क्या अनुभव हो सकते हैं, यह जानने के लिए राहुल सांकृत्यायन को अवश्य पढ़ना चाहिए। अपने 70 वर्ष की आयु में इस व्यक्ति ने इतना कुछ पढ़ा एवं लिखा, जो कि अविस्मरणीय है। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में लगभग डेढ़ साल तक स्मृतिलोप से ग्रसित रहे और 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।

आइए हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले एवं हिंदी भाषा में यात्रा संस्मरण लिखने वाले पुरोधा की रचना संसार एवं साहित्य की विभिन्न विधाओं में उनके दिए अमूल्य योगदान से रूबरू होते हैं –

दर्शन एवं धर्म विषयक : दर्शन – दिग्दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस्लाम धर्म की रूपरेखा, तिब्बत में बौद्ध धर्म

कहानी संग्रह : वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनैला की कथा

निबंध, इतिहास, संस्कृति : दिमागी गुलामी, साम्यवाद ही क्यों, तुम्हारी क्षय, अकबर

जीवनी : माऊ चे तुंग, कार्ल मार्क्स, वीरचंद्र सिंह गढ़वाल्ली, घुमक्कड़ स्वामी, मेरे असहयोग के साथी, जिनका मैं कृतज्ञ (स्वयं की जीवनी)

उपन्यास : विस्मृत के गर्भ में, निराले हीरे की खोज, जीने के लिये, अनाथ, सोने की ढाल, जय यौधेय, दाखुंदा, सिंह सेनापति, दिवोदास, अदीना, सूदखोर की मौत, बाईसवीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, राजस्थानी रनिवास

यात्रा, भ्रमण, नाटक : किन्नर देश में, विस्मृत यात्री, घुमक्कड़ शास्त्र, तीन नाटक

- अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखें क्योंकि सम्भव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े।
- जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत है।
- ज्ञान सिर्फ मोटी – मोटी किताबों तक ही नहीं सिमटा है, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज आपके लिए ज्ञान का स्रोत हो सकती है।
- कृत्रिम सुख की बजाए ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए।
- बाधा ऐसी डरावनी चीज है, जो लक्ष्य से आँखे हटने पर आपको दिखाई देती है।
- जीवन में आत्मसम्मान सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है।
- समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है।
- माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है।
- असली सवाल यह है कि भीतर से तुम क्या हो ? अगर भीतर गलत हो, तो तुम जो भी करोगे उससे गलत फलित होगा, अगर तुम सही हो तो तुम जो भी करोगे, वह सही फलित होगा।
- जीवन के प्रत्येक समस्या का हल संवेदनशील शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य से ढूंढा जा सकता है।
- गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है, सब्र भी अकेले आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है।
- हम तीन तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, पहला चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है, दूसरा अनुकरण करके जो कि सबसे आसान है, और तीसरा अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी है।
- खुद को ज्ञानी समझने वालों का कभी विकास नहीं होता।
- बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरूआत है।
- क्षमा, ज्ञानी का आभूषण होता है।

केन्द्रीय कार्यालय की गतिविधियाँ

गोवा में आयोजित नीवा बूपा प्रतिष्ठा अभियान के अभिनंदन कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ

केंद्रीय कार्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियाँ

क्षेत्र की गतिविधियाँ

क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापना दिवस के आयोजन की झलकियाँ

ब्रह्मपुर

रांची

भुवनेश्वर

जयपुर

क्षेत्रीय कार्यालयों में महिला दिवस के आयोजन की झलकियाँ

अहमदाबाद

रांची

तिरुच्चि

महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की वित्तीय सलाहकार श्रीमती किरण लेखा वालिया का सम्मान करते मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री सिकरिलाल वि एल एवं व प्र श्री मनोज कुमार

विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित विश्व हिन्दी दिवस की झलकियाँ

दिल्ली

गुवाहाटी

अहमदाबाद

देहरादून

कार्यपालकों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के दौरे के दौरान बैंक के संस्थापक श्री एम सीटी एम चिदम्बरम चेट्टियार को श्रद्धांजली अर्पित करते हुए ।

भोपाल क्षेत्र में मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में महा प्रबंधक महोदय श्री शिव कुमार गुप्ता द्वारा भोपाल क्षेत्र के राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित टिप्पणी लेखन पुस्तिका का विमोचन ।

क्रीमिया की देवदूत – फ्लोरेन्स नाइटिंगेल

शुभम दीक्षित, सहायक प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

कितना तो सटीक कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने "स्वा को पाने का सहजतम मार्ग दूसरों की सेवा में खो कर मिलता है" । सेवा भाव को किसी के ऊपर आरोपित नहीं किया जा सकता, ये जीव के अन्तःकरण से उपजी भावना है । अपने दु:खों से दु:खी होना हर जीव की प्रकृति है किन्तु दूसरों के दु:ख का भागी होना ही हमें पशुओं से अलग बनाता है । अपने आज के इस अंक में हम आपकी मुलाक़ात उस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिसने जीवन पर्यंत दूसरों की पीड़ा को अपनी आत्मा पर सहा । आज हम बात करने जा रहे हैं आधुनिका नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेन्स नाइटिंगेल की । मगर उस आम सी जान पड़ती लड़की के पीड़ितों की मसीहा में बदलने से पहले उसके उदय की कहानी को समझा लेना क्या बेहतर नहीं होगा?

हालांकि इतिहास बहुत बड़ा है और घटनाक्रम बहुत विशद मगर कोशिश रहेगी कि सरलतम शब्दों और दो पैराग्राफ के ख़र्च पर आपको उस समय के देशकाल को समझा सकूँ । बात दरअसल उस दौर की है जब एक ओर से फ्रांस, ब्रिटेन , सारडीनिया और तुर्की व दूसरी ओर से रूस ने अंध महासागर व आस पास के क्षेत्रों में युद्ध छेड़ रखा था । इतिहासकार इस युद्ध को सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण अनिर्णायक युद्ध के रूप में रेखांकित करते हैं और संज्ञात्मक रूप से इसे "क्रीमिया के युद्ध" के नाम से पहचानते हैं । इस युद्ध को क्रीमिया के युद्ध रूप में पहचान मिलने का एक कारण यह भी है कि जब जुलाई 1853 में रूस ने तुर्की के कुछ भागों पर अपना कब्जा जमाया तो रूस की बढ़ती ताकत और स्लाववाद (जिसके बारे में किसी आगामी अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे) के विस्तार के भय और भ्रम से उपजे मिश्रित आक्रोश और कई संधियों और वार्ताओं ने फ्रांस और इंग्लैंड को तुर्की की मदद करने के लिए विवश कर दिया । फ्रांस और इंग्लैंड का संयुक्त बेड़ा तुर्की के किनारे पहुंचा ही था कि उनकी आँखों के सामने रूसी नौ सेना ने तुर्की के बेड़े को जलसमाधि दिला दी ।

इस सब के बाद जनवरी 1854 में फ्रांस और इंग्लैंड का संयुक्त बेड़ा अंध महासागर में घुस गया और रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । मगर इसी बीच रूस ने तुर्की से अपनी सेनाओं की वापसी कर अंध महासागर में इंतज़ार कर रहे संयुक्त बेड़े को फिर से असमंजस की लहरों पर झूलने के लिए छोड़ दिया । समुद्री बेड़े को बिना लड़े वापस बुला लेने की शर्मिंदगी से बचने के लिए दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने बिना कुछ सोचे-समझे आनन-फानन में उस क्रीमिया पर आक्रमण की योजना बना ली, जिसका ठीक-ठीक नक्शा भी उनके पास न था । योजना बनाई गई कि क्रीमिया को प्रायद्वीप को मुख्य भू-भाग से काट कर उस पर कब्जा कर लिया जाएगा । मगर वो इस बात से अनजान थे कि वहाँ पानी की गहराई 2-3 फिट से ज्यादा न थी । 14 सितंबर को सेनाएँ गंतव्य तक पहुंची और 20 सितंबर तक रूस की सेना को एक किले में खदेड़ तो दिया मगर कोई निर्णायक नतीजे नहीं निकल सके । अब इन दोनों देशों की सेनाओं के पास किले के बाहर डेरा डालने के अलावा कोई दूसरा चारा न था । अगले ही महीने सर्दी की दस्तक के साथ दोनों देश की सेनाओं की हालात खराब होने लगी । जो जहाज रसद ले कर आने को थे, तूफान की चपेट में आ कर समुद्रतल से जा मिले । दिसंबर आते-आते 8000 से अधिक सैनिक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए । इन बीमार सैनिकों को अपनी ज़मीन पर वापस बुला कर उनका इलाज़ करने का विचार भी अपने आप में बचकाना था, तो चिकित्सकीय दलों को ही युद्ध भूमि पर भेजने का निर्णय लिया गया । हमारे आज के स्तम्भ की केंद्रीय नायिका 04 नवंबर 1854 को कॉनस्टेनटिनोपोल (वर्तमान में इस्तांबुल, जिसके बारे में आप 128वें और 129वें अंक में विस्तार से पढ़ चुके हैं) के स्कूटरी सेना बेस पर इंग्लैंड से पहुंचे 38 नर्सों के क्रू का हिस्सा थीं, जिन्हें आने वाले वक़्त में कई कीर्तिमान स्थापित करने थे ।

जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी शांति की स्थापना की नींव अगर युद्ध है तो शांति ये के लिए चुकाई गई कीमत बहुत ज्यादा है । आज के स्तम्भ में हम जो ख़त आपके लिए लेकर आए हैं ये ख़त फ्लोरेन्स नाइटिंगेल ने 14 नवंबर 1854 को स्कूटरी सेना बेस से किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल के डॉ. विलियम बोमैन के नाम लिखा था । निजी स्तर पर की गई इन्हीं तमाम कवायदों के चलते वे 07 अगस्त 1856 को पीड़ितों की मसीहा के रूप में वापस इंग्लैंड वापस लौटीं । ये ख़त युद्ध की विभीषिका झेल चुके जवानों के पीड़ाओं का जीवंत दस्तावेज़ है जिसे युद्ध के उन्मादियों को संदर्भ ग्रंथ की तरह पढ़ना चाहिए । अब और अधिक शब्द ख़र्च किए बिना चलते हैं ख़त की ओर ।

बर्राक्क हॉस्पिटल, स्कूटरी
एशियाटिक साइड
14 नवंबर 1854

प्रिय महोदय,

उस व्यक्ति के पास दिन में 24 से ज्यादा घंटे होने चाहिए जो बाहरी तौर पर अहम सवालों के बीच संतुलन को बनाए रखने में सक्षम हो सकता है - और मुझ अकेली लड़की के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है । आप इस बात को आसानी से मान लेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि पिछले गुरुवार को इस अस्पताल में बीमार (जिनमें हैजा के 120 मरीज हैं) और गंभीर रूप से घायलों को मिला कर हमारे पास 1715 मरीज थे । सामान्य अस्पताल कही जाने वाली अन्य इमारत में 650 गंभीर घायल और थे, जिसका प्रभार भी हमारे पास है । हमें अस्पताल के अपने हिस्से को 570 घायलों के लिए तैयार करने का आदेश मिला जिसमें 5 नवंबर को बालाक्लावा में हुई भीषण मुठभेड़ में 1763 लोग घायल हुए जवानों का इलाज़ होना था जिनमें 442 मारे जा चुके थे, इनके अलावा 96 अधिकारी घायल हुए और 38 मारे गए थे ।

मुझे हमेशा अस्पताल के मैट्रन के रूप में अपने दिन ख़त्म होने की उम्मीद थी, लेकिन मैंने कभी भी बैरक प्रमुख बनने की उम्मीद नहीं की थी । घायलों को उतारने से पहले हमारे पास आधे घंटे का नोटिस था । गद्दे भरवाने, सिलने, बिछाने के लिए हमारे पास महज़ 1 से 9 बजे का वक़्त था, अफसोस! फर्श को लोगों ने केवल धोया और चटाई बिछाकर घायलों को उन पर लिटा दिया गया और उन सभी के घावों पर मरहम लगाया गया । काश ! मेरे पास वक़्त होता और मैं आप, एक दिल के सर्जन को एक पत्र लिख पाती ।

लेकिन ओह ! आपके सफल मामलों की तरतीबी से अर्जित संतुष्टि के साथ अपने घरों में बैठे आप, इंग्लैंड के सज्जनों को समाचार पत्रों को पढ़ने से (एक सैन्य अस्पताल में) मरने वाले और थके हुए इन जवानों के डरावने अनुभवों और दुख का बहुत कम अंदाजा हो सकता है । आपके लिए लंदन का अस्पताल फूलों के बगीचे सरीखा है ।

जिन बोस्फोरस और तुर्कों के समुद्रों के लिए हम लड़ रहे हैं, वो हमारे घायलों को इतनी क्रूरता से लाते ले जाते हैं कि वे पीड़ा की असहनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं । यहाँ लाए जाने के दिन ही एक पैर खो चुके व कई जगह से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की 2 घंटे बाद ही मौत हो गई, इसी तरह एक कई जगह से फ्रैक्चर के शिकार हुए सभी चौबीस मामलों में मरीज हमारे बिस्तर पर लाए जाने के दिन ही नहीं रहे । पेंचिश के मामलों में हर दो में से एक की दर से मरीज मर रहे हैं । सैन्य कार्रवाइयाँ जारी हैं । मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग बिल्कुल सही हैं । स्वर्ग की शुरुआत नर्क के साथ ही होती है, लेकिन यह पूरी तरह से नर्क है, इसमें शायद ही कोई संदेह कर सकता होगा ।

हम मेडिकल हेड्स के मामले में बहुत भाग्यशाली हैं । उनमें से दो जानवर और चार स्वर्गदूत के जैसे हैं । क्योंकि ये काम ही है जो या तो उन्हें स्वर्गदूत बनाता है या आम इंसान । सहायकों के लिए, सभी घायल शावक के जैसे हैं, और जब एक आदमी चाकू के नीचे अपनी आखिरी सांस ले रहा है, तो "घायलों की आई ताजा बाढ़ के कारण रात के खाने के बीच से ही उठ जाना खीज से भर देता है" ।

अब हमारे पास चार मील बिस्तर ही बिस्तर हैं जिनके बीच की दूरी अठारह इंच से ज्यादा नहीं है । बैरक के एक टॉवर में हमारे क्वार्टर हैं । अभी-अभी आए घायलों को हमारे और मुख्य गार्ड के बीच दो गलियारों, जिसके दोनों तरफ बेड की एक पंक्ति है, में लिटाया गया है । लिटाए गए एक आदमी से दूसरे आदमी की दूरी महज़ इतनी है कि वहाँ सिर्फ एक पैर रखने भर के लिए ही जगह है, और यहाँ ऐसे चार वार्ड हैं ।

फिर भी इस भयावह भयावहता के बीच (अपनी गर्दन तक खून से लथपथ हममें) कुछ अच्छाई है । और मैं सच में सेंट पीटर की तरह कह सकती हूँ, "ये अच्छा है कि हम यहां हैं," हालांकि मुझे संदेह है कि अगर सेंट पीटर यहां होते, तो शायद ही उन्होंने ऐसा कहा होता ।

जब मैं नए घायलों के बीच रात के दौरान अपना चक्कर लगाती थी तो पहली रात में किसी तरह की कोई बड़बड़ाहट नहीं होती थी, कोई कराह नहीं होती थी – एकदम कड़े अनुशासन से भरपूर, हर तरफ बिलकुल खामोशी और शांति – यहाँ केवल संतरी के कदमों की आवाज़ सुनी जा सकती थी । फिर मैंने एक आदमी को यह कहते सुना, कि वो सपना देख रहा था कि अपने दोस्तों के साथ घर पर है, इसके जवाब में दूसरे ने कहा, कि वो भी अपने दोस्तों के बारे में ही सोच रहा था । ये बेचारे बेजोड़ हिम्मत के साथ इस दर्द और विकृति को सहन करते हैं, या तो इनके कुछ अंग काट दिए जाते हैं

या तो वो बिना किसी शिकायत के मर जाते हैं।

अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें अधिकारियों से कोई लेना-देना नहीं है। घायल अब हमारे दरवाजे तक लेटे हुए हैं, और हम एंडीज से आए चालीस नए घायलों को उतार रहे हैं।

मुझे सेना में ब्रिगेडियर जनरल के बराबर की रैंक मिली हुई है क्योंकि मेरे साथ यहाँ आई चालीस ब्रिटिश महिलाओं के साथ 4000 से अधिक घायलों का प्रबंधन करना बेहद मुश्किल है। यहां कोई भी महिला बाहर नहीं निकलनी चाहिए ताकि थकान और तंगी की आदत न लग जाए। डेवोनपोर्ट बहनों को यह समझना चाहिए कि आत्म-त्याग क्या है, वो शिकायत के अलावा कुछ नहीं करती हैं। कभी-कभी हमारे क्वार्टर की छत पर लगी टीन हट जाती है, या खिड़कियाँ टूट जाती हैं, और हम रात भर पानी में डूबे रहते हैं। हमारे पास अब करने के लिए ये बचा है कि सभी मरीजों के लिए खाना बनवाया जाए और इस काम के लिए यहाँ चार आदमी मिले हैं, क्योंकि पैगंबर मुहम्मद हमें एक महिला के रूप में इस काम को करने की अनुमति नहीं देते हैं। अब हम इन बेचारे साथियों को सरकारी राशन के अलावा कुछ और भी दे सकते हैं। घाव भरने के लिए ये मौसम बेहद मुफीद है।

काश, आप मुझे डॉ. बेंस जोन्स के सामने याद करते और जब आप उन्हें देखते तो उन्हें बताते कि मेरे पास उन्हें याद करने के लिए बहुत अधिक अवसर हैं, क्योंकि यहाँ का हाल उनके काम करने के हालातों जैसा ही है। अब इसके बाद अस्पताल में खून बहने का वक़्त आता है, और ये क्रम हर दस मिनट में खुद को दोहराता है। हमें घायलों के घावों को तब तक दबाकर रखना पड़ता है और जितना संभव हो सके खून बहने को रोकना होता है जब तक कि एक सर्जन को वहाँ भेज नहीं दिया जाता।

मुझे लगता है कि यहाँ सभी गलियारों में औसतन प्रति व्यक्ति के पास तीन अंग नहीं हैं- और क्रीमिया से दो जहाजों में भर कर और अधिक घायलों को यहाँ लाया जा रहा है। उनकी देखभाल हमारा काम है। उनके आते ही शुरू होते हैं ऑपरेशन और उदासी। इसमें कुछ भी उत्साहजनक नहीं है। लगभग सभी के आपरेशन वार्डों में ही कर दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें स्थानांतरित करने का समय नहीं होता है। एक बेचारा साथी, बहुत ज्यादा खून बह जाने का चलते थक गया है। बस एक आखरी उम्मीद थी कि उसका पैर काटे जाने के बाद उसे बचाया जा सकेगा मगर सर्जन के द्वारा उसका पैर काटे जाने के दस मिनट बाद ही उसकी मौत हो गई। कई मामलों में तो लगभग आखिरी सांस आने से पहले ही उन्हें कंबलों में सिल कर उसी दिन दफना दिया जाता है। वार्डों में लाशों के लिए जगह नहीं है। सर्जन अगले घायल के पास जाते हैं जिसके कंधे के जोड़ पर भारी चोट लगाने से पूरे हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है और सारा मांस फाड़ कर बाहर की तरफ निकाल आइ है। बेचारा अगला साथी अपने दोनों पैर खो चुका है और उससे अगले ने अपना

एक हाथ और पैर खो दिया है।

जहाँ तक गोलियों का सवाल है, वो जहां चाहें जाती हैं और जहां से गुजरती हैं वहाँ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं-उनके काम करने का यही एकमात्र नियम है। अगले मरीज की एक आंख बाहर निकाल दी गई है और दूसरी आँख की पुतली बुरी तरह से जख़्मी है। वह अब न तो देख ही सकता है और न ही समझ सकता है।

परन्तु इन घायलों में जो चल सकते हैं वो अक्सर हमारे पास तंबाकू मांगने के लिए आते हैं। लेकिन मैं उन से कहती हूँ कि हमारे पास अपने मुंह में रखने भर के लिए भी तंबाकू नहीं है। हर चीज़ अपना कोई न कोई अंग खोने वालों के लिए स्पंज, तकिया, शर्ट या कुछ और बनाने के लिए पहले ही ले जाई जा चुकी है। यहां आने से पहले तक इन बेचारे लोगों के पास दो महीने से न तो साफ शर्ट थी और न ही धुले हुए कपड़े और जिन गाड़ियों या जहाजों से इन्हें यहाँ लाया जाता है वो सचमुच रेंग कर यहाँ तक पहुँचते हैं।

मैं आशा करती हूँ कि कुछ दिनों में हम यहाँ थोड़ी सफाई कर लेंगे - लेकिन हमारे पास न तो बेसिन है, न तौलिया, न थोड़ा सा साबुन, न झाड़ू। मैंने 300 स्क्रबिंग ब्रश का ऑर्डर दिया है। लेकिन एक बैरक मरम्मत करने के लायक तक नहीं हैं। उनके फर्श इतने खराब हैं कि उन पर पानी की एक बूंद डालना भी नामुमकिन है। उन फ़र्शों के नीचे जो सड़ी हुई लकड़ियाँ हैं वो हमारे लोगों के किसी भी वक़्त बुखार का सबब बन सकती हैं।

अगला मामला एक बेचारे साथी का है जिसके सर के किनारे पर गोली लगी है। उसकी एक आंख उसी वक़्त बाहर निकल गई और दूसरी गोली उसकी जीभ में छेद करते हुए गर्दन में बाहर निकल गई। इस सब ने बहुत ही गहरा घाव किया है। आखिरकार इतनी

असहनीय तकलीफ के चलते उसने दम तोड़ दिया। रात के वक़्त एक साथी के सिर के अगले हिस्से में मेरी मुट्ठी जितना बड़ा एक गूमड़ उभर आया हालांकि वो घायल अपने आखरी समय तक होश में था और बात कर रहा था, मगर वो नहीं बच सका।

मुझे आज एक घायल के शरीर के अंग को उसके दूसरे साथी के सामने ही काट कर अलग करना होगा। उसके दूसरे साथी के शरीर के कुछ अंगों को कल काटा जाना है। उसके लिए अपने साथ होने वाली घटना को पहले ही देख लेना कितना पीड़ा दायी होगा, जिसने आज अपने साथी को चाकू की नोक के नीचे मरते देखा है। ये बुरा प्रभाव तो डालता ही है बल्कि ये उसके बचने की संभावना को भी कम कर देता है। लेकिन, वैसे भी, थकान भरे दिनों के बीच ऑपरेशन और उनसे होने वाली मौतों की दर भयावह है।

यहाँ ज़्यादातर को एरिज़िपेल्स, बुखार और गैंग्रीन की समस्या है। अमूमन रूसी घायल सबसे खराब होते हैं। हमने कई मायनों में अपनी शैलियों में सुधार किया है। जिसे देख कर हम काफी खुश हैं।

वरिष्ठ पादरी एक समझदार व्यक्ति है, जो एक उल्लेखनीय भविष्यवक्ता भी हैं। मैं अभी तक अस्पताल के वार्डों से बाहर नहीं निकली हूँ। लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा बाहर ही है। यदि आप कभी सेंट थॉमस के दवाखाने के श्री व्हिटफील्ड को मिलें तो क्या आप उन्हें बताएंगे कि जिस नर्स श्रीमती रॉबर्ट्स को उन्होंने मेरे पास भेजा था, वो किसी सोने की मूर्ति जैसी मूल्यवान हैं।

आठ तारीख को कुछ और मुठभेड़ें हुई थीं, उनमें घायल हुए जवान हमारे पास आ रहे हैं। श्रीमती लॉफ़ील्ड को अश्लील शब्दों में घर लौटने और कैप बचाने की सलाह दी गई थी, लेकिन दया की भीख मांगने पर उन्हें यहाँ और किसी भी आर्मी हॉस्पिटल के अलावा कहीं और एक और परीक्षण करने की अनुमति दे दी गई है। श्रीमती ड्रेक एक खजाना हैं- बाकी की चार न तो खुद की ही और न ही अन्य सैन्य अस्पतालों की देखभाल करने के लायक हैं। यह मेरे काम की पहली छाप है। लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है, अगर मैं उन्हें बैरक में अनुशासन और औचित्य की परम आवश्यकता के और नशा न करने के बारे में समझा सकती हूं...

यह केवल चीजों की शुरुआत है। हम अभी भी हमले की उम्मीद कर रहे हैं।

फ्लोरेन्स नाइटिंगेल

******

देशकाल

फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 12 मई, 1820 को इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को न केवल ब्रिटिश नर्स बल्कि सांख्यिकीविद्, दार्शनिक, समाज सुधारक और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। क्रीमिया युद्ध के दौरान तुर्की में नाइटिंगेल को ब्रिटिश और संबद्ध सैनिकों की देखभाल का प्रभारी बनाया गया था। उन्होंने बिना आराम किए वार्डों में कई घंटे बिताए घायलों की व्यक्तिगत देखभाल करने के लिए रात में भी घायलों के पास जा कर उनकी मदद करने के चलते उनकी छवि "लेडी विद द लैंप" के रूप में स्थापित हो गई। अपने जीवन के उत्तरार्ध में नर्सिंग शिक्षा को औपचारिक रूप देने के उनके प्रयासों ने उन्हें लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में पहला वैज्ञानिक रूप से आधारित नर्सिंग स्कूल-नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग के नाम से स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जिसे अंततः 1860 में खोला जा सका। उन्होंने वर्कहाउस इन्फर्मरी में दाइयों और नर्सों के लिए प्रशिक्षण शिविर स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल सन 1907 में ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनीं। आज भी प्रतिवर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो स्वास्थ्य देखभाल में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उनके महत्व को प्रदार्शित करता है।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल विलियम एडवर्ड और फ्रांसेस नाइटिंगेल के द्वारा यूरोप के विभिन्न देशों में मनाए गए लंबे हनीमून के दौरान पैदा हुई दो बेटियों में से दूसरी थीं। (फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पिता विलियम एडवर्ड का मूल उपनाम शोर था; 1815 में अपने चाचा की संपत्ति विरासत में मिलने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर नाइटिंगेल रख लिया।) फ्लोरेंस का नाम उनके जन्म के शहर के नाम पर रखा गया था। नाइटिंगेल दंपति 1821 में अपना हनीमून पूरा कर इंग्लैंड लौट आए। इंग्लैंड के पास एक आरामदायक जीवन शैली थी, फ्लोरेंस बौद्धिक रूप से एक अद्भुत प्रतिभाशाली बच्ची थीं। जिसके चलते उनके पिता ने उनकी शिक्षा में विशेष रुचि ली और उन्हें इतिहास, दर्शन और साहित्य की ओर ढाला। उन्हों ने गणित और भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कम उम्र में फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, ग्रीक व लैटिन पढ़ने और लिखने में सक्षम हो गईं। हालांकि फ्लोरेन्स नाइटिंगेल खुद को कभी कुशल गृहणी के साँचे में नहीं ढाल सकीं क्योंकि उन्हें शुरू से ही महान दार्शनिकों को पढ़ना

और अपने पिता के साथ गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संवादों में शामिल होना पसंद था।

एक उदार यूनिटेरियन परिवार के हिस्से के रूप में, फ्लोरेंस को अपने धार्मिक विश्वासों में बहुत आस्था थी। शायद यही सब आगे जा मानवीय संवेदनाओं के प्रति उनके अगाध प्रेम के रूप में उपजा। अपनी पढ़ाई का शुरुआती दौर पार करते-करते फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग भगवान और मानव जाति दोनों की सेवा करने के लिए उपयुक्त मार्ग लगने लगा। हालांकि, समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि से होने के चलते और रिश्तेदारों और परिचितों द्वारा उनके नर्स के प्रशिक्षण लेने कोशिश को कभी नहीं सराहा गया तथा उनके जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि की महिला के लिए इसे एक अनुचित गतिविधि के रूप में देखा गया।

पारिवारिक आरक्षण के चलते नाइटिंगेल अंततः प्रशिक्षण के लिए जुलाई 1850 में दो सप्ताह और फिर जुलाई 1851 में तीन महीने के लिए जर्मनी के कैसरवर्थ में प्रोटेस्टेंट डेकोनेस के संस्थान में अपना स्थान सुरक्षित कर सकीं। वहाँ उसने बुनियादी नर्सिंग कौशल, मरीज की स्थिति के निरीक्षण के महत्व के बारे में सीखा। 1853 में नाइटिंगेल ने अपने पारिवारिक वातावरण से बाहर निकाल गईं और अपने परिचितों की मदद से वह लंदन में इंस्टीट्यूशन फॉर सिक जेंटलवुमेन (शासन) की अधीक्षक बन गईं, जहां उन्होंने नर्सिंग देखभाल, काम करने की स्थिति और अस्पताल की दक्षता में सुधार करके एक प्रशासक के रूप में अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। एक साल के बाद उन्हें एहसास होने लगा कि उनकी सेवाएं उस संस्था में अधिक मूल्यवान होंगी जो उन्हें नर्सों को प्रशिक्षित करने की अनुमति दे सके। वह लंदन के किंग्स कॉलेज अस्पताल में नर्सों की अधीक्षक बनने पर विचार कर ही रही थीं मगर वैश्विक मानचित्र पर होने वाली उठा-पटक ने उनके योजनाओं की पूरी दिशा और दशा ही बदल कर रख दी। यही वो मुकाम था जहाँ से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन की आगे की राह निकलनी थी।

अक्टूबर 1853 में तुर्की साम्राज्य ने रूस पर युद्ध की घोषणा के साथ ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन के सारे समीकरण बदल गए। जैसा कि हमें आपको पहले ही बताया था कि क्रीमिया युद्ध का अधिकांश भाग रूस में क्रीमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया था। हालांकि, बीमार और घायल सैनिकों की देखभाल के लिए ब्रिटिश सेना ने अपना बेस और अपना अस्पताल मुख्य रूप से कांस्टेंटिनोपल (इस्तांबुल) से बोस्पोरस में स्कूटरी (इस्कुदर) में स्थापित किया। घायलों की देखभाल की स्थिति के बारे में लंदन टाइम्स को पहले आधुनिक युद्ध संवाददाता, ब्रिटिश पत्रकार विलियम हॉवर्ड रसेल ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अक्षम और अप्रभावी चिकित्सा प्रतिष्ठान द्वारा सैनिकों का इलाज किया जा रहा है और देखभाल के लिए सबसे बुनियादी आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। ब्रिटिश जनता ने सैनिकों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर हंगामा किया और मांग की कि स्थिति में काफी सुधार किया जाए।

रिपोर्ट से जन्मे विवाद और चौतरफा दबाव से घिरी ब्रिटिश सरकार के युद्ध में राज्य सचिव सिडनी हर्बर्ट को फ्लोरेंस नाइटिंगेल को पत्र लिखकर अनुरोध करना पड़ा कि वह नर्सों के एक समूह को लेकर स्कूटरी जाएँ। उस पत्र के जवाब में नाइटिंगेल ने सिडनी की पत्नी, अपने मित्र लिज़ हर्बर्ट को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें एक निजी अभियान का नेतृत्व करने की अनुमति दी जाए। हालांकि वो पत्र कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच सके मगर उनके अनुरोधों को स्वीकार कर लिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 38 महिलाओं की आधिकारिक रूप से स्वीकृत टीम का नेतृत्व करते हुए 21 अक्टूबर, 1854 को प्रस्थान किया, और 5 नवंबर को स्कूटरी में स्थित बैरक अस्पताल में पहुंची। चिकित्सा अधिकारी किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहते थे सो उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल और उनकी टीम का स्वागत नहीं किया। नाइटिंगेल ने वहाँ पहुँच कर पाया कि वहाँ की परिस्थितियों सच में दयनीय थीं अपर्याप्त आपूर्ति, असहयोगी स्टाफ और अत्यधिक भीड़भाड़ वाला ये बैरक बस भगवान भरोसे ही चल रहा था। पीड़ितों की सहायता करने और सेना के सर्जनों का विश्वास हासिल करने के लिए नाइटिंगेल ने आधिकारिक सैन्य आदेशों की प्रतीक्षा की और और अपनी टीम की कुछ नर्सों के साथ हैजा वार्ड में काम करना शुरू कर दिया। स्कूटरी में नाइटिंगेल के आने के पांच दिन बाद बालाक्लाव और इंकरमैन की लड़ाई से घायल सैनिकों के आने के बाद किसी प्रकार के औपचारिक आदेश के लिए कोई जगह ही नहीं बची।

सैनिकों की ठीक से देखभाल करने के लिए, यह आवश्यक था कि पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त की जाए। नाइटिंगेल ने लंदन टाइम्स द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से उपकरण खरीदे और कपड़े धोने में सहायता के लिए सैनिकों की पत्नियों को सूचीबद्ध किया। वार्डों की सफाई की गई और नर्सों द्वारा बुनियादी देखभाल प्रदान की गई। इस सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वह यह कि फ्लोरेन्स नाइटिंगेल ने देखभाल के लिए नए मानक स्थापित किए, जिसमें नहाना, साफ कपड़े और ड्रेसिंग, और पर्याप्त भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकताएँ शामिल थीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायलों को अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखने और शैक्षिक और मनोरंजक गतिविधियों की शुरुआत कर मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया। देखभाल प्रदान करने और कथित तौर पर मृत्यु दर को लगभग 2 प्रतिशत तक कम करने में उनकी उपलब्धियों ने उन्हें प्रेस में और बैरक में इलाज करवा रहे सैनिकों के द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से इंग्लैंड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने काफ़ी ख्याति कमाई। (इतिहासकारों द्वारा 20वीं शताब्दी में की गई जांच से पता चला कि नाइटिंगेल की देखरेख में बैरक अस्पताल में मृत्यु दर वास्तव में रिपोर्ट की गई तुलना में बहुत अधिक थी - ब्रिटिश सरकार ने वास्तविक मृत्यु दर को छुपाया था। 30 मार्च, 1856 को पेरिस की संधि के बाद क्रीमिया युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। लेकिन फ्लोरेन्स नाइटिंगेल तब तक स्कूटरी में रहीं जब तक कि अस्पताल बंद करने की योजना पारित नहीं हो गई। 7 अगस्त, 1856 को वह एक महान नायिका के रूप में डर्बीशायर में अपने घर लौट आईं।

हालांकि फ्लोरेन्स नाइटिंगेल को मुख्य रूप से क्रीमियन युद्ध के दौरान की गई उनकी सेवा के लिए याद किया जाता है, मगर नाइटिंगेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां स्वास्थ्य देखभाल और नर्सिंग की बेहतरी की दिशा में किए गए प्रयासों पर आधारित थीं। नाइटिंगेल ने ब्रुसेलोसिस और थकावट दोनों के प्रभावों को झेलते हुए भी सितंबर 1856 में ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठान में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए महारानी विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट से मुलाक़ात भी की। अपने क्रीमियन प्रवास के दौरान नाइटिंगेल ने बैरक अस्पताल के संचालन, बीमारी और मृत्यु के कारणों, नर्सिंग और चिकित्सा कर्मचारियों की दक्षता और यात्रा में आई कठिनाइयों के बारे में सावधानीपूर्वक सारे रिकॉर्ड संभाल के रखे थे। नाइटिंगेल के द्वारा उपलब्ध करवाए गए सांख्यिकीय आंकड़ों और विश्लेषण पर एक शाही आयोग की स्थापना की जिसने अपने निष्कर्षों पर एक प्रतिवेदन किया जिसके चलते सैन्य चिकित्सा और शोधन प्रणालियों में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

सन 1855 में फ्लोरेन्स नाइटिंगेल के प्रति कृतज्ञता और सम्मान के प्रतीक के रूप में, नाइटिंगेल फंड की स्थापना की गई थी जिसमें 1859 तक निजी दान के माध्यम से 45,000 पाउंड जुटाए गए। फ्लोरेन्स नाइटिंगेल ने इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना के लिए इस्तेमाल किया जो 1860 में खोला गया था। स्कूल ने धर्मनिरपेक्ष नर्सिंग शिक्षा को औपचारिक रूप दिया, जिससे नर्सिंग उन महिलाओं के लिए एक व्यवहार्य और सम्मानजनक विकल्प बन गया, जो बाहर रोजगार चाहती थीं। नाइटिंगेल के सांख्यिकीय मॉडल- जैसे कॉक्सकॉम्ब चार्ट, जिसे उन्होंने मृत्यु दर का आकलन करने के लिए विकसित किया था- और नर्सिंग के बारे में उनकी बुनियादी अवधारणाएं आज भी विश्व भर के चिकित्सीय आंकड़ों के शोधन के लिए प्रयोग की जाती हैं। इन्हीं कारणों से उन्हें आधुनिक नर्सिंग की जननी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

नाइटिंगेल ने अपने सबसे प्रसिद्ध प्रकाशन, "नोट्स ऑन नर्सिंग: व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट" के माध्यम से घरों पर रह कर उपचार लेने वाले मरीज़ों के लिए उम्मीद के नए दरवाजे खोल दिए। यह खंड सन 1859 से अभी तक दुनिया भर में निरंतर प्रकाशित किया जाता है तथा संदर्भ ग्रंथ की तरह प्रयोग किया जाता है। नाइटिंगेल फंड की बची हुई राशि का इस्तेमाल 1862 में किंग्स कॉलेज अस्पताल में दाइयों की शिक्षा के लिए अलग स्कूल खोलने में किया गया। यह मानते हुए कि बीमारों की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान घर ही हो सकता है, उन्होंने जिला नर्सिंग के लिए प्रशिक्षण की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना था।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उनके जीवनकाल में ही न केवल लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ जेरूसलम के सेंट जॉन की उपाधि से सम्मानित किया गया बल्कि वो ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला भी बनीं। 1910 में उनकी मृत्यु पर नाइटिंगेल के पूर्व अनुरोध के चलते उनके परिवार ने उन्हें वेस्टमिंस्टर एब्बे में एक राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार और दफनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उनकी इच्छा के अनुसार सेंट मार्गरेट चर्च, ईस्ट वेलो, हैम्पशायर में पारिवारिक भूखंड में दफ़नाया गया।

गुनाहों के निशान खोजता नया कानून

फणीष मणि त्रिपाठी, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

वक्त की धूल थोड़ी साफ करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश के दो बेहद हाई प्रोफाइल और चर्चित मामले ज़रूर याद आ जाएंगे । ये दोनों केस ऐसे थे जो देश, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति और समाज में लंबे समय तक चर्चा का केंद्र बने रहे । पहला केस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से सम्बन्धित है । जिस सच को वो आजीवन नकारते और पर्दा डालते रहे, वो एक दिन दुनिया के सामने आ गया । और इस तरह ऐसा भी समय आया कि उन्हें भी ये मानने पर मजबूर होना पड़ा कि अपने राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए वे झूठ का सहारा ले रहे थे ।

नारायण दत्त तिवारी का राजनीति रसूख किसी से छुपा नहीं है । वे तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राजीव गांधी की कैबिनेट में केंद्रीय विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसे बड़े एवं प्रभावी पदों पर रह चुके थे । वे केंद्रीय राजनीति का जाना-माना नाम और चेहरा थे । एक समय राजनीतिक गलियारों में उनकी तूती बोलती थी । इतनी रसूखदार राजनीतिक शख्सियत कि उनके आगे सब कुछ बौना पड़ जाता था । इतनी पहुंच रखने वाले व्यक्ति पर उंगली उठाना और फिर आरोपों व दलीलों को साबित करना निहायत ही मुश्किल था । वर्ष 2008 में रोहित शेखर नाम के एक युवक ने ये हिमाकत कर दिखाई । उसने ऐलान किया कि नारायण दत्त तिवारी उसके पिता हैं । रोहित के इस दावे ने बड़ा राजनीतिक भूचाल ला दिया । चारों तरफ यही चर्चा होने लगी कि क्या वाकई रोहित तिवारी जी का बेटा है । हालांकि तिवारी जी खुद इस बात को नकारते रहे और रोहित के दावे को झूठा बताते रहे । रोहित अपने दावे पर अड़ा रहा । उसे बस एक ही जुनून था कि नारायण दत्त तिवारी उसकी माँ उज्जवला को अपनी पत्नी स्वीकार करें और रोहित को अपना बेटा मानें । उसकी माँ को तोहमतों से मुक्ति मिले और वो आत्म-सम्मान मिले जिसकी वो हकदार हैं । आखिरकार कानून का दम और उस पर भरोसा एक बार फिर मजबूत हुआ । कोर्ट ने नारायण दत्त तिवारी और रोहित के डीएनए सैंपल की जांच कराई और पाया कि रोहित के दावों में दम है । फिर नारायण दत्त तिवारी ने भी इस सच को कबूल किया और 2013 में 88 साल की उम्र में उन्होंने उज्जवला से शादी की और रोहित को पुत्र रूप में स्वीकार किया ।

तकनीक और विज्ञान के विकास ने आज हमें उस दौर में ला दिया है जहाँ डीएनए सैंपल की जाँच से हर झूठ का पर्दाफ़ाश हो सकता है । फिर चाहे कसूरवार शख्स कितना ही हाई प्रोफाइल और पहुंच वाला क्यों न हो । डीएनए जाँच कितनी महत्वपूर्ण है इसकी बानगी देखने को मिली उत्तर प्रदेश के ही एक और बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में । वर्ष 2003 में 24 साल की एक युवा कवयित्री और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम रहे अमरमणि त्रिपाठी की कथित गर्लफ्रेंड मधुमिता शुक्ला की, लखनऊ स्थित पेपर मिल कॉलोनी आवास पर, दो बंदूकधारियों ने बेहद करीब से गोली मार कर हत्या कर दी । जब मधुमिता को मारा गया तब वो सात महीने का गर्भ धारण किए थी । मधुमिता के परिवार को सच्चाई मालूम थी पर अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक कद काफी बड़ा था । उनकी पहुंच इतनी ऊंची थी कि मधुमिता शुक्ला के परिवार को न्याय लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं । आखिरकार इस मामले में भी डीएनए सैंपल तुरुप का पत्ता साबित हुआ और सच खुलकर सबके सामने आ गया । कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला के गर्भ में पल रहे बच्चे के डीएनए सैंपल की जाँच के आदेश दिए । फिर यह पता चला कि मधुमिता के गर्भ में अमरमणि त्रिपाठी का ही बच्चा पल रहा था । यह सच सामने आने के बाद पूरा केस दूध का दूध और पानी का पानी हो गया । इसके बाद त्रिपाठी दंपत्ति को मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में सजा सुना दी गई ।

इन जैसे अनगिनत मामले होंगे जिनमें डीएनए सैंपल की जांच ने केस का रुख मोड़ दिया है और न्याय दिलाने में वादियों की मदद की है । आपराधिक जाँच का महत्वपूर्ण पहलू है फॉरेंसिक जाँच, जिसमें घटना की तह तक जाने के लिए विभिन्न प्रकार के भौतिक और जैविक नमूने इकट्ठा किए जाते हैं और लेबोरेट्री में उनका परीक्षण किया जाता है । आपराधिक मामलों की जाँच की प्रक्रिया अब वैज्ञानिक आधारों पर निर्भर हो गई है । अपराध को अंजाम देने वाले की निशानदेही और पहचान करने में डीएनए के नमूने बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं । छोटे-से-छोटे निशान भी जाँच एजेंसियों को अपराधियों तक पहुंचाने में कारगर साबित हो रहे हैं । ये निशान ऐसे होते है जिन्हें खुली आंखें नहीं देख सकतीं पर लेबोरेट्री के अनुसंधान में इनसे कई बड़े सुराग मिल जाते हैं ।

हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी न्याय प्रक्रिया जिन कानूनों और संहिताओं पर आधारित है वे इतने पुराने हो चुके हैं कि आज के ज़माने का बनाने के लिए उनमें बदलाव ज़रूरी हैं । ऐसा ही एक कानून है जो अपराधियों की पहचान से जुड़ा है । ये कानून 1920 में बना था । पिछले 100 सालों में अपराध की पूरी दुनिया कितनी बदल गई है ये आप बेहतर जानते हैं । यही वजह है कि लंबे समय से आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से सुधारने की माँग हो रही है । इसी क्रम में सरकार ने अप्रैल 2022 में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) बिल, 2022 को सदन से पारित करा लिया । यह कानून कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की जगह लेगा ।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) बिल, 2022 में प्रमुख रूप से तीन बातों पर ज़ोर दिया गया है : 1) जुटाया जाने वाला डाटा किस प्रकार का होगा, 2) किन लोगों से नमूने या डाटा प्राप्त किए जाएंगे और 3)डाटा जुटाने के लिए प्राधिकृत करने का प्राधिकार किनके पास होगा । साथ ही नए अधिनियम में डाटा के संरक्षण के लिए एक डाटाबेस बनाने का भी प्रावधान किया गया है । पुराने कानून की तर्ज़ पर नए अधिनियम में

ये प्रावधान भी रखा गया है कि डाटा या सैंपल देने से इंकार करने वाले व्यक्ति के बारे में माना जाएगा कि वो सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का अपराध कर रहा है।

पुराने कानून यानि कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 में प्रावधान था कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति या दोषी व्यक्ति की उंगलियों और कदमों की छाप (फिंगर एवं फुटप्रिंट) जुटा सकते हैं जिससे अपराध में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने में मदद मिल सके।

साथ ही, अपराध से जुड़े व्यक्तियों की माप लेने और फोटोग्राफ लेने के भी आदेश मजिस्ट्रेट दे सकते हैं जिससे जाँच में सहायता मिले। पुराने कानून के अनुसार व्यक्ति की रिहाई या उसे अपराधों से बरी किए जाने के बाद इस डाटा को नष्ट कर दिया जाता था। मार्च 2003 में न्याय प्रणाली में सुधार के लिए एक विशेष समिति बनाई गई जिसने सिफारिश की कि मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिए जाएं कि वो डीएनए की जाँच के लिए खून के नमूने, बाल, सलाइवा और सीमेन सैंपल जुटाने के लिए भी अधिकृत कर सकें।

हम पुराने कानून के साथ तुलनात्मक अध्ययन के जरिए आपको बताते हैं कि नये कानून में क्या नया है:

1920 अधिनियम	2022 का विधेयक
2022 का डाटा जुटाने की मंजूरी विधेयक	
फिंगरप्रिंट, पदचिन्हों के निशान, फोटोग्राफ	जैविक नमूने और उनका आंकलन, हस्ताक्षर समेत व्यवहारगत विशेषताएं, हस्तलेखन एवं इसके साथ अपराध दंड संहिता की धारा 53 और 53(ए) में शामिल परीक्षण (इसमें खून, सीमेन, बालों के नमूने, स्वैब्स व डीएनए का परीक्षण और आंकलन शामिल हैं)
जिनके डाटा जुटाए जा सकते हैं	
एक या एक से अधिक वर्ष के लिए सख्त कारावास की सजा काट रहे या दोषी व्यक्ति से	➢ किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार या दोषी व्यक्ति से नमूना इकट्ठा किया जाएगा। हालांकि जैविक नमूने उन्हीं लोगों के लिए जाएंगे जो महिला या बच्चों से जुड़े अपराध में शामिल हों या ऐसे मामले जिनमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हुई हो। ➢ कानून के तहत नज़रबंद किए गए व्यक्ति। ➢ मजिस्ट्रेट के आदेश से ऐसे किसी भी व्यक्ति का नमूना लिया जा सकता है जिससे जाँच में मदद मिलती हो।
डाटा जुटाने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति	
जाँच अधिकारी, पुलिस स्टेशन प्रभारी या सब-इंस्पेक्टर से बड़े पद का कोई भी अधिकारी	➢ पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी या हेड कांस्टेबल या सीनियर अधिकारी। इनके अतिरिक्त कारागार के हेड वार्डन ➢ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट, एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट

जुटाए गए नमूनों या उनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के पास रहेगी जो एक केंद्रीय एजेंसी होगी। ये एजेंसी कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ डाटा साझा करेगी। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अपने – अपने अधिकार क्षेत्र में एजेंसियों को डाटा इकट्ठा करने, उन्हें संरक्षित करने और साझा करने के लिए अधिसूचित कर सकते हैं।

जुटाया गया डाटा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में 75 वर्ष के लिए रखना होगा। यदि किसी को बिना मुकदमे के बरी कर दिया जाएगा या सभी अपीलों के बाद दोषमुक्त कर दिया जाए तो उससे सम्बन्धित अभिलेखों को मिटा दिया जाए। हालांकि, ऐसे मामलों में भी यदि पुख्ता वजह मौजूद हो तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट डाटा नष्ट नहीं करने के लिए अनुदेशित कर सकते हैं।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) बिल, 2022 में जाँच अधिकारी के अधिकार का दायरा बढ़ाने की कोशिश की गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को घटना की जाँच करने में मदद मिलेगी। जाँच अधिकारी बंदी का बायोमेट्रिक डाटा जिसमें फिंगरप्रिंट, हथेलियों की छाप, पदचिन्हों के निशान, आयरिश और रेटिनल स्कैन समेत अन्य जैविक नमूने जुटा सकते हैं। बिल के प्रावधानों के अनुसार जाँच अधिकारी किसी दोषी, अपराधी, हिरासत में लिए गए व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का जिसके सम्बन्ध में न्यायिक या एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया हो उसका बायोमेट्रिक डाटा ले सकते हैं।

इस कानून का विरोध करने वाले मानते हैं कि बिल के प्रावधान आम नागरिकों के मूल अधिकारों और निजता का हनन करते हैं। आरोप यह भी है कि ये बिल बड़े अपराध के दोषियों और ट्रैफिक नियम तोड़ने के अपराध और सतर्कता की दृष्टि से हिरासत में लिए लोगों के बीच फर्क नहीं करता है। पुलिस और जाँच अधिकारी को असीमित अधिकार दिए गए हैं जो सही नहीं है। उम्मीद है कि नए कानून में किए गए बदलाव, बदलती आपराधिक दुनिया के मुताबिक हों लेकिन इसके साथ खयाल यह भी रखा जाना चाहिए कि इस कानून की आड़ में निर्दोषों पर ज्यादती न की जाए और नागरिक अधिकार सुरक्षित रहें।

शब्द शब्दांतर

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
harlequin	hahr-luh-kwin, -kin	प्राचीन फ्रेंच	विदूषक
ineluctable	in-i-luhk-tuh-buhl	लैटिन	अवश्यंभावी
indite	in-dahyt	प्राचीन लैटिन	रचना
almsgiving	ahlmz-giv-ing, ahmz-	प्राचीन लैटिन	दान देना
defenestrate	dee-fen-uh-streyt	लैटिन	पदच्युत करना
esemplastic	es-uhm-plas-tik	जर्मन	एकीकरण
hieroglyphic	hy-roh-glif-ik	प्राचीन लैटिन	चित्रात्मक लिपि
misnomer	mis-noh-mer	लैटिन	असंगत नाम
saccade	sa-kahd, suh	मध्यकालीन फ्रेंच	आंखों की तीव्र गति
raillery	rey-luh-ree	प्राचीन लैटिन	मज़ाक
septentrion	sep-ten-tree-uhn	लैटिन	उत्तर दिशा
abient	ab-ee-uhnt	लैटिन	दूर जाने की प्रवृत्ति
jornada	Johr-nah-duh	लैटिन	यात्रा
apparatus	ap-uh-rat-uhs, -rey-tuhs	लैटिन	उपकरण
ambidextrous	Am-be-DEKS'-tres	ग्रीक	उभयहस्त
Paludal	puh-lood-l, pal-yuh-dl	लैटिन	आद्रर्भूमि में रहना वाला
euxinia	yook-sin-ee-uh	लैटिन	ऑक्सीजन-क्षीणता
Verdurous	vur-jer-uhs	आधुनिक फ्रेंच	कच्चा
nubilous	noo-buh-luhs, nyoo	फ्रेंच	मेघाच्छादित
carouse	kuh-rouz	जर्मन	मदहोश होना
ultramafic	uhl-truh-maf-ik	लैटिन	चट्टान

संकलनकर्ता
संगीता शेखर
वरिष्ठ प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय
कोयंबत्तूर

महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत - पूर्वोत्तर राज्य

मंजू क्षेत्री, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी

भारत के इतिहास में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। देश में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हुए, उन बदलावों में स्त्रियों की अहम साझेदारी रही है। भारत में महिलाओं की स्थिति हर क्षेत्र में अलग-अलग है। हालाँकि, आज देश के अधिकांश हिस्सों में महिलाएं श्रेष्ठ हैं और पुरुषों के समान अधिकारों का आनंद ले रही हैं फिर भी भारत के अधिकांश हिस्सों में महिलाओं को विभिन्न कारणों जैसे लिंग भेद, रीति-रिवाजों, परंपराओं, दृष्टिकोणों और समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति के कारण समाज का कमजोर वर्ग माना जाता रहा है।

भारतीय इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं का जिक्र इसमें बहुत कम है। सामाजिक भूमिका, जिम्मेदारियों और अधिकारों के मामले में सात बहनों के नाम से मशहूर पूर्वोत्तर राज्यों में देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है। अगर पूर्वोत्तर भारत के इतिहास की बात की जाए, तो वहां भी महिलाओं ने कई बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की मीना अग्रवाल, सिल्वरिन स्वर, चंद्रप्रभा सैकियानी, कनकलता बरुआ, सती जॉयमती, इरोम शर्मिला चानू ने अपने क्षेत्र में फैली तत्कालीन विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया था। अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में भी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं जैसे मैरी कॉम , मीराबाई चानू ,लवलीना बोरगोहन आदि ने पूरे विश्व में पूर्वोत्तर को गौरवान्वित किया है।

यह लेख भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित मेघालय राज्य के मातृसत्तात्मक समाज व मणिपुर राज्य की 'ईमा कैथल' पर प्रकाश डालने का छोटा सा प्रयास है।

मेघालय का मातृसत्तात्मक समाज

आम तौर पर दुनिया भर के समाज पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान होते हैं। लेकिन मेघालय राज्य एक ऐसी जगह है, जहां महिलाओं को काफी अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ के खासी और जयन्तिया जनजाति के लोग पारम्परिक मातृवंशीय प्रणाली का पालन करते हैं जिसमें खुन खटदुह (अर्थात कनिष्ठतम पुत्री) घर की सारी सम्पत्ति की अधिकारी एवं वृद्ध माता-पिता की देखभाल की उत्तरदायी होती है। हालांकि पुरुष वर्ग, विशेषकर मामा इस सम्पत्ति पर परोक्ष रूप से पकड़ बनाए रहते हैं, क्योंकि वे इस सम्पत्ति के फ़ेरबदल, क्रय-विक्रय आदि के सम्बन्ध में लिये जाने वाले महत्त्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होते हैं। यहाँ वंशावली मां के नाम से आगे बढ़ती है। कनिष्ठतम पुत्री ही वृद्ध माता-पिता एवं अविवाहित भाई-बहनों की देखभाल करती है। परिवार में कोई पुत्री न होने की स्थिति में खासी और जयन्तिया किसी अन्य परिवार की कन्या को दत्तक बना कर अपना लेता है और इस तरह वह का ट्राई आइङ्ग (परिवार की मुखिया) बन जाती है। इस अवसर पर पूरे समुदाय में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं व उत्सव मनाया जाता है।

गारो वंश प्रणाली में भी, सबसे छोटी पुत्री को परिवार की सारी संपत्ति विरासत में मिलती है। गारो जनजाति के गोत्र अनेक उपगोत्रों में विभक्त है जिसे 'मचोंग' कहा जाता है। मचोंग का शाब्दिक अर्थ मातृत्व है। मचोंग इस समुदाय की सबसे छोटी इकाई है जो कि परिवार से एक भिन्न संस्था है। मचोंग के सभी सदस्य एक ही माँ की संतान माने जाते हैं।

खासी और गारो दोनों जनजातियों में बच्चे अपनी माता के नाम से जाने जाते हैं। परिवार की सम्पूर्ण सत्ता माँ के हाथों में होती है। इस समाज में पिता की कोई निर्णायक भूमिका नहीं होती है। संपत्ति पर माँ का अधिकार होता है। माँ की मृत्यु के बाद माता की संपत्ति पर उसकी सबसे छोटी बेटी का अधिकार होता है। यदि किसी महिला को कोई संतान नहीं हो तो उस मचोंग की किसी अन्य महिला को वह संपत्ति मिल जाती है। इस समुदाय में सबसे छोटी पुत्री को नोकना (उत्तराधिकारिणी) कहते हैं। पुत्री नहीं होने पर कोई महिला अपनी बहन की बेटी को नोकना के रूप में गोद ले सकती है।

पुत्री नहीं होने के बावजूद माता के निधन के बाद उसकी संपत्ति पर उसके पुत्रों का कोई अधिकार नहीं होता है। यदि किसी परिवार में कोई बेटियां नहीं हैं, तो चुनी हुई पुत्रवधू या एक दत्तक पुत्री को घर में रखते हैं और उसे ही गृह सम्पत्ति मिल जाती है।

यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ शादी में विदाई तो होती है लेकिन लड़की की नहीं बल्कि लड़के की। जी हाँ आपने ठीक पढ़ा, यहाँ शादी के बाद लड़के विदा हो कर अपनी पत्नी के यहाँ रहने जाते हैं। मेघालय दुनिया का सबसे बड़ा मातृसत्तात्मक राज्य है, जहाँ पर पूरी विरासत की हकदार एक महिला को बनाया गया है।

मणिपुर की महिलाओं की शक्ति, गौरव, संघर्ष और आत्मनिर्भरता का प्रतीक: इमा कैथल

आभूषणों की भूमि' मणिपुर की आंतरिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं का बड़ा योगदान है। आंतरिक 'ट्रेडिंग' की पूरी व्यवस्था लगभग महिलाओं के हाथों में ही है। इसके कारण भी मणिपुर की महिलाएँ भारत के अन्य हिस्सों के मुक़ाबले ज्यादा आत्मनिर्भर और सशक्त होती हैं। मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा व 500 साल पुराना लोकप्रिय 'इमा कैथल' महिलाओं की आत्मनिर्भरता का एक बेमिसाल

इमा कैथल : एक नजारा

उदाहरण है जहां केवल महिलाएं ही दुकानदारी करती हैं । "इमा कैथल" की उत्पत्ति का पता 'लल्लूप-काबा' प्रणाली से लगाया जा सकता है । लल्लूप-काबा एक प्राचीन प्रणाली थी, जिसमें राजा मणिपुर के लोगों को शाही कर वसूलने, खेती करने और युद्ध लड़ने के लिए एक दूर की भूमि पर भेजा करते थे । इस दौरान महिलाएं अपने धान के खेत में काम करने और बाजार में उपज बेचने और घरेलू गतिविधियों को देखने के लिए गांवों में वापस आ जाती थी। यहीं से बाजार का निर्माण हुआ जो महिलाओं के व्यापार और वाणिज्य की केंद्रीय भूमि है ।

मणिपुर राज्य में व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों के अलावा, महिलाएं सामाजिक मुद्दों और आंदोलनों में भी बहुत सक्रिय हैं । 1933-45 की अवधि के दौरान मणिपुर के महाराजा और ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक एजेंट श्री गिम्सन ने दमनकारी अर्थव्यवस्थाओं और प्रशासनिक नीतियों को पारित किया था । वर्ष 1939 में, इमा कैथल की महिलाओं ने तत्कालीन सरकार की दमनकारी अर्थव्यवस्थाओं और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ आंदोलन और विरोध करना शुरू कर दिया और यह आंदोलन कई महीनों तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के कारण इसे हटा दिया गया ।

मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बीचों-बीच स्थित "इमा कैथेल" राज्य की आंतरिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । मणिपुरी भाषा में 'इमा' का मतलब होता है माँ और 'कैथेल' का मतलब होता है बाज़ार । जहाँ स्थानीय निवासी इसे 'नुपी कैथल' कहते है, वही पूर्वोत्तर में यह बाज़ार **MOTHER'S MARKET** के नाम से मशहूर है । यह अद्‌भुत बाजार म्यांनमार सीमा से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है । इस मार्केट के कपड़े, मसाले, फल, फूल और उससे भी अधिक यहाँ का इतिहास और दुकानदार प्रसिद्ध हैं । इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ लगभग 5000 महिला दुकानदार हैं और यहाँ केवल महिलाओं के लिए ही जगह निर्धारित की गई है ।

तीन बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स नुमा आकार में फैले इस बाज़ार में खाने-पीने के सामान से लेकर सब्जी, मछली, बर्तन, कपड़े और घरेलू उपयोग की सभी वस्तुएँ मिलती हैं । मैदानी इलाकों में रहने वाली महिलाओं के साथ-साथ दूरदराज़ पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आदिवासी महिलाएँ भी ताजी सब्जी, फल, मछली आदि बेचने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ आती हैं । इस बाज़ार पर अध्ययन करने वाले व कुछ इतिहास की किताबें बताती हैं कि यह मणिपुर के राजा के शासन काल से ही अपना अस्तित्व संभाले हुए है । उस समय यह बाज़ार मणिपुर के व्यापार का मुख्य केंद्र था लेकिन समय के साथ कई परिवर्तन इस बाज़ार में भी आए हैं ।

'इमा कैथेल' मणिपुर के महिला आंदोलन का केंद्र है । यहाँ महिलाएँ विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक मुद्दों पर बात करती हैं । हर बैठक से लेकर आंदोलनों में बाज़ार की एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी होती है । इसी बाज़ार की उपज है मणिपुर का सबसे सशक्त महिला संगठन **'मइरापाईबी'** । यह बाजार अपने आप में मणिपुर की महिलाओं की संघर्षगाथा का प्रतीक है । इंफाल शहर के ख्वाईरंबन्द नामक इलाके में स्थित यह बाज़ार तीन भागों में पुराना बाज़ार, लक्ष्मी बाज़ार और नया बाज़ार नाम से बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स में विभाजित है । इन तीनों में अलग-अलग वस्तुएँ मिलती हैं । जैसे नया बाज़ार में सब्जी, मछली और फल मिलते हैं तो वहीं लक्ष्मी बाज़ार में परंपरागत कपड़े और अन्य घरेलू सामान । इन तीनों कॉम्प्लेक्स को मिलाकर बनता है "इमा कैथेल" जिसके अंदर छोटी-छोटी पंक्ति में 15-16 दुकानें (दुकानें कोई ईंट सीमेंट या टीन से बनी हुई नहीं बल्कि जैसे सब्जी मंडी में होती हैं एक निश्चित स्थान कुछ-कुछ वैसा ही) हैं । बाज़ार का अपना एक सिस्टम बना हुआ है । अंदर दुकानें लगाने के लिए लाइसेंस का होना जरूरी है जो इम्फाल म्युनिसपल काउंसिल जारी करती है । जिन महिलाओं के पास लाइसेंस नहीं होता वह बाज़ार के बाहर पटरी पर बैठकर सामान बेचती हैं । जिनकी तादाद भी बहुत अधिक है । पटरी पर सामान बेचने वाली अधिकांश महिलाएँ इम्फाल से दूर पहाड़ी जिलों जैसे – बिशनुपुर, उखरुल, सेनापति, चंदेल, तामेंगलोंग, चुराचांदपुर आदि से आती हैं । इनमें से कुछ महिलाएँ तो पटरी पर बैठकर अपना सामान खुद बेचती हैं तो कुछ महिलाएँ सारा सामान वहाँ दुकान वाली महिलाओं को बेचकर अपने घर चली जाती हैं ।

महिलाओं के द्वारा संचालित इस बाज़ार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था

को देखें तो पता चलता है कि मणिपुर में 'मैतेयी' समुदाय का प्रभुत्व आरंभ से ही रहा जो कि अधिकांशत: मैदानी इलाकों में रहते हैं। मणिपुरी महिलाओं के संघर्ष के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि मैतेयी महिलाओं ने बड़े संघर्ष किए हैं। राजनैतिक और सामाजिक आंदोलनों के कई मोर्चों पर मैतेयी महिलाएँ संघर्षरत रही हैं। इस बाजार में सामान बेचने वाली लगभग 86.35% मैतेयी महिलाएँ हैं तो वहीं 4.42% मुस्लिम महिलाएँ और 8.23% क्रिश्चियन महिलाएँ (ये पहाड़ी इलाकों से आने वाली आदिवासी महिलाएँ हैं) हैं।

इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि इन महिलाओं में अनपढ़ से लेकर स्नातक की हुए महिलाएँ हैं जो यहाँ सामान बेचने आती हैं। शायद ही देश का कोई अन्य प्रांत होगा जहाँ महिलाओं का ऐसा बाज़ार होगा। इस बाज़ार के कुछ अलिखित नियम हैं जो इसकी खूबसूरती भी है। यहाँ यदि कोई कपड़ा बेच रहा है तो वह कपड़ा ही बेचेगा सब्जी या कुछ और नहीं बेच सकता। यह कोई लिखित कानून नहीं है पर इस बात का सब लोग ध्यान रखते हैं। इससे कहीं न कहीं समानता का भाव तो बनता है लेकिन मणिपुर में होने वाले आए दिन बंद का असर भी यहाँ सामान बेचने वाली महिलाओं पर बहुत पड़ता है। खासकर उन महिलाओं पर जो पहाड़ी इलाकों से सामान बेचने आती हैं।

कई महिला आंदोलनों का गवाह रहा यह इमा बाज़ार मणिपुर की आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ राजनैतिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र है। साथ ही अपनी तरह का यह अनूठा बाज़ार मणिपुर की महिलाओं की शक्ति, गौरव, संघर्ष और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। यह एक ऐसा विशेषाधिकार है जो मणिपुरी महिलाओं की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। ये महिलाएं, जिनमें से कुछ वास्तव में दूर-दराज के गांवों से आती हैं, अपने सामान को प्रदर्शित करने वाली छोटी सी जगह के लिए प्रति माह लगभग ₹ 40 का भुगतान करती हैं।

यह पुराना बाजार वर्षों में हजारों महिला व्यापारियों के लिए हलचल भरे बाजार के रूप में विकसित हुआ, जो घरेलू सामान से लेकर हस्तशिल्प और वस्त्र तक सब कुछ बेचती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है

स्वतंत्रता के बाद, अखिल महिला बाजार पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया और बाद में राज्य के सामाजिक-आर्थिक इंजन के रूप में उभरा। यह अब सूचनाओं के आदान-प्रदान का केंद्र है, इस प्रकार यह दूर-दूर से लोगों की आमद को आकर्षित करता है। महिला व्यापारी सम सामयिक सूचना व करेंट अफेयर्स से अपडेट रहती हैं और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से चर्चा करती हैं। बाजार का प्रबंधन और संचालन महिलाओं के एक संघ द्वारा किया जाता है।

"इमा कैथल" की महिलाओं ने एक संघ बनाया है जो बाजार का प्रबंधन करता है और महिला व्यापारियों के लिए एक क्रेडिट सिस्टम चलाता है; महिलाएं सामान खरीदने के लिए पैसे उधार ले सकती हैं और बाद में संघ को वापस कर सकती हैं।

हर सुबह, पारंपरिक फ़नेक्स (सरोंग) और इन्नाफ़िस (शॉल) पहने हुए, ये मिलनसार महिलाएं नुपी कैथल (इमा कैथल का दूसरा नाम) में व्यवसाय के लिए आती हैं। खरीददारों और विक्रेताओं के बीच सौदेबाजी के कोलाहल पर हंसी के साथ उनकी गपशप का शोर सुनाई देता है। रात होते-होते, शोर एक बड़बड़ाहट में बदल जाता है, क्योंकि महिलाएं अपना सामान पैक करती हैं और उन्हें गाड़ियों में बांध देती हैं, जबकि कुछ साधारण भोजन पकाने के लिए वहीं रुकती हैं। जैसे-जैसे व्यापारियों की संख्या बढ़ती गई और बाजार फलता-फूलता गया, वहां घर, कपड़ा, हस्तशिल्प से लेकर सब्जियां और मांस तक की हर छोटी वस्तु बिकने लगी। बाजार राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रथा के अनुसार, जो वर्षों से चली आ रही है, केवल विवाहित महिलाओं को ही बाजार में व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति है।

पूर्वोत्तर भारत के एक कोने में बसा, मणिपुर का यह बाजार कई तरीकों से पारंपरिक है। यह न केवल इस तथ्य के लिए प्रतिष्ठित है कि यह एक अखिल महिला बाजार है, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा, पूरी तरह से महिला व्यापारियों द्वारा संचालित और प्रबंधित बाजार भी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित, यह बाजार 5,000 से अधिक महिला विक्रेताओं के लिए एक कार्यस्थल है।

ये मार्केट 500 साल पुराना इतिहास अपने साथ समेटे हुए है। उस समय से जब इम्फाल में मुद्रा का चलन नहीं होता था तब भी यहाँ की महिलाएं सामान एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करती थीं। मार्केट की तीन बिल्डिंगों में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके नियम भी बने हैं। मार्केट का सबसे सख्त नियम यह कि यहाँ पर पुरुष न तो व्यापार कर सकते हैं न ही कोई सामान बेच सकते हैं। हां पुरुषों को सामान खरीदने के लिए यहाँ प्रवेश मिलता है।

यहाँ कुछ दुकानें उन औरतों के लिए आरक्षित की जाती है, जो विधवा हैं, अकेली हैं या जिनके पति मार दिए गए है। चूंकि ये बाजार काफी चर्चित है लिहाजा इसे देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ आमतौर पर महिला दुकानदार परपंरागत वस्त्रों फंकेत में नजर आती हैं। ये महिलाएं इस बाजार के ज़रिए इतना कमा लेती हैं कि अपने घर को बहुत अच्छी तरह से चला सकती हैं।

सरफेसी अधिनियम – 2002 का क्रियान्वयन

अनिल कुमार यादव, प्रबन्धक, लखनऊ क्षेत्र

सरफेसी अधिनियम 2002 बैंकों को अदालत के हस्तक्षेप के बिना एनपीए की वसूली के लिए सशक्त बनाने के इरादे से तैयार किया गया था। सरफेसी अधिनियम 2002 एनपीए ऋणों की वसूली की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। बैंकिंग कानूनों से संबंधित मौजूदा कानूनी ढांचा कभी-कभी वित्तीय क्षेत्र की लगातार बदलती जरूरतों को पूरा करने में विफल रहता है। एक मजबूत कानून की इस कमी की भरपाई सरफेसी अधिनियम के निर्माण द्वारा की गई थी। सरफेसी अधिनियम 2002 ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) के स्तर को कम करने में बहुत मदद की है। बैंकिंग क्षेत्र में समग्र सुधारों की जांच करने और बैंकों के लिए प्रचलित कानूनी प्रणाली में परिवर्तन का निर्धारण करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा नरसिम्हम समिति और अध्यार्जुना समिति का गठन किया गया था। इन समितियों ने प्रतिभूतिकरण (securitization) के लिए नए कानून बनाने और प्रतिभूतियों के कब्जे के लिए वित्तीय संस्थानों को सशक्त बनाने एवं बिना किसी अदालत के हस्तक्षेप के उन्हें उचित समय पर बेचने का सुझाव दिया और सिफारिशों को सरफेसी अधिनियम के रूप में अमली जामा पहनाया गया । इस अधिनियम के तहत, यदि वित्तीय संस्थान या बैंक का उधारकर्ता ऋण की किसी किस्त की अदायगी में कोई चूक करता है तो उसके खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। सरफेसी अधिनियम पूरे भारत में लागू किया गया है। सरफेसी अधिनियम 2002 निम्नलिखित कानूनों में संशोधन करके लागू किए गए हैं:

- बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय कर्जों की वसूली अधिनियम, 1993 (RDDBFI)
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

सरफेसी अधिनियम लागू करने की प्रक्रिया -

ऋण के एनपीए होने के 15 दिनों के अंदर प्राधिकृत अधिकारी जो कि मुख्य प्रबंधक या उससे ऊपर का अधिकारी होगा, के द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा जो कि सभी उधारकर्ता और जमानतकर्ता को भेजा जाएगा।

डिमांड नोटिस की पावती प्राप्त होने के 60 दिनों के बाद यदि उधारकर्ता सरफेसी के नियमों के तहत पूरा पैसा जमा नहीं करता तो उसे अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत कब्जे (possession) की सूचना दी जाएगी। कब्जे की सूचना दिए जाने के 7 दिनों के अंदर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के दो प्रमुख अखबारों में कब्जे की सूचना को छपवाना होता है।

संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत जिला न्यायधीश या सीएमएम के पास आवेदन प्रस्तुत किया जाता है जिसका निर्णय उनके द्वारा 60 दिनों के अंदर लिया जाता है और बैंक को मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में संपत्ति पर कब्जा दिलावाया जाता है।

इसके बाद पैनल वैल्यूअर से मूल्यांकन करवाकर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय की सरफेसी कमेटी को रिज़र्व प्राइस निर्धारित करने के लिए सिफारिश की जाती है।

पहला सेल प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू का 95 प्रतिशत होना चाहिए। इसके बाद बिक्री के लिए सेल नोटिस दिया जाता है। प्रथम नीलामी की तिथि सेल नोटिस जारी होने के कम से कम 1 महीने के बाद की होनी चाहिए। अगर प्रथम नीलामी की तिथि को प्रापर्टी की नीलामी नहीं हो पाती है तो आगे की नीलामी 15 दिनों के नोटिस पर किया जाता है। शाखाएं नोटिस के प्रारूप, संबंधित प्रक्रिया के विस्तृत ब्यौरे के लिए आइओबी ऑनलाइन पर सरफेसी सिंम्पलीफाइड का अवलोकन कर सकती हैं।

सरफेसी अधिनियम एक ऐसा कानून है जो भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालतों के हस्तक्षेप के बिना क्रेडिट डिफॉल्टरों की संपत्ति/संपत्ति को बेचने या नीलाम करने की अनुमति देता है। सरफेसी अधिनियम के तहत, भारत के प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सरसाइ) भी गठन किया गया है । सरसाइ सुरक्षा हितों की पूरी तरह से ऑनलाइन केंद्रीय रजिस्ट्री है। सरसाइ को उन धोखाधड़ियों की जांच के लिए बनाया गया था, जहां विभिन्न बैंकों से एक ही संपत्ति को संपार्श्विक (कोलैट्रल) के रूप में उपयोग करके कई ऋण लिए जाते हैं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नवीनतम संशोधन में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एआरसी का पंजीकरण और विनियमन किया जाएगा तथा एआरसी वित्तीय संस्थानों और बैंकों को लाभ के बिना बांड या डिबेंचर या कुछ अन्य प्रतिभूति जो डिबेंचर के रूप में ही जारी कर सकता है तथा सरफेसी अधिनियम के तहत पात्र खरीदारों को प्रतिभूति रसीदें जारी करके धन जुटाने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को सौंपा जा सकता है।

सरफेसी अधिनियम उधारकर्ता के खाते को एनपीए के रूप में अलग-अलग निर्देशों के अनुसार या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार डीए – 1/ डीए – 2 इत्यादि में वर्गीकृत करने में सक्षम बनाता है । इसके तहत प्राधिकृत अधिकारी भारत की केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एक प्रतिभूतित लेनदार (Secured Creditor) के

विभिन्न अधिकारों का प्रयोग करेंगे। भारत की केंद्र सरकार प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के निर्माण से संबंधित लेनदेन को पंजीकृत करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय रजिस्ट्री स्थापित कर सकती है । किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक की कार्रवाई के खिलाफ संबंधित ऋण वसूली न्यायाधिकरण में अपील और अपीलीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण में दूसरी अपील की जा सकती है।

सरफेसी के बारे में एक तथ्य यह भी है कि सहकारी बैंकों को शुरू में बैंकों की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया था, जिसके लिए सरफेसी अधिनियम लागू था। वर्ष 2003 में, सहकारी बैंकों को सरफेसी अधिनियम का उपयोग करने के हकदार बैंकों की श्रेणी में लाने के लिए एक प्रमुख अधिसूचना जारी की गई थी । वर्ष 2013 में, भारत सरकार ने इस अधिनियम का उपयोग करने के लिए पात्र बैंकों की परिभाषा के तहत सहकारी बैंकों को औपचारिक रूप से शामिल करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया। उसके बाद, सरफेसी अधिनियम , 2002 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी करने के अधिकार और संसद की शक्ति पर सवाल उठाने के लिए याचिका दायर की गई थी, 5 मई 2002 को, सुप्रीम कोर्ट ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस विशेष मामले को हल किया । इस विशेष कदम ने सहकारी बैंकों को दीवानी अदालतों और सहकारी न्यायाधिकरणों में शामिल खराब ऋणों की वसूली में अत्यधिक देरी से बचने में काफी मदद की है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अब 1,544 शहरी सहकारी बैंक और 96,248 ग्रामीण सहकारी बैंक हैं जिनमें खुदरा निवेशकों की पर्याप्त जमा राशि है। उनके आकार को ध्यान में रखते हुए, सहकारी बैंकों के निर्बाध कामकाज के उद्देश्य से, डिफ़ॉल्ट ऋणों की शीघ्र वसूली बहुत महत्वपूर्ण है।

हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। सरफेसी अधिनियम 2002 कृषि भूमि एवं रू 1 लाख से कम की एनपीए ऋण राशि और ऐसे मामले जहां उधारकर्ता द्वारा 80% ऋण चुकाया जा चुका है, पर लागू नहीं होगा । फिर भी इसका प्रमुख उद्देश्य है वित्तीय संस्थानों और बैंकों के एनपीए की तीव्र एवं कुशल वसूली करना एवं जब कोई उधारकर्ता डिफॉल्टर बन जाता है और अपना ऋण नहीं चुकाता है तो यह अधिनियम वित्तीय संस्थानों और बैंकों को आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम के द्वारा बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपनी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को कुशलतापूर्वक और समय पर सही से वसूल कर सकते हैं। यदि ऋण लेने वाले अपने ऋण का भुगतान करने में विफल रहे तो बैंक और वित्तीय संस्थान अपनी न चुकाए गए ऋण (unpaid loan) राशि या नुकसान की भरपाई करने के लिए उधारकर्ता की परिसंपत्तियों की नीलामी कर सकते हैं। प्रत्येक शाखा प्रबंधक का दायित्व है कि वह सरफेसी नियमों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करे और मौजूदा नियमों तथा प्रावधानों के तहत हर संभव प्रयास करके वसूली और बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि करे।

कविता

माँ

बैठे थे मैं और मेरा यार,
बातें कर रहे थे दो चार ।
उलझनें थी मन की बहुत,
सुलझा रहे थे उनके तार ॥
देखकर उलझनें मन की,
कहा किसी ने करो एकाक्षर का जाप ॥
उसने कहा ऊँ, मैंने कहा माँ,
लगा है आज भी वह तपस्या में,
सपने पूरे, मेरे हुए साकार ॥
समझाया उसको मैंने, माँ ही तो है साक्षात भगवान,
पैर पकड़ लो माँ के तुम, मिल जाएगा संसार ॥

सत्य प्रकाश पांडेय
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यलय

आज़ादी के 75 वर्ष की उपलब्धि और चुनौतियाँ

सबुज देबनाथ, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

"महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगायी थी,
वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आयी थी।"

सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ हमें आजादी के लिए भारत वासियों के बलिदान की गौरव गाथा सुनाती है। यह कई वर्षों तक किए गए संघर्ष का ही परिणाम है कि आज हम आज़ाद हैं।

भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और उनके दिए गए आदेश और निर्देशों पर ही काम करता रहा, लेकिन सभी देशवासियों के मन में स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा थी और यह इच्छा ही एक दिन आत्मविश्वास व जुनून में बदल गई। आजादी प्राप्त करने के लिए भारत ने समय-समय पर बहुत सारे आंदोलन चलाए जिनमें कुछ आंदोलन सफल हुए तो कुछ आंदोलन असफल साबित हुए। स्वतंत्रता की लड़ाई में कई भारतवासी शहीद भी हुए जिनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विरोधी को कड़ी चुनौती दी और उनका सामना डट कर अपनी आखिरी सांस तक किया। 200 वर्ष से भी लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और आजाद भारत की नींव रखी गई।

तब से लेकर अब तक देश ने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, खेलकूद के क्षेत्र में अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। आज हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए है। आज देश के पास गर्व करने के लिए बहुत सी उपलब्धियाँ है तो अफसोस व्यक्त करने के लिए वजहें भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सबसे पहले देश की आजादी के 75 वर्ष सम्पूर्ण होने पर देश की 75 उपलब्धियों को हासिल करने में आई चुनौतियों का संज्ञान ले ताकि आज की युवा पीढ़ी इनसे अवगत हो सके।

- कश्मीर समेत 560 रियासतों का भारत में विलय – ब्रिटिश सरकार ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कशमीर सहित 560 रियासतों को आजादी दी थी। इन रियासतों का भारत में विलय करना सबसे बड़ी समस्या थी। तात्कालिक गृहमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वी पी मेनन ने इन रियासतों से बात की और सभी 560 रियासत भारत संघ में शामिल हो गई। यह आजादी के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
- वोट देने का अधिकार – भारत ने आजादी के पहले दिन से ही अपने नागरिकों को अपना मत देने का अधिकार दिया। उस समय मतदान की उम्र 21 वर्ष थी जिसे 20 दिसम्बर 1988 को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत ने आजादी के तुरंत बाद देश के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देकर शुरुआत से ही एक परिपक्व लोकतांत्रिक देश निर्मित किया जहाँ जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है।
- हॉकी में भारत को पहला स्वर्ण पदक – सन 1948 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने फाइनल मैच उस ब्रिटेन को हरा कर जीत दर्ज़ की जिसका वह उपनिवेश रह चुका था। ओलंपिक इतिहास में पहली बार तिरंगा झंडा सबसे ऊपर लहरा गया था।
- 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।
- 26 जनवरी 1950 को भारत को देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने एक पूर्ण गणराज्य घोषित किया। यह दिन सम्पूर्ण देश वासियों के लिए गौरव पूर्ण दिन था।
- स्वतंत्रता के बाद देश में पहला लोकसभा चुनाव 1951 में हुआ, इसके साथ-साथ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। देश में पहला मतदान मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के नेतृत्व में 25 अक्तूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच कराया गया। स्वतंत्र भारत में हुए पहले चुनाव से देशवासियों को लोकतांत्रिक मूल्यों का एहसास कराया।
- सन 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। देश के बंटवारे में रेलवे का भी बंटवारा हुआ। 40 फीसदी नेटवर्क पाकिस्तान में चला गया, इसलिए आजादी के बाद भारतीय रेलवे को अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रेलवे का नेटवर्क 1,08,706 कि.मी. ट्रैक और 6,853 स्टेशन के रूप में फैला है। भारतीय रेलवे प्रतिदिन 11,000 गाड़ियां चलाती है, जिनमें 7,000 यात्री गाड़ियां हैं।
- 04 से 11 मार्च 1951 के बीच भारत ने पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों की मेजबानी की। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि पहला एशियन गेम्स सभी देशों के साथ अच्छे तालमेल और हमारी दोस्ती को दिखाते हैं। खेल की मेजबानी से भारत में आत्मविश्वास बढ़ा और खेल के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को विकसित होने का मौका मिला।
- सन 1951 में देश का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में स्थापित किया गया। आज यह संस्थान शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भारत के उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र के रूप में पहचाना जाता है, जहां गरीब छात्रों को भी बेहतर पढ़ाई का माहौल मिल रहा है। 2019 में इस संस्थान को भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया।
- सन 1953 में इंडियन एयरलाइंस की शुरुआत की गई। एयर इंडिया को सबसे पहले जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था। 1946 में इसका नाम बदल कर एयर इंडिया कर दिया गया और 1953 में सरकार ने इसे टाटा से खरीद लिया था। इस प्रकार देश विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना और दुनिया के दूसरे देशों से आवागमन आसान हुआ।
- 3 जनवरी सन 1954 को परमाणु ऊर्जा को देश में शांतिपूर्ण ढंग

से इस्तेमाल करने के लिए देश का पहला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम लॉन्च हुआ। 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया। 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। परमाणु ऊर्जा आयोग ने 3 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे (ए ई ई टी) की शुरुआत की गई । बाद में डॉ भाभा की मृत्यु उपरांत इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया।

- 4 अगस्त 1956 को भारत ने एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर 'अप्सरा' का निर्माण किया। अप्सरा भारत के रिसर्च रिएक्टरों में सबसे पुराना है। यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की पहली बड़ी उपलब्धि रही। इसी वजह से भारत परमाणु हथियार सम्पन्न देश बन पाया। इस उपलब्धि को पाने में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का बहुत योगदान था। वर्तमान में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 21 परमाणु रिएक्टर ऑपरेशन में हैं।
- 1956 में भारतीय हॉकी टीम ने मेलबर्न में हुए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ओलिंपिक खेलों का आयोजन 23 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच किया गया था। कुल 12 टीमों ने इन खेलों में हिस्सा लिया था। ध्यानचंद के बाद बलबीर सिंह सीनियर को भी हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। इस जीत के साथ वह बतौर कप्तान लगातार तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने में ध्यानचंद की बराबरी पर आ गए थे।
- सन 1958 महबूब खान द्वारा निर्देशित मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। मदर इंडिया विदेशी फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पांच फिल्मों में जगह बनाने में कामयाब रही थी। हालाँकि, महज एक वोट के अंतर से यह ऑस्कर पाने से चूक गई। लेकिन भारतीय सिनेमा का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज़ हुआ।
- 1959 में सत्यजीत रे की फिल्म 'अपूर संसार' ने भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के लिए उन्होंने तीन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते। इससे पहले उनकी पहली फिल्म 'पाथेर पांचाली' भी कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुकी थी।'अपूर संसार' सत्यजीत रे की ओर से विश्व सिनेमा को दिया गया सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। विश्व सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ही सत्यजीत रे को मानद 'ऑस्कर अवार्ड' से भी नवाजा गया।
- 1965-66 में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत खाद्यान्न आयात करता था। देश 1960 के दशक के मध्य तक अंतरराष्ट्रीय खाद्य सहायता पर निर्भर था। इस समय देश में अकाल जैसी स्थिति भी थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के गेहूं कार्यक्रम से जुड़े तत्कालीन सदस्य एमएस स्वामीनाथन ने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिलाकर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए। इससे पहली बार देश में गेहूं की बंपर फसल हुई। इस तरह औपचारिक तौर पर भारत में हरित क्रांति को अपनाया गया। देश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने लगी। 1968 में किसानों ने रिकॉर्ड 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया, जबकि इससे पहले सबसे ज्यादा 120 लाख टन उत्पादन 1964 में हुआ था। देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बना और यहां तक कि विभिन्न खाद्यान्नों का निर्यात भी करने लगा।
- 1960 के रोम ओलंपिक में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में चौथे नंबर पर रहे और पदक जीतने से चूक गए। इस रेस में उन्हें 45.73 सेकंड का वक्त लगा। हारकर भी उन्होंने ऐसा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जो 40 साल तक कायम रहा। मिल्खा सिंह ने अपने शानदार प्रदर्शन से नया कीर्तिमान बनाया। रोम ओलंपिक में बनाया गया उनका रिकॉर्ड दशकों तक उनकी पहचान रहा।
- 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने में भारत की अहम भूमिका रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू इसके प्रमुख नेताओं में शामिल रहे।
- 04 सितंबर 1962 को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा । एशियाई खेलों में भारत ने दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। यह भारत के लिए ऐतिहासिक पल रहा।
- 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने भाखड़ा नांगल बाँध परियोजना परियोजना की शुरुआत की । राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की यह संयुक्त परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसका उद्देश्य सिंचाई और विद्युत उत्पादन है। यहां से 1325 मेगावॉट से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। यह बाढ़ की रोकथाम में भी मददगार है और यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को सिंचाई का पानी भी उपलब्ध करवाती है।
- 1966 में पहली बार देश की कमान एक महिला प्रधानमंत्री के हाथ में आई । देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महिला सशक्तीकरण का प्रतीक बनीं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बनाकर दुनिया में उन्होंने अपने नेतृत्व का प्रभाव छोड़ा।
- 07 नवंबर 1966 में रीता फारिया के मिस वर्ल्ड बनने के बाद दूसरी भारतीय महिलाएं भी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित हुईं। 1990 के दशक में भारतीय सुंदरियां सौंदर्य प्रतियोगिताओं में बाजी मारने लगीं। ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर ने यह खिताब अपने नाम किया है।
- बैंकों का राष्ट्रीयकरण - 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पचास करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी वाले 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उस वक्त बैंकों को देश के बड़े औद्योगिक घराने चला रहे थे। 1951 से 1968 के

दौरान बैंकों की ओर से दिए गए कुल कर्ज़ में कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़कर 68 फीसदी हो गई थी। दूसरी तरफ 1969 में देश में हरित क्रांति पर काफी जोर होने के कारण कृषि के लिए कर्ज की उपलब्धता जरूरी थी। इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। इसमें राष्ट्रीयकरण के विधेयक को मंजूरी दी गई। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के लिए इस दिन को ऐतिहासिक माना गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण इलाकों और अर्थव्यस्था को फायदा पहुँचा। राष्ट्रीय स्तर पर विकास के समान अवसर उपलब्ध हुए।

- इसरो की स्थापना - 15 अगस्त 1969 को वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना की। इसके साथ ही भारत में अंतरिक्ष की गतिविधियों की शुरुआत हो गई। उसी साल तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन (टर्लस) की स्थापना का काम भी शुरू हो गया। इसरो की वजह से आज भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नई-नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। यह विश्व की छठी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है।
- श्वेत क्रांति – 1970 में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम के कारण श्वेत क्रांति देखी। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 से हुई। डॉ वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति से भारत दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल गया। अभी दूध के वैश्विक उत्पाद में भारत का 18 प्रतिशत योगदान है।
- बांग्लादेश का जन्म - 16 दिसंबर 1971 को भारत के सैन्य हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नाम का स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को मात दी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके पड़ोसी देश को सख्त संदेश और सबक दिया। दुनिया को भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत का एहसास हुआ।
- चिपको आन्दोलन - यह देश का सबसे बड़ा वन संरक्षण आंदोलन था। यह देश के प्रभावी आंदोलनों में एक माना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड (तब उत्तर प्रदेश का भाग) के चमोली जिले के गांव में हुई थी। इस आंदोलन ने सरकार और लोगों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा और इसका असर देश भर में देखा गया। इसी आंदोलन का नतीजा रहा कि अगले 15 सालों तक हिमालय के क्षेत्र में एक भी पेड़ नहीं काटा गया। इसी तर्ज पर पेड़ों को बचाने के लिए दक्षिण भारत में एप्पिको नाम से आंदोलन शुरू हुआ।
- टाइगर प्रोजेक्ट – 1973 में देश में बाघों की घटती आबादी को बचाने के लिए 1973 में भारत का सबसे सफल पशु संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। भारत ने बाघों के संरक्षण के मामले में दुनिया को एक रास्ता दिखाया जिससे लोगों में बाघों को बचाने की जागरूकता आई।
- 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर से करीब 140 किमी दूर पोखरण में 18 मई 1974 को एक सफल शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण हुआ, जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण का कोडनेम "स्माइलिंग बुद्धा" रखा था। जिसका संदेश दुनिया के लिए यह था कि भारत ने अपनी शांति के लिए यह परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने की दिशा में पहला कदम बना। इसके साथ भारत पांच परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया।
- 19 अप्रैल 1975 लॉन्च हुए पहले स्वदेशी अंतरिक्ष उपग्रह का नाम खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट उपग्रह को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने सोवियत यूनियन की मदद से बनाया था। इसके साथ ही देश ने एक नया मुकाम हासिल किया और अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया।
- 15 मार्च 1975 को भारत हॉकी का विश्व कप जीतकर विश्व चैंपियन बना।
- 25 अक्टूबर 1975 को विधिक प्रावधान द्वारा बन्धुआ मजदूरी पर पाबंदी लगा दी गई।
- 03 अक्टूबर 1978 को भारत के पहले और दुनिया के दूसरे टेस्ट-ट्यूब बेबी 'दुर्गा' का जन्म हुआ।
- 01 जनवरी 1979 को मंडल आयोग गठन किया गया। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला। बाद में वर्ष 2006 में उच्च शिक्षा में भी आरक्षण की यह व्यवस्था लागू की गई।
- इसरो ने सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 18 जुलाई 1980 को पहला उपग्रह रोहिणी कक्ष में स्थापित किया।
- 19 जून 1981 में स्वदेशी संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।
- 25 जून 1983 भारत पहली बार क्रिकेट का विश्व कप जीतकर विश्व चैंपियन बना।
- 03 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुँचने वाले पहले भारतीय बने।
- 1986 के एशियाई खेलों में पीटी उषा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज़ की।

- 07 मार्च 1987 सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले पहले भारतीय बने ।
- 1987 में भारत क्रिकेट विश्व कप का मेजबान बना ।
- 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू उन्होंने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण देने की मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दी।
- अगस्त 1990 कुवैत से एयरलिफ्ट की कोशिश से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। इससे बाहर रहने वाले देशवासियों में यह विश्वास पैदा हुआ कि संकट के समय वतन वापसी कराने के लिए सरकार उनके साथ है।
- 24 जुलाई 1991 उदारीकरण से नई अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी इस दिन संसद में पेश किए गए बजट से भारत में एक नई खुली हुई अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। मौजूदा समय में यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा दुनिया में होती है तो इसका श्रेय 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति को जाता है।
- 30 मार्च 1992 को सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड से नवाज़ा गया ।
- 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन महिलाओं को पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उनकी भागीदारी बढ़ाने का अवसर प्रदान किया गया।
- 15 अगस्त 1995 को देश ने पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया । देश में इंटरनेट आने के बाद लोगों के लिए सूचनाओं और जानकारी का महत्वपूर्ण दरवाजा खुला। 1998 में निजी ऑपरेटरों को इंटरनेट सेवाएं देने के लिए यह क्षेत्र खोल दिया गया। अभी इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश है।
- 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की शुरुआत की गई यह योजना शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बन गई है। स्कूलों में नामांकन, उपस्थिति और पढ़ाई, तीनों में ही यह योजना मददगार साबित हो रही है। इस योजना को कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में भी अहम माना जाता है।
- 1998 में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया।
- 11-13 मई 1998 को पोखरण-2 में परमाणु परीक्षण किया गया । "ऑपरेशन शक्ति" कोडनेम के तहत राजस्थान के पोखरण में पांच परमाणु बमों का परीक्षण किया गया।
- 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध जीता ।
- सन 2000 को विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने ।
- 04 जनवरी 2001 को पहले स्वदेश निर्मित लड़ाकू जेट 'तेजस' ने पहली बार उड़ान भरी ।
- 2001 को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत हुई । अटल बिहारी वाजपेयी ने 5,846 किमी की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की, जो भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता के चार प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। साथ ही ग्रामीण इलाकों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी शुरू की गई ।
- 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई ।
- 2002 मैरीकॉम के मुक्के की गूंज से सभी मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया ।
- 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ ।
- सितंबर 2005 में मनरेगा से 100 दिन रोजगार की गारंटी योजना की शुरुआत की गई ।
- 22 अक्तूबर 2008 को मिशन चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया ।
- 11 अगस्त 2008 को ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा को स्वर्ण पदक मिला ।
- 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ ।
- 26 जुलाई 2009 को पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को लॉन्च किया गया ।
- 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की ।
- 2 अप्रैल 2011 को भारत दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप विजेता बना ।
- 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ ।
- 05 नवंबर, 2013 मंगलयान मिशन ने सफलतापूर्वक अपनी मंगल ग्रह की यात्रा पूरी की ।
- मार्च 2014 को देश पोलियो मुक्त घोषित किया गया ।
- 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबल पुरस्कार से सम्मानित ।
- 28-29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया ।
- 2017 में देश भर में जीएसटी लागू किया गया ।
- 2019 में लोकसभा में सबसे ज्यादा महिला सांसद चुन कर आई ।
- 05 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी किया गया ।
- जुलाई 2019 मिशन चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया ।
- जुलाई, 2019 को मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति मिली ।
- 2020 में स्वदेशी वैक्सीन 'कोवैक्सिन' को विकसित कर, कोविड -19 से लड़ाई में एक नया कीर्तिमान रचा।

इन सभी चुनौतियों से भरी उपलब्धियाँ जाहिर करती है कि आज भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है । इन सफलताओं के बावजूद देश की सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है । पैसे ने व्यक्ति से लेकर समाज एवं राजनीतिक क्षेत्र के मूल्यों का पतन किया है । इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं । बेहतर देश बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है ।

गंगूबाई काठियावाड़ी

दीपक जुनेजा, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

हमारे देश में ऐसी बहुत सी कहानियां और किस्से हैं जो लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं। क्योंकि उन्हें कोई ज़रिया नहीं मिल पाता है जिससे उनकी दर्दनाक कहानी दुनिया के सामने आ सके और दूसरों के लिए हौसले का सबक बन सके। आज की बात ऐसी ही एक गुमनाम शख़्सियत के बारे में जिसका नाम भी है और वो बदनाम भी है। हालांकि बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर आने के बाद से उन्हें गुमनाम कहना शायद थोड़ी ज़्यादती होगी, मगर हकीकत तो यही है कि ऐसे कितने ही नाम हैं जिनकी पहचान का दायरा बेहद सीमित है। और आखिर हो भी क्यूँ न, जब खुद ब्रिटेन द्वारा हमारे देश के मुट्ठी भर जवानों की स्मृतियों उनकी 124 सालों तक गुनगुनाई शौर्य गाथा को अपने ही देश में 122 सालों बाद पहचान मिलती है तो वो भी एक बॉलीवुड की फिल्म के ज़रिए तो इस बारे में कहने को ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है।

मगर आज जिनकी बात होगी उन्होंने अपने जीवन के सबसे निचले पायदान पर खड़े हो कर भी कभी बेहतरी की उम्मीद नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि शर्म औरत का गहना होती है तो आज हम बात कर रहे हैं उनकी, जिन्होंने अपना सब खो कर भी सर उठा कर अपनी ज़िंदगी को जिया। जिनका नाम सुनते ही सो कॉल्ड सभ्य समाज नज़रें तरेर लेता है, उन्होंने उस समाज की नज़रों से नज़रें मिला कर अपने हक़ की बात की। हम बात कर रहे हैं बदनाम गलियों में नाम कमाने वाली गंगा की जिसे कमाठीपुरा की गलियों ने गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम दिया। आज हम उन्हीं के बारे में कुछ विस्तार से जानेंगे। हालातों की मारी गंगा भले ही पेशे से वेश्यावृत्ति के दलदल में आ फंसी हों लेकिन जो काम उसने महिलाओं और बच्चों के लिए किया, वह आज भी एक मिसाल की तरह कायम है। गंगा का नाम एक नज़ीर हैं उन सभी के लिए जिन्हें लगता है कि कभी कुछ बदला नहीं जा सकता। एक संवाद के दौरान कितना तो सटीक ही कहती है गंगा कि वेश्यावृत्ति का पेशा शायद मानव सभ्यता के सबसे पुराने पेशों में से एक है। फिर भी सबसे हैरानी की बात ये हैं कि सबसे पुराना होने के बाद भी इसे आज तक कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी है। गंगा ने सेक्स वर्कर्स के हक की लड़ाई बहुत ऊंचे स्तर तक लड़ी और कई बड़े कदम उठाए। यहाँ तक कि गंगा रेड लाईट एरिया में काम करने वाली महिलाओं के हक की लड़ाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के कार्यालय तक लेकर गई।

कौन है गंगा उर्फ गंगूबाई काठियावाड़ी-

लेखक एस हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई' के मुताबिक ,गुजरात के एक सम्मानित परिवार की इकलौती बेटी गंगा हरजीवनदास काठियावाड़ी थीं। आगे चलकर उनके जीवन की मुश्किल हालातों ने उन्हें अपराधी, डॉन, वेश्या, बिजनेस वूमेन, समाज सेवी और भी न जाने क्या-क्या बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई पहली ऐसी महिला थी जो 60 के दशक में डॉन की तरह रहा करती थी उनसे कोई भी पंगा लेने से पहले सौ बार सोचा करता था। वे एक कोठा चलाया करती थी जिसकी पूरे देश में कई सारी शाखाएँ भी थी।

गंगूबाई काठियावाड़ी का प्रारंभिक जीवन

गंगूबाई का जन्म गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान पर 1939 में हुआ था। बात पारिवारिक पृष्ठभूमि की की जाए तो गंगूबाई के ताल्लुकात बेहद संभ्रांत परिवार से थे। एक सभ्य सुशिक्षित परिवार, जो बेटियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने में विश्वास रखता था। गंगूबाई उनके परिवार की इकलौती बेटी थी जिसे वे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे, परंतु गंगूबाई की दिलचस्पी पढ़ाई में कम और फिल्मों में ज्यादा थी। वे हमेशा से ही हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी और मुंबई जाने की बातें किया करती थी।

गंगूबाई काठियावाड़ी की शादी

गंगा के पिता के पास एक अकाउंटेंट काम करता था, जिसका नाम रमणीक था। गुजरात आने से पहले वह मुंबई में काम किया करता था। जब यह बात गंगा को पता चली तो उसे लगा जैसे कि उसको मुंबई जाने का रास्ता मिल गया। धीरे-धीरे रमणीक के साथ गंगा की दोस्ती हो गई और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मात्र 16 साल की उम्र में भोली भाली गंगा रमणीक के साथ घर से भाग गई और मंदिर में जाकर उन दोनों ने शादी कर ली।

गंगूबाई काठियावाड़ी की शादी के बाद का जीवन -

रमणीक और गंगूबाई दोनों गुजरात से मुंबई जा पहुंचे और वहां एक साथ रहने लगे। गंगा की शादीशुदा ज़िंदगी में खुशहाली के दिनों की उम्र भी महज़ उतनी ही साबित हुई जितनी की गंगा के घर से लाए रुपयों की थी। कुछ वक़्त के बाद रमणीक ने गंगा को यह कहकर एक औरत के साथ भेज दिया कि ये मेरी मौसी है और मैं हमारे लिए एक अच्छा और नया घर ढूंढने वाला हूं तब तक तुम मेरी मौसी के साथ, उनके घर पर ही रहो। इस झूठ की कद इतना छोटा था कि ज़रा सी रौशनी होते ही परछाई की तरह खो गया। दरअसल गंगा को उसके

पति रमणीक ने महज़ 500 रुपये में कोठे पर बेच दिया। गंगूबाई बेचे जाने के बाद तक नहीं जानती थी कि रमणीक उसे जिसके हाथों सौंप रहा है वह मुंबई के मशहूर स्थान कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया की एक कोठे की मालकिन है और लड़कियों को जबरन देह व्यापार में धकेलना ही उसका पेशा है।

दर्दनाक घटना ने बदल दी ज़िंदगी

मुंबई के रेड लाइट एरिया में आ फंसी गंगा ने कमाठीपुरा में वक्त के साथ-साथ अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया और काठियावाड़ी से निकली एक मासूम सी लड़की कब गंगा से गंगूबाई में बदल गई उसे खुद पता नहीं चला। गंगूबाई की उजाड़ ज़िंदगी को थोड़ा और उजाड़ने के लिए तूफान की एख़्तियार किए एक वहशी दरिंदे, जिसका नाम शौकत खान था, ने दस्तक दी। उसने गंगूबाई के साथ जबरदस्ती की और पूरी रात उसको बेतरहा मारा पीटा और बिना पैसे दिए ही वहां से चला गया। उस वक़्त गंगूबाई की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गई तब उसने उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी निकालने की बहुत कोशिश की और जानकारी निकाली भी। जुटाई सारी जानकारी से गंगूबाई को पता चला कि शौकत खान नाम का वो शख़्स उस वक्त मुंबई के सबसे नामी डॉन करीम लाला के साथ काम करता था।

गंगूबाई ने करीम लाला के पास जाकर शौकत खान की पूरी बात बताई। उसके बाद करीम लाला ने गंगूबाई की हिफाज़त का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। करीम लाला ने शौकत खान को गंगूबाई के साथ की हर ज्यादती के लिए बेहद कड़ी सजा दी। उसी वक़्त गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांध कर अपना मुंह बोला भाई बना लिया। उसी दिन से गंगूबाई को कमाठीपुरा में डॉन के नाम से भी जाना जाने लगा। मुंबई के लोग जितना करीम लाला से ख़ौफ़ खाते थे उतना ही वे गंगूबाई से भी ख़ौफ़ खाने लगे। धीरे-धीरे गंगूबाई उस बदनामी में भी नाम कमाती चलीं गईं। उन्होंने रेड लाइट एरिया में काम करने वाली अपनी तमाम साथियों के लिए भी बहुत से सकारात्मक काम किए।

गंगूबाई का कहना था कि यदि मुंबई में रेड लाइट एरिया में काम करने वाली औरतें न हो तो मुंबई की औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। भले ही गंगूबाई वेश्यावृत्ति में पूरी तरह से रंग चुकी थी मगर उसके भी कुछ उसूल थे, उसके दौर में देह के उस बाजार के भी कुछ कायदे थे। गंगूबाई अपने यहाँ पर किसी भी ऐसी लड़की या औरत से काम नहीं करवाती थी जो वहाँ पर रहना या काम न करना चाहती हो।

गंगूबाई का अपने आस-पास के इलाकों में भी काफी दबदबा था। गंगूबाई शायद अपने ऊपर हुए हर जुल्म को बड़ी बारीकी से पहचानती थी। शायद यही वजह थी कि जब तक वो ज़िंदा रही उसने कभी किसी लड़की को उसकी मर्जी के ख़िलाफ़ कमाठीपुरा में नहीं रखा, यहाँ तक कि अगर कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से कमाठीपुरा को छोड़ कर जाना चाहती थी तो वो उनको वे जाने देती थी। वहां की सब लड़कियों का मेडिकल चेकअप करवाना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, बूढ़ी हो चुकी महिलाओं को ख़र्चे के लिए पेंशन देना ये सब केवल गंगूबाई ही कर सकती थी। कमाठीपुरा में आज भी गंगूबाई को उनके इन्हीं अच्छे कामों के लिए याद किया जाता है। गंगूबाई का दौर वो दौर था जब कोई भी बड़े से बड़ा माफिया और डॉन उनकी मर्जी के बिना कमाठीपुरा में कदम नहीं रख सकता था।

गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कई बच्चों को गोद लिया और उनकी शिक्षा एवं परवरिश की पूरी जिम्मेदारी ली। एक ऐसा भी दौर आया जब गंगूबाई कठियावाड़ी के बच्चों और लड़कियों के लिए 'गंगूमाँ' बन गई। सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए उन्होंने मुंबई के आज़ाद मैदान में जो भाषण दिया था उसे उस वक़्त के सभी प्रमुख अखबारों में पहले पेज पर बड़ी सुर्खियों के साथ जगह दी गई थी।

आज भी कमाठीपुरा के हर कोठे पर गंगूबाई की तस्वीर है। सब उन्हें माफ़िया क्वीन के नाम से तो जानते ही हैं मगर ये बात कम ही लोग जानते थे कि 'कमाठीपुरा' के लड़कियों के अधिकार और हक़ के लिए गंगूबाई तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से भी मिली थी। यहाँ तक कि गंगूबाई ने अपने पेशे से जुड़ी लड़कियों के पुनर्वास और समाज में बइज़्ज़त वापसी के सवाल के जवाब में सामाजिक रूढ़ियों और मानसिकता की गुत्थियों को एक झटके में खोलने की नीयत से नेहरू जी के सामने ही शादी का प्रस्ताव रख दिया था। 2008 में उनकी मृत्यु एक साधारण व्यक्ति की तरह ही हुई थी लेकिन गंगूबाई की मौत के दिन भारत में बदनाम समझी जाने वाली हर गली में मातम छाया हुआ था।

गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में कुछ रोचक तथ्य

- गंगूबाई का पूरा नाम गंगा हरजीवनदास काठियावाड़ी था। बाद में मुंबई के रेड लाइट एरिया में उन्हें गंगू के नाम से जाना जाने लगा।
- उनके जीवन में उनके साथ जो भी घटनाएँ हुई और जिस तरह से उन्हें मुंबई के डॉन की बहन बना दिया गया, इन सब बातों को लेकर उनका नाम माफ़िया क्वीन ऑफ मुंबई की किताब में शामिल किया गया है।
- वेश्याओं के साथ-साथ उन्होंने मुंबई के बहुत से अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत बड़े-बड़े काम किये। उन्होंने मुंबई में वेश्याओं के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने वेश्याओं का नेतृत्व स्वयं किया।
- मुंबई के डॉन करीम खान की मुंह बोली बहन होने की वजह से उन्हें भी मुंबई का लेडी डॉन कहा जाने लगा था।

माउंट ओलम्पस – जहाँ से शुरू होती है ओलंपिक मशाल रिले

नेहा रंजन, सहायक प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

बात जब महिला विशेषांक की चली तो विचार आया कि क्यों न प्रदक्षिणा के इस अंक में आप सभी को ग्रीक की उस प्रसिद्ध देवी के मंदिर से रूबरू करवाएं जो न केवल प्राचीन ग्रीक मान्यताओं के अनुसार विवाह, परिवार व महिलाओं की देवी के रूप में प्रसिद्ध है बल्कि इनका सीधा संबंध ओलंपिक मशाल की उस ज्वाला से भी है, जो कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के आरंभ की प्रतीक है। ओलंपिक मशाल को आधुनिक और प्राचीन ओलंपिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी प्रचलित मान्यताओं में सबसे प्रमुख मान्यता के अनुसार प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में ज़ीउस के सम्मान में किया जाता था। अन्य संदर्भ ग्रन्थों व लिखित साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन ओलंपियाई खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व मानी गई है जिसमें योद्धा-खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। आज के सफर पर मैं आपको माउंट ओलम्पस के उस मशहूर मंदिर पर ले चलूँगी जहां के बारे में कहा जाता है कि एक वक्त पर वो देवताओं की रानी के रूप में शासन करने वाली प्रसिद्ध देवी हेरा को समर्पित था, यानि आज हम बात करने वाले हैं टेम्पल ऑफ हेरा के बारे में।

टेंपल ऑफ हेरा के अवशेषों की एक तस्वीर

प्राचीन ग्रीक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हेरा बारह ओलंपियनों में से एक थी। यहाँ आपको बताती चलूँ कि प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ग्रीक परंपरा या पैन्थियन के बारह प्रमुख देवताओं (जोकि ज़ीउस, हेरा, पोसीडॉन, डेमेटर, एथेना, अपोलो, आर्टेमिस, एरेस, हेफेस्टस, एफ़्रोडाइट, हर्मीस और हेस्टिया या डायोनिसस में कोई एक से) को बारह ओलंपियनों की संज्ञा दी गई है। माउंट ओलंपस पर निवास करने की वजह से इन्हें ओलम्पियन कहा गया। पुरानी ग्रीक मान्यताओं में अमूमन ज़िंदगी और प्रकृति के हर अहम पहलुओं को किसी न किसी देवी या देवताओं से जोड़ दिया जाता था। इसी क्रम में महिलाओं के मुद्दों, विवाह, परिवार और प्रसव संबंधी पहलुओं को ग्रीक की देवी हेरा (यानि पूर्व ओलंपियन देवता) से जोड़ दिया गया था जोकि क्रोनस व रिया की पुत्री और ज़ीउस (जिन्हें बिजली, आकाश का देवता कहा जाता था और उन्हें सर्वपिता की उपाधि प्राप्त थी) की पत्नी थीं। ऐसी मान्यता है कि देवताओं की रानी के रूप में माउंट ओलंपस पर शासन करने वाली हेरा मातृ रूप में न केवल विवाहित महिलाओं के संरक्षक के रूप में कार्य करती थीं बल्कि विवाहों की अध्यक्षता करते हुए वैवाहिक जोड़ों को अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया करती थीं।

हेरा, ऐसी पहली देवी थीं जिन्हें यूनानियों ने लगभग 800 ईसा पूर्व के दौरान सामोस में एक पूरी तरह से ढका हुआ मंदिर परिसर समर्पित किया था। समय के साथ यह स्थल हेरायन ऑफ सामोस के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो कि सभी यूनानी मंदिरों के बीच सबसे बड़ा मंदिर था। कालांतर में इस स्थान पर अन्य कई मंदिरों का निर्माण भी हुआ, फिर उन्हें कई-कई बार बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया और कई-कई बार उनका पुनर्निर्माण करवाया गया जिसके चलते पुरातात्विक दृष्टि से इसके निर्माण का सटीक तिथि अंकन करना असंभव है। फिर भी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो रोइकस के मूर्तिकारों और वास्तुकारों द्वारा बनाए गए मंदिर को 570 और 560 ईसा पूर्व के बीच नष्ट कर दिया गया था जिसे बाद में 540-530 ईसा पूर्व के करीब पॉलीक्रेटियन मंदिर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस मंदिर पर टाइलों की मौजूदगी का कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है जिससे यह संकेत मिलता है कि या तो मंदिर कभी पूरा नहीं हुआ था या मंदिर के ऊपर किसी भी प्रकार की छत नहीं थी। प्राचीन मंदिर परिसर माइसीनियन परंपरा से प्रभावित थे जिन्हें "हाउस सैंक्चुअरी" कहा जाता था।

अगर वापस बात हेरायन की करें जो ओलंपिया में स्थित है, तो उसका निर्माण 590 ईसा पूर्व में किया गया था। हेरा को समर्पित यह मंदिर यूनान का सबसे प्राचीन मंदिर होने के साथ -साथ सबसे अधिक पूजनीय भी है। यह मंदिर मूल रूप से हेरा और ज़ीउस (जो कि यूनान के प्रमुख देवाताओं में से एक थे और हेरा के पति भी थे) का संयुक्त मंदिर था। पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में टेम्पल ऑफ ज़ीउस के निर्माण के साथ ही, यह मंदिर टेम्पल ऑफ हेरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर के महत्व को इस तरह भी समझा जा सकता है कि आज भी विश्व के सबसे बड़े खेल महोत्सव या खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक्स की शुरुआत की प्रतीक मशाल की लौ को इसी मंदिर की वेदी पर जलाया जाता है। यद्यपि चौथी शताब्दी में आए एक

जोरदार भूकंप ने इस मंदिर को खंडहर में तब्दील कर दिया मगर ओलंपिक मशाल की लौ को इस मंदिर के खंडहरों में जलाए जाने की परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है।

प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं

यहाँ तक तो बात हुई उस मंदिर की जहाँ से ओलंपिक मशाल को जलाया जाता है । अब अगर बात ओलंपिक खेलों की शुरुआत की जाए तो सभी कुछ पौराणिक कथाओं और किवदंतियों के ऊपर आकर ठहर जाता है । ये वास्तव में आश्चर्य की ही बात है कि वैश्विक स्तर पर होने वाली इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा की शुरुआत संबंधी कालक्रम का कहीं कोई लिखित प्रामाणिक साक्ष्य मौजूद नहीं है । फिर भी कुछ कहानियों को आपस में जोड़ कर एक काल विभाजन तैयार किया गया है जो कुछ इस तरह है । पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन यूनानी खेलों की उत्पत्ति का श्रेय देवताओं को जाता है । ग्रीक इतिहासकार पौसेनियस इस बारे में एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि खेलों की उत्पत्ति संबंधी मिथकों में स्थानीय ओलंपियन नायक पेलोप्स की कहानी सर्वाधिक प्रचलित है । कहानी के मुताबिक पीसा के राजा ओइनोमौस की हिप्पोडामिया नाम की एक बेटी थी और एक देवाज्ञा के अनुसार उसके विवाह के बाद ओइनोमौस की मृत्यु उसके ही दामाद के हाथों होनी थी। इसलिए, उसने फैसला किया कि कोई भी युवक जो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, उसे अपने रथ में उसकी बेटी को अपने साथ ले जाना होगा और ओइनोमौस दूसरे रथ में उनका पीछा करेगा । अगर वह उनके रथ को पकड़ लेता है तो उसे मार दिया जाएगा । अब, क्योंकि राजा के रथ के घोड़े भगवान पोसीडॉन ने खुद बनाए थे और वो बेहद ही तेज थे तो हर हाल में उन युवकों का मरना तय था, जो उसकी बेटी से विवाह करना चाहते थे । इस राजा की बेटी को पेलोप्स नाम के एक आदमी से प्यार हो गया । पेलोप्स ने अपने प्यार को पाने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया । मगर वो बेहद ही चालाक था और जानता था कि जीतना नामुमकिन था इसी लिए उसने दौड़ से पहले राजा के सारथी के साथ मिल कर रथ के पहियों की धुरी को मोम की धुरी के साथ बदल दिया । जिसके चलते दौड़ के दौरान मोम पिघल गया और राजा अपने रथ से गिर कर मर गया । अपनी जीत के बाद, पेलोप्स ने राजा की मृत्यु से शुद्ध होने के लिए और राजा के सम्मान में देवताओं को धन्यवाद देने के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया। ओलंपिया में आयोजित इस अंतिम संस्कार की दौड़ से ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत मानी जाती है ।

दूसरी कहानी के मुताबिक ओलंपिक्स की शुरुआत के लिए हरकुलिस को जिम्मेदार माना जाता है । कहा जाता है कि ओलंपिया में ज़ीउस के जन्मदिन को त्योहार में रूप में मनाया जाता था और उनके बेटे हरकुलिस अपने कामगारों में श्रेष्ठतम कामगारों की पहचान करने और अपने पिता ज़ीउस को सम्मानित करने के लिए एक एथलेटिक उत्सव की शुरुआत की । इस उत्सव में वो सभी कामगारों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे और वहीं से ओलंपिक्स की शुरुआत मानी जाती है । इसी तरह के कई मिथकों से उभरने वाले पैटर्न साफ तौर पर ये इशारा करते हैं कि यूनानी मत के अनुसार खेलों की जड़ें निर्विवादित रूप से धर्म और देवताओं की पूजा से जुड़ी हुई थीं । कालांतर में इन प्रतियोगितों में कई नई प्रतिस्पर्धाओं को जोड़ा जाता रहा और अगर बात आज की तारीख की करें तो ओलंपिक्स के आयोजन में कुल 33 खेलों को जगह दी गई है । यहाँ यह बात नोट की जानी चाहिए कि प्राचीन काल से ही इन खेलों का उद्देश्य शांति और सद्भाव उत्पन्न करना ही रहा है । उस दौर में शांतिपूर्ण समय अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धाओं से आधुनिक खेलों का विकास हुआ माना जा सकता है । शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैन्य प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे । इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी को खेलों में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता था ।

ऐसा माना जाता है कि आगे चल कर थियोडोसियस II के शासनकाल में इन खेलों का आयोजन समाप्त हो गया, जिसका मूल कारण उस आग को माना जाता है जिसने थियोडोसियस II के शासनकाल के दौरान ज़ीउस के मंदिर को जला कर नष्ट कर दिया था । आधिकारिक रूप से आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ वर्ष 1896 से माना जाता है जब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एथेंस के पनथेनिक स्टेडियम में इन खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया था ।

ओलंपिक लौ को आधुनिक ओलंपिक आंदोलन के प्रतीक के रूप में वास्तुकार जान विल्स द्वारा पेश किया गया था । 1928 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान ओलंपिक लौ की परंपरा को फिर से शुरू किया गया, तो एम्स्टर्डम की इलेक्ट्रिक यूटिलिटी के एक कर्मचारी ने एम्स्टर्डम में ओलंपिक स्टेडियम के मैराथन टॉवर में पहली आधुनिक ओलंपिक लौ जलाई । ओलंपिक लौ तब से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का

हिस्सा रही है । ओलंपिक मशाल रिले को पहली बार बर्लिन में 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पेश किया गया था । हालांकि ओलंपिक लौ का विचार प्राचीन ग्रीक समारोहों से लिया गया था जहाँ प्राचीन ओलंपिक के उत्सव के दौरान हेस्टिया के मंदिर की वेदी पर एक पवित्र आग जलती रहती थी । प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में अग्नि को दैवीय स्थान प्राप्त था और ओलंपिया सहित कई प्राचीन ग्रीक परिसरों में पवित्र आग प्रज्ज्वलित रहा करती थी । हर चार साल में जब ज़ीउस को ओलंपिक खेलों के माध्यम से सम्मानित किया जाता था तो उस अवसर पर उनको और उनके पत्नी हेरा के संयुक्त मंदिर में पवित्र लौ प्रज्ज्वलित की जाती थी । वर्तमान समय में भी हेरा के मंदिर के खंडहरों के सामने प्रत्येक दो साल (शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक) के अंतराल पर आधुनिक ओलंपिक लौ प्रज्ज्वलित की जाती है ।

ओलंपिक खेलों के उद्‌घाटन समारोह से कई महीने पहले ओलंपिया, ग्रीस में प्राचीन ओलंपिक के आयोजन स्थल पर ओलंपिक की लौ को प्रज्ज्वलित किया जाता है । पारंपरिक रूप से वेस्टल वर्जिन का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह महिलाएं हेरा के मंदिर में एक उत्सव का आयोजन करती हैं जिसमें ओलंपिक मशाल रिले की पहली मशाल को सूर्य की किरणों से उत्पन्न गर्मी से प्रज्ज्वलित किया जाता है । मंदिर के पूर्वी हिस्से में हेरा की वेदी स्थित है जहां सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए एक परवलयिक दर्पण का उपयोग करके वर्ष1936 से लगातार ओलंपिक लौ जलाई जाती रही है । समारोह में पुजारी का अभिनय करने वाली कलाकार द्वारा पहले रिले बियरर को मशाल व औलिव की एक शाखा प्रदान की जाती है और साथ ही शांति के प्रतीक के रूप में कबूतर उड़ाए जाते हैं । इस समारोह की शुरुआत में ओलंपिक गान के साथ - साथ यूनान और उस देश का राष्ट्रगान भी गाया जाता है जहां अगले ओलंपिक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित होता है । टेम्पल ऑफ हेरा, ओलंपिया में आयोजित इस समारोह के पश्चात ओलंपिक लौ सबसे पहले यूनान के सभी देशों की यात्रा करती है और उसके बाद एक समारोह के दौरान एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में ओलंपिक की मेजबानी करने वाले पिछले शहर से वर्तमान वर्ष के मेजबान शहर में स्थानांतरित की जाती है।

ध्वज़ के रिंगस जो महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

यहाँ यह जोड़ना समीचीन होगा कि ओलंपिक लौ के विपरीत ओलंपिक मशाल रिले, जो कि ओलंपिया से खेलों के विभिन्न निर्दिष्ट स्थलों तक लौ को स्थानांतरित करती है, का किसी भी प्राचीन धर्मग्रंथ या कथा आदि में कोई ज़िक्र नहीं है । ओलंपिक मशाल रिले की संकल्पना को सर्वप्रथम मूर्त रूप बर्लिन, जर्मनी में 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान दिया गया था तथा कार्ल डायम को इस अवधारणा का जनक कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इस अवधारणा को पेश करने का श्रेय उन्हें ही जाता है । कार्ल डायम का मानना था कि इस तरह की मशाल रिले प्रतिभागिता करने वाले देशों के बीच सौहार्द की भावना को पोषित करेगी तथा स्थानीय लोगों के बीच खेलों के प्रति जागरूकता को बढ़ाएगी ।

ओलंपिक खेलों के प्रतीक पांच रिंग, जो कि स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शित हैं , की संकल्पना बारोन पिएरे डी काउबर्टिन ने की थी, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह-संस्थापक माना जाता है । उन्होंने ही 1912 में इनकी डिजाइन तैयार की थी । अगर बात ओलंपिक ध्वज़ की करें तो ओलंपिक ध्वज़ की पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की होती है जिस पर पाँच अलग अलग रंग ओलंपिक रिंग बने होते हैं । ये रिंग वैश्विक तौर पर ओलंपिक खेलों का प्रतीक हैं । काउबर्टिन के मुताबिक सफेद पृष्ठभूमि में रिंगों का रंग वास्तव में उस समय ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों के झंडे के रंग को आधार बनाकर तैयार किया गया था । 1914 में विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक का आयोजन रद्द कर दिया गया था, लेकिन प्रतीक और फ्लैग को स्वीकार कर लिया गया था और इनका इस्तेमाल पहली बार 1920 में आयोजित बेल्जियम ओलंपिक के दौरान हुआ था । इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपनी विचारधारा में बदलाव किया और इन रिंगों की नई व्याख्या दी । साथ ही कमेटी ने इन रिंगों को 'महाद्वीपों के प्रतीक' के रूप में लिए जाने की बात कही। हालांकि किसी रंग विशेष का संबंध किसी महाद्वीप से नहीं बताया जाता, लेकिन 1951 से पहले ओलंपिक की आधिकारिक बुकलेट में यह बताया गया था कि नीला यूरोप के, पीला रंग एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया-ओसियाना को और लाल रंग अमेरिका को प्रतिबिंबित करता है ।

हंसी की फुलझड़ियाँ

दोस्त : भाई , मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है ।
दूसरा दोस्त : अरे वाह ! बधाई हो, कब?
दोस्त : मेरी 20 जून को, उसकी 6 जुलाई को

बेटा नसे में घर लौटा था
पापा की डाँट से बचने के लिए लैपटॉप खोलकर पढ़ने लगा
पापा : बेटा, तू फिर से पी कर आया है ?
बेटा : नहीं पापा, मैने बिल्कुल नहीं पी है...
पापा : तो फिर सूटकेस खोलकर क्या पढ़ रहा है ..!!

रेस्टोरेंट में वेटर...
मैडम आप पहले क्या लेंगी ?
मैडम : मैं पहले 10-12 सेल्फी लूंगी, तुम 20 मिनट बाद आना !!

पप्पू : डैडी ! कल हम लोग मालामाल हो जाएंगे ...
डैडी : वो कैसे बेटा ???
पप्पू : कल हमारे गणित के टीचर, पैसे को रुपये में बदलना सिखाएंगे ।

संता कढ़ी-चावल मिक्स करके खा ही रहा था कि, अचानक से उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई...
संता : चल हट पगली !! ये वो नहीं जो तू सोच रही है ।

लड़के वाले – हमें लड़की पसंद है ।
लड़की वाले – तो फिर शादी कब करनी है ??
लड़के वाले – हमारा लड़का अभी पढ़ाई कर रहा है ।
लड़की वाले – तो हमारी लड़की कौन सा किताबें फाड़ देगी...

गर्मी शुरु हो गई है ...
कृपया जब भी फ्रिज़ से पानी निकाल कर पिएँ,
उसे वापस भरकर रख दें ..नहीं तो लेक्चर पानी से शुरु होगा और मोबाईल,
पढ़ाई, बेरोजगारी पर जा कर खत्म होगा !!

पत्नी ने उंगली के इशारे से पति को बुलाया..
पति : बोलो !! क्या काम है ?
पत्नी : कुछ नहीं . बस अपनी उंगली की ताकत चेक कर रही थी ।

बच्चा दादी माँ के पास आया और बोला , दादी माँ आप 'टें' बोलकर दिखाओ
दादी : टें
बच्चा : फिर से बोलो
दादी : टें
बच्चा : कितना अच्छा बोलती हैं आप, मम्मी को क्यों नहीं सुना देतीं ।
दादी : क्या मतलब ! तेरी मम्मी को क्यों सुनाऊँ ?
बच्चा : वह अपनी सहेलियों से कह रही थी की 'पता नहीं इसकी दादी कब 'टें' बोलेगी...

जज : घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की ???
पप्पू : जज साहब ! आपकी अच्छी नौकरी है । आप ये सब जानकर क्या करेंगे ।

बेटी : मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और भाग रही हूँ उसके साथ...
पापा : थैंक गॉड ! मेरा पैसा और समय दोनों बच गए ।
बेटी : पापा, मैं लेटर पढ़ रही हूँ जो मम्मी रख के गई हैं ।

टीचर ने गुड्डु से पूछा...
ये बताओ, रेडियो और न्यूज़ पेपर में क्या अंतर है ??
गुड्डु : न्यूज पेपर में रोटी लपेट कर ले जा सकते हैं, लेकिन रेडियो में तो कुछ नहीं लपेट सकते ।
टीचर बेहोश...

"महिला सशक्तिकरण में आइओबी की भूमिका"

प्रियंका प्रसाद, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

हमारा भारत देश युगों-युगों से शक्ति की उपासना करता आया है। यहाँ महिला सशक्तिकरण कोई नई बात नहीं है । देश की जनसंख्या की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और अगर हमारा भारत वर्ष आज तेज गति से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो कहीं न कहीं इसमें सशक्त महिलाओं का योगदान भी शामिल है। जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, महिलाएँ तो हर युग में सशक्त थीं । शक्तिस्वरूपा जिन महिलाओं ने अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचाना है, उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

नारी सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रकृति का वरदान है कि प्रत्येक महिला में उद्यमिता के गुण जन्म से ही विद्यमान होते हैं। समय के साथ बैंकों ने भी महिलाओं की आवश्यकता अनुरूप कई विशेष बैंकिंग उत्पादों को बाजार के समक्ष पेश किए गए हैं। नारी शक्ति को समर्पित कुछ ऐसे ही बैंकिंग उत्पाद हमारे बैंक में भी उपलब्ध हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म,लघु तथा मध्यम उद्योगों के विकास के लिए नए पोर्टल –"संबंध" की शुरुआत की गई। यह निर्धारित किया गया है कि सभी पब्लिक सेक्टर कम्पनियाँ अपने कुल खरीद का कम से कम 25% खरीद एमएसएएमई से जुड़ी इकाईयों से ही करें । इस 25% में 3% महिला उद्यमियों की इकाईयों के लिए आरक्षित है। हमारे बैंक में महिला उद्यमियों के लिए निम्नलिखित योजनाएँ उपलब्ध हैं:

- **महिला प्लस :** यह योजना किसी भी नई एमएसएमई इकाई की शुरुआत के लिए स्नातक पास महिलाओं (21-50 वर्ष) को 02 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाती है, जिसमें 01 करोड़ तक की ऋण सुविधा बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के उपलब्ध करवाई जाती है । इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को किसी भी नई इकाई की स्थापना, मशीनों की खरीद तथा कैश क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना शामिल है।
- **सूक्ष्म उद्योग धंधों की शुरुआत के लिए "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :** यह योजना महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए उपलब्ध है,परंतु महिलाओं को इसमें विशेष वर्ग में रखा गया है तथा ऐसे में उनका अपना मार्जिन न्यूनतम यानी 5% ही है । इस में शहरी क्षेत्र में रहने वाली 25% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तक महिलाओं के लिए रियायत उपलब्ध है। विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के उपलब्ध करवाई जाती है।
- **स्टैंड- अप इंडिया :** इस योजना के अंतर्गत आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए 10 लाख रुपये से 01 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इस ऋण के तहत कोई संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। इस योजना को सरकार द्वारा सी जी एस एस आइ गारंटी कवर की सुविधा उपलब्ध है । महिला उद्यमी विनिर्माण, सेवा या व्यापार जैसी किसी क्षेत्र में अपने सपनों की शुरुआत करने के लिए इस ऋण को प्राप्त कर सकती हैं।
- **आइओबी सागरलक्ष्मी :** मत्स्य व्यापार से जुड़ी महिला उद्यमियों के लिए हमारे बैंक में खास योजना उपलब्ध है। इस योजना का लाभ सूखी मछलियों के उत्पादन, मत्स्य खाद्य पदार्थ तथा मछलियों से जुड़े अन्य उत्पादों के निर्माण तथा व्यापार के लिए केवल महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के उपलब्ध करवाया जाता है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (आइ ओ बी घरोंदा) :** इस योजना में महिलाओं के नाम पर घर बनवाने हेतु विशेष ऋण सुविधा उपलब्ध थी। हालाँकि अब महिलाओं के नाम पर ही आवास हो यह शर्त हटा दी गई है, परंतु हमारे आइओबी में

आवास ऋणों में महिलाओं के लिए विशेष योजना है । इसके तहत महिला के नाम पर अगर ऋण है तो 0.10% (30 लाख रुपये तक के ऋण) की छूट ब्याज दर में दी जाती है । 30 लाख के ऊपर ऋणों पर ब्याज दर में यह छूट बढ़कर 0.15% तक हो जाती है । यह विशेष सुविधा महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास है जो शत प्रतिशत सफल रहा है और आज हमारे बैंक में 90% आवास ऋण में महिलाओं की सक्रिय प्रतिभागिता देखी जा रही है ।

- **शिक्षा ऋण में विशेष सुविधा :** हमारे बैंक में शिक्षा ऋणों में भी लड़कियों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है । इसके अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा ऋण में लगने वाले ब्याज पर 0.50% की छूट मिलती है । यह छूट "बेटी बचाओं – बेटी पढ़ाओ " के नारे को बुलंद करता है ।
- **आइओबी भूमि शक्ति :** इस योजना के तहत विशेषकर महिलाओं को जिनके नाम पर भूमि है या जो खेती करती हैं, उन्हें कृषि कार्य हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे वे अपनी कृषि संबंधी सारी गतिविधियों को निर्बाध रूप से पूरी कर सकती हैं । इस योजना में प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाता है ।
- **सुकन्या समृद्धि योजना :** भारत में बेटियों के जन्म के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बचत की एक खास योजना भारत सरकार द्वारा "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ " योजना के तहत शुरु की गई थी जिसका नाम "सुकन्या समृद्धि योजना" है । अपने नाम के अनुकूल ही बालिकाओं की समृद्धि ,शिक्षा में आने वाले व्यय के लिए उनके जन्म के साथ ही छोटी बचतों की शुरुआत वाली यह योजना वर्ष 2014 में सरकार द्वारा लाई गई थी । इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक आप इस योजना में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं । निवेश की न्यूनतम राशि 250 रुपये है ,जबकि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक ही इस योजना के तहत जमा किए जा सकते हैं । इस पर मिलने वाले ब्याज का प्रतिशत भी सामान्य सावधि जमा खाता से अधिक होता है तथा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में जमा किए जाने वाली राशि पर 80C के तहत 1.50 लाख तक की आयकर छूट भी निर्धारित की गई है । बालिका के 18 वर्ष के होने पर 50% प्रतिशत की राशि उसकी शिक्षा में खर्च आदि के लिए निकाली जा सकती है और बाकी राशि 21 वर्ष की आयु होने पर निकाली जा सकती है । इस योजना से मिली एकमुश्त रकम का उपयोग बेटी के उच्च शिक्षा , विवाह या किसी उद्योग धंधों की शुरुआत करने के लिए किया जा सकता है। अभिभावक इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दो बेटियों के खाते खुलवा सकते हैं । निःसंदेह बालिकाओं के सम्पूर्ण विकास तथा उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार की यह योजना काफी प्रभावी सिद्ध हुई है एवं हमारे बैंक द्वारा इसका निष्पादन किया जा रहा है ।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुविधाएँ उपलब्ध है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वंय सहायता समूह को छोटी बचतों के आधार पर एसएचजी ऋण दिए जाते हैं । ग्रामीण परिवेश में महिलाओं के स्वतंत्र विकास तथा सशक्तिकरण में इन योजनाओं ने काफी मदद की है ।

अद्‌भुत नज़ारा होता है वह जब काउंटर के दोनों तरफ महिलाओं की उपस्थिति बैंक में देखी जाती है ,जहाँ एक तरफ बैंक की महिला अधिकारी वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण परिधान में आत्मविश्वास से लबरेज ग्रामीण महिला अपने को स्वावलंबित बनाने के लिए विभिन्न ऋणों के बारे में जानकारी लेना चाहती हैं तथा आगे बढ़कर अपने दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं यह नारी का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं तो क्या है !

आज समय बदला है एवं साथ में नज़रिया भी बदला है । पिछले दो दशकों में जितनी सफल महिलाओं के नाम सामने आए हैं उनके नाम गिनना संभव नहीं है इसके इतर पहले के दशकों में मात्र गिनी चुनी महिलाओं के ही नाम याद आते थे । एक ओर जहां चहुंदिशाओं में महिलाओं ने अपना परचम फहराया है ,वहीं सरकारी कामकाज में महिला अधिकारियों की बढ़ती संख्या एक सुखद संकेत है ।साथ ही महिलाओं नें बैंकिंग क्षेत्रों में अपने सशक्त नेतृत्व का प्रदर्शन किया है ।

यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बस शुरुआत ही है । आने वाले वर्षों में हमें कई सफल महिलाओं के नाम सुनने और देखने को मिलेंगे । क्योंकि इसकी शुरुआत छोटी उम्र से ही हो चुकी है चाहे वह कोई भी क्षेत्र क्यों न हो (विज्ञान, चिकित्सा या खेल) । महिलाएँ हर दिन सफलता की ओर एक कदम बढ़ा रही हैं । ऐसा नहीं है कि आज महिला सशक्तिकरण की जिस उँचाई पर हमारा देश खड़ा है, वह अचानक से नहीं हुआ है ,बल्कि यह निरंतर एवं अथक प्रयास का परिणाम है ।

बैंकों में उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार के पूरे सहयोग से अब महिलाएँ विकास के नए आयाम तय करेंगी, जिसकी सीमा अनंत होगी । अपने देश के विकास का परचम विश्व पटल पर लहराना ही अब हमारा लक्ष्य है, जो साकार हो कर रहेगा ।

उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति

भारतीय संसद का अधिकतर कार्य सभा की समितियों द्वारा किया जाता है। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है।

इस संबंध में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी प्रगति का जायजा लेने के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 के अधीन वर्ष 1976 में किया गया था। यह उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। इसमें 30 माननीय संसद सदस्य होते हैं। जिसमें 20 सदस्य लोक सभा से और 10 सदस्य राज्य सभा से हैं। माननीय गृह मंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष हैं। संसदीय राजभाषा समिति के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष महोदय "उपाध्यक्ष" के रूप में नामित कर सकते हैं। राजभाषा कार्य की प्रगति के निरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस समिति को तीन उप समितियों में विभाजित किया गया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना है। समिति अपने कार्य का प्रतिवेदन महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करती है। इसी कार्य के आधार पर समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के दस खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है। नौ खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी ने आदेश दिया है। जिसका अनुपालन केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालयों / उपक्रमों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रश्नोत्तरी

i) संसदीय राजभाषा समिति में लोक सभा से कितने सदस्य होते हैं ?
- क) 20 ख) 10
- ग) 25 घ) 30

ii) राजभाषा नियम 1976 के तहत चंडीगढ़ किस क्षेत्र में आता है ?
- क) ग वर्ग ख) क वर्ग
- ग) इनमें से कोई नहीं घ) ख वर्ग

iii) नराकास की बैठक की आवधिकता क्या है?
- क) तिमाही ख) छमाही
- ग) मासिक घ) वार्षिक

iv) हमारे बैंक में वर्ष में कितनी बार आइओबी प्रवीण की परीक्षाएँ चलाई जाती है?
- क) 03 ख) 02
- ग) 01 घ) इनमें से कोई नहीं

v) देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थित है?
- क) आगरा ख) नई दिल्ली
- ग) जयपुर घ) कानपुर

vi) संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था?
- क) जनवरी 1977 ख) जनवरी 1975
- ग) जनवरी 1976 घ) फरवरी 1978

vii) राजभाषा संसदीय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
- क) श्री ओम मेहता ख) श्री मोरारजी देसाई
- ग) श्री चौधरी चरण सिंह घ) श्री अटल बिहारी वाजपेयी

viii) आठवीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है ?
- क) अंग्रेजी ख) नेपाली
- ग) फ्रेंच घ) जर्मन

ix) आइओबी प्रवीण पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु हिंदी संबंधी योग्यता क्या निर्धारित की गई है?
- क) 10वीं कक्षा के समकक्ष ख) मातृभाषा हिंदी होना पर्याप्त है
- ग) 8वीं कक्षा के समकक्ष घ) 5वीं कक्षा के समकक्ष

x) केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
- क) गृह मंत्री ख) प्रधानमंत्री
- ग) राष्ट्रपति घ) गृह राज्य मंत्री

xi) राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त स्टाफ सदस्यों की परिभाषा दी गई है?
- क) नियम 07 ख) नियम 09
- ग) नियम 10 घ) नियम 12

xii) केंद्रीय सरकारी स्टाफ सदस्यों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम क्या है?
- क) प्रवीण ख) प्राज्ञ
- ग) प्रबोध घ) इनमें से कोई नहीं

xiii) "ख" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र के लिए किए जाने वाले हिंदी में पत्राचार की प्रतिशतता का लक्ष्य कितना है?
- क) 90 ख) 100
- ग) 75 घ) 55

xiv) राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत सरकारी कार्यालय में प्रयोग में आने वाली रबड़ की सभी मुहरें द्विभाषिक होनी चाहिए?
- क) नियम 05 ख) नियम 10
- ग) नियम 11 घ) नियम 12

xv) 'Nest Egg' का हिंदी अनुवाद बताएँ?
- क) रक्षित पूँजी ख) संग्रहित धन
- ग) सुरक्षित कोष घ) परिपक्व राशि

* प्रश्नोत्तरी के उत्तर अगले अंक में प्रकाशित किए जाएंगे।

पिछले अंक के उत्तर

1. iv	2. i	3. ii	4. iii	5. ii
6. iv	7. iii	8. iii	9. ii	10. iv

संकलनकर्ता :
विभाष चन्द्र सिंह
प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय पटना

सभी पाठकों को मेरा नमस्कार।
बैंक की गृह पत्रिका - वाणी का 131 वां अंक प्राप्त हुआ। 131वां अंक अपने- आप में पत्रिका के एक लंबे गौरवमयी इतिहास का व्याख्यान करता है। पत्रिका अपने-आप में परिपूर्ण है जिसमें बैंक की आंतरिक गतिविधियों के साथ, विविधा एवं सामान्य ज्ञान का उत्कृष्ट मिश्रण देखने को मिलता है। पत्रिका के सभी आलेख अच्छे हैं। आइओबी का स्वर्णिम इतिहास पढ़कर, आइओबी के बारे में कई रोचक तथ्यों का ज्ञान हुआ। बैंकिंग संबंधी आलेख सभी स्टाफ सदस्यों की जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। खुदरा ऋण, वित्तीय समावेशन, बैंकों में साइबर सुरक्षा जैसे शिक्षाप्रद आलेख आदि को पढ़कर इनसे जुड़ी सूचनाओं को बैंक के अपने दैनिक कार्यकलापों में उपयोग में लाना चाहिए। पत्रिका में छपी तीनों कविताएँ हमारे बैंक के स्टाफ़ सदस्यों की रचनात्मकता कौशल को दर्शाती हैं। एक व्यस्त दिनचर्या के बीच साहित्य और विविधा खंड में प्रकाशित सभी आलेखों को पढ़ना एक सुखद अनुभव है। कुल मिलाकर पत्रिका में उत्कृष्ट आलेखों का अतिउत्तम समायोजन किया गया है। मैं पत्रिका के सफल प्रकाशन में योगदान देने वाले सभी सदस्यों को बधाई देते हुए भविष्य में भी वाणी के ऐसे ही गुणवत्ता वाले अंक का प्रकाशन जारी रखने का निवेदन करता हूँ।
हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(संजय कुमार सिंह)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

अपने बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका "वाणी" का 131वां अंक प्राप्त हुआ। मेरी ओर से वाणी के संपादक मण्डल के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामनाएँ। वाणी का नियमित पाठक होने का गर्व मुझे प्राप्त होता रहा है। वाणी को लगातार भारतीय रिज़र्व बैंक व भारत सरकार से पुरस्कार मिलते रहे हैं, जोकि हमें निश्चित ही गौरवान्वित करता है। पत्रिका के सभी आलेख व कलेवर बड़ा ही आकर्षक व ज्ञानवर्धक है। पत्रिका में हमारे बैंक की लगभग सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों व राजभाषा कार्यान्वयन की उपलब्धियों को बड़ा ही सुसज्जित तरीके से स्थान दिया गया है, जो कि एक मिसाल है। यह पत्रिका वास्तव में एक सर्वश्रेष्ठ पत्रिका का स्थान प्राप्त करती है क्योंकि इस पत्रिका में बैंकिंग, साहित्य, कानून, नारी सशक्तिकरण, हमारे बैंक के स्वर्णिम इतिहास के साथ-साथ कविता-कहानी, चुटकुले आदि का समांग मिश्रण व्याप्त है। इस कार्य के लिए इस पत्रिका के समस्त रचनाकारों को भी धन्यवाद देता हूँ।
अतः आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि इस पत्रिका के आगामी अंक भी बहतरीन होंगे।

(दिलीप कुमार बारीक)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर

हमारे बैंक की गृह पत्रिका 'वाणी' का 131वाँ अंक अत्यधिक खुशी के साथ ग्रहण किया 'वाणी' नाम सुनते ही पत्रिका की साज-सज्जा एवं कमनीय कलेवर ही याद आता है। पत्रिका पाते ही दिसंबर 2021 के दौरान अपने बैंक की गतिविधियों की ओर झांकने की उत्सुकता जाग उठी।

हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रेरणादायक संदेश हर एक आइओबियन के लिए पथ-प्रदर्शक सिद्ध होगा। बैंकिंग क्षेत्र, हमेशा पथ-प्रदर्शन व मार्गदर्शन का काम करता है, वही बैंकर के साथ-साथ ग्राहकों की आवश्यकताओं का भी ख़्याल रखता है। आइओबी की गरिमा के बारे में हम सभी के चिंतन-मंडल में जो कुछ विचार हैं उन्हें स्वर्णिम आभा प्रदान करने लायक 'आइओबी का स्वर्णिम इतिहास' सचमुच अच्छा लगा। पत्रिका में काव्य-जगत के लिए जो स्थान दिया गया है, वह भी अतुलनीय है। 'प्रदक्षिणा' में वेस्टर्न वॉल, बैंकिंग क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण – साइबर सुरक्षा, पर्दानशीन महिलाओं के लिए बैंकिंग सुविधाएँ, क्रिप्टो करेंसी तथा विजिल ब्लोअर की भूमिका जैसे आलेख बैंकर के ज्ञानमंडल को सकारात्मक विस्तार प्रदान करेंगे।

पत्रिका में समाहित लेखों को सुव्यवस्थित एवं सुरुचिपूर्ण बनाने के साथ-साथ ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन जैसी महत्वपूर्ण बातों को भी समुचित स्थान देकर उनकी सटीक प्रस्तुति के लिए राजभाषा विभाग द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं। अपने बैंक के सभी महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों को समेकित करके पत्रिका का नियमित प्रकाशन करना अक्षय मेहनत का परिणाम ही है। सुधी पाठकों से आशा करता हूँ कि हमारी अपनी पत्रिका के लिए रचना रूपी योगदान देते रहें। संपादक मंडल को हार्दिक बधाई के साथ-साथ पत्रिका के आगामी अंकों के लिए शुभकामनाएँ।

(वी.एच.सुरेश)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम

गतिविधियाँ

हमारे एमडी और सीईओ श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ईडी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, ईडी सुश्री एस. श्रीमती, महा प्रबंधक- एचआर श्री आर.के. प्रधान वॉलीबॉल डिवीजन लीग चैम्पियनशिप 2021-22 की उपविजेता (बैंक की वॉलीबॉल टीम) के साथ

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की गृह पत्रिका वाणी के 131वें अंक का विमोचन करते हुए कार्यपालक गण **(दाएँ से बाएँ - श्री सुशील कुमार घोष,** महा प्रबंधक; **श्री आर शंकर राव,** महा प्रबंधक; **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव,** कार्यपालक निदेशक; **श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता,** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी; **श्री शिव कुमार गुप्ता,** महा प्रबंधक; **श्री जगदीश चंद्र,** सहायक महा प्रबंधक-राजभाषा) ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India Undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good People to grow with
www.iob.in

सत्यमेव जयते

सुकन्या समृद्धि खाता

समृद्ध बालिका देश का भविष्य

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

बालिकाओं के लिए निवेश योजना

योजना का नाम	सुकन्या समृद्धि योजना
ब्याज दर	समय - समय पर भारत सरकार निर्धारित करती है ।
खाता खुलवाने की आयु	0 से 10 साल
खाते में जमा करने की न्यूनतम राशि	250 प्रति वर्ष
खाते में जमा करने की अधिकतम राशि	1.50 लाख रुपए (एक साल के अंदर)
कौन खुलवा सकता है ये खाता	कन्या के माता-पिता या अभिभावक
किसके नाम पर खुलेगा खाता	कन्या
खाते की परिपक्वता अवधि	21 साल
कब निकाल सकते हैं पैसे	कन्या के 18 साल के होने पर, कुछ शर्तों के साथ
कितने खाते खोल सकते हैं	अधिकतम दो कन्याओं का (तीन खाते जब दो लड़कियां जुड़वाँ हो

अधिक जानकरी के लिए आइओबी की नज़दीकी शाखा से संपर्क करें ।